पंचम माला, खंड 42, अंक 18, बुधवार, 14 अगस्त, 1974/23 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol, XLII No. 18, Wednesday, Aug. 14, 1974/Sravana, 23, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA
DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 42 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये

Price :]

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 18, बुधवार, 14 अगस्त, 1974/23 श्रावण, 1896 (शक)

No. 18, Wednesday, August 14, 1974/Sravana 23, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० सं० S.Q. No. विषय	SUBJECT	PAGES
345. बाढ़ नियंत्रण के लिये उत्तर प्रदेश द्वारा मांगी गई सहायता	Assistance sought by U.P. for Flood Control .	1—5
346. पांचवी योजना में कर्नाटक के लिये पन-बिजली परियोजनायें	Hydro-Electric Projects for Karnataka in Fifth Plan	5—9
347. खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यों का विस्तार	Expansion of Activities of KVIC . . .	9—13
348. 'सेटेलाइट इस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्स-पेरिमेंट' के अंतर्गत आने वाले गांव	Villages to be served by Satellite Instructional Television Experiment .	13—15
351. भारतीय खेत मजदूर यूनियन के अध्यक्ष की गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री के साथ भेंट	Meeting of President of Bhartiya Khet Mazdoor Union with Minister of State in the Ministry of Home Affairs . .	15—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
349. आर्थिक और सामाजिक अपराधों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुकद्दमे चलाना	Proceedings under Cr. P.C. against Economic and Social Offences . .	17
350. मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड	Adivasi Development Blocks in M,P. . . .	17—18

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव म पूछा था ।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
352.	बिजली की बचत करने के लिये नंगल उर्वरक कारखाने बंद किया जाना	Closure of Nangal Fertilizer factory to save Power	18
353.	पांचवी योजना के लिये बिजली का लक्ष्य	Power Target for Fifth Plan	18
354.	तांबे के तार की चोरी के कारण डाक तथा तार विभाग को हुई हा न	Loss in P & T Department due to Theft of Copper Wire	19
355.	समाचारपत्रों के लिए ज्ञापन की दरों का पुनरीक्षण	Revision of Advertisement Rates for Newspapers .	19
356.	वर्ष 1973 के लिये फिल्म पुरस्कारों की घोषणा	Announcement of Film Awards for 1973 . .	20
357.	सुवर्णरेखा नदी के बाढ़ से प्रभावित किनारों का केन्द्रीय दल द्वारा दौरा	Visit of Central Team to Flood Affected Banks of River Subernarekha .	20—21
358.	इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स की विदेशी साम्य पूंजी में कमी	Dilution of foreign equity holding of International Business Machines .	21—22
359.	नवीनतम जानकारी हासल करने के लिये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर द्वारा उठाये गये कदम	Steps taken by ITI Bangalore to acquire latest Knowledge . . .	22
360.	कलकत्ता टेलीफोन विभाग के लिये भूमि का अर्जन	Acquiring land for Calcutta Telephones . . .	22
361.	अपने उत्पादनों के निर्यात के लिये की गारंटी देने वाले उद्यमियों को लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licences to Entrepreneurs who Guarantee export of the their Products	23
362.	लघु उद्योगों के विकास के लिये अतिरिक्त सुविधाएं	Additional Facilities for Development of Small Industries . . .	23—24
363.	प्रधान मंत्री की यात्राओं के अवसरों पर नगरों को नया रुप देना	New look to Cities on Prime Minister's Visits	24
364.	हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण नियम द्वारा मंजूर की गई धनराशि	Amount Sanctioned by R.E.C. for Electrification of Bilaspur District (H.P.). . . .	25

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
2399.	अंतर्राज्यीय जल विवाद	Inter State Water Disputes	25—26
2400	रोजगार हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to State Governments for Employment . .	26—27
2401.	नागाओं की समस्याओं पर विचार-विमर्श	Discussion on Naga Problems	27
2402.	रक्षित विद्युत उत्पादक पद्धति से इस्पात संयंत्रों को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Steel Plants from captive power generative system	27
2403.	निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी सहयोग	Foreign collaboration to boost exports . .	27—28
2404.	दिल्ली में सीमेन्ट की कमी	Shortage of Cement in Delhi	28—29
2405.	ट्रैक्टरों के टायरों की कमी	Shortage of Tractor Tyres	29
2406.	नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त वार्षिक लक्ष्य	Annual target achieved by National Projects Construction Corporation Limited . . .	30
2407.	बिड़ला फर्मों के कार्यालयों तथा अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापे	Raid on Office premises and residence of officers of Birla Concerns . .	30—31
2408.	हिमालय पर्वतमाला में कम बर्फ पिघलने का उत्तर भारत की नदियों के जल प्रवाह तथा भाखड़ा में विद्युत प्रजनन के ऊपर प्रभाव	Effect of Low Melting of Snow in Himalayan Ranges on the flow of Water in Northern Rivers and in power Generation in Bhakra .	31
2409.	पूर्वी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों का विस्तार	Expansion of Power plants in Eastern region .	31—32
2410.	तैयार माल के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा अध्ययन	Study by Bureau of Industrial Cost and prices regarding increase in prices of finished goods	32—33
2411.	नई टेलीफोन प्रणाली	New Telephone System	33—34
2412.	उड़ीसा में निम्नतम आवश्यकता संबंधी कार्यक्रम	Minimum needs programme in Orissa . . .	34—35

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
2413.	जिला बिलासपुर (उड़ीसा) के जामेनकिरा में फाउन्ड्री एवं फैब्रीकेटिड इन्डस्ट्री	Foundry cum fabricated Industry at Jamenkira, District Sambalpur (Orissa) . . .	35
2414.	बिहार में नलकूपों और ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परन्तु खर्च न की गई धनराशि का उपयोग	Utilisation of Unspent Amount Sanctioned by REC for Tube Wells and Electrification of Villages in Bihar . .	35—36
2415.	संयुक्त क्षेत्रीय उद्यमों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Joint Sector enterprise . .	36
2416.	केरल में जिला योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of District plans in Kerala . .	36—37
2417.	केरल में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Kerala . . .	37
2418.	केरल में उद्योगों पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव	Effect of Shortage of Raw Material on Kerala Industries . . .	38
2419.	तमिलनाडु फिल्म उद्योग में संकट	Crisis in Tamil Nadu Film Industry . . .	38
2420.	पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए समिति	Committee for Development of Backward Areas	38—39
2421.	नारायणपुर गांव, जिला बलिया (उत्तर-प्रदेश) में हरिजनों को अलाट की गई भूमि से उनका निष्कासन	Eviction of Harijans from Land Allotted to them in Narainpur Village, District Ballia (U.P.) .	40
2422.	टैलीफंकन द्वारा टैप रिकार्डरों का गैर-कानूनी उत्पादन	Illegal production of Tape Recorders by Telefunken	40—41
2423.	रेडियो सेटों का उत्पादन और बिक्री	Production and Sale of Radio Sets . . .	41—42
2424.	दिल्ली टारजियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा कैसैट्स का निर्माण	Manufacture of Casettes by Tarzian India Private Limited, Delhi . .	42
2425.	मैसर्ज कैडबरी फ्राई तथा मैसर्ज कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के तदर्थ लायसेंस जारी करना	Issue of *Ad hoc* Licences to M/s Cadbury Fry and M/s Coca Cola Export Corporation .	43—44

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
2426.	फिल्म डिवीजन को किरायों, रायल्टी तथा विभिन्न प्रकार के निकायों से प्राप्त राजस्व	Revenue of Film Division due to Rentals Royalty and Miscellaneous Sales	44
2427.	दिल्ली के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति	Telephone Advisory Committee for Delhi . .	45
2428.	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar for Providing Employment to Educated Unemployed . .	46
2430.	डाक दरों में वृद्धि	Increase in Postal Rates .	46
2431.	पांचवी योजना में विज्ञान तथा प्रौद्यौगिकी के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण	Fixing of Priorities for Science and Technology in Fifth Plan . .	46—47
2432.	कानपुर और लखनऊ '(उत्तर प्रदेश)' में बमो और हथियारों की बरामदगी संबंधी जांच की रिपोर्ट	Report of Inquiry on Seizure of Bombs and Weapons in Kanpur and Lucknow (Uttar Pradesh)	47
2433.	देश में टेलीफोनों का कार्यकरण	Functioning of Telephones in the Country	47—48
2434.	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Cement Plants in M.P., U.P. and A.P.	48—49
2435.	भारतीय राजनीति में विदेशी धन में भूमिका	Role of Foreign Money in Indian Politics . .	49—50
2436.	श्रेणी तीन के कर्मचारियों की भर्त्ती	Recruitment of Class III Employees . . .	50
2437.	पंजाब सर्किल में मंजूर किये गए टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchanges sanctioned in Punjab Circle	50
2438.	आकाशवाणी शिमला के लिए संवाददाताओं के पदों की मंजूरी देने का प्रस्ताव	Proposal to sanction Posts of Correspondents for A.I.R. Simla . .	51
2439.	परमाणु बिजलीघरों के लिये स्थापना-स्थल	Sites for Location of Nuclear Power Station .	51
2440.	औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन	Changes in Industrial Licensing Policy . .	51—52

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
2441.	बिहार के गांवों में डाकघर	Post Offices in Villages of Bihar . . .	52
2442.	आणविक कार्यक्रम के लिये खंडनीय सामग्री (फिसाईल मेंटीरियल) की आवश्यकता	Requirement of Fissile Material for Nuclear Programme . .	52—53
2443.	प्राकृतिक सैसाधनों के दूरवर्ती आभास के लिये प्रौद्यौगिक विकास	Development of Technology for Remote sensing of Natural Resources .	53
2444.	आर० एच० 560 के त्रुटिहीन बनाने की दिशा में हुई प्रगति	Progress made in Perfecting R.H.	53—54
2445.	क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करना	Removal of Regional Imbalance . . .	54
2446.	विदेशी सहयोग से टायरों का उत्पादन	Manufacture of Tyres with Foreign collaboration	54—55
2447.	आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष सहायता	Special Assistance for Backward Areas in Andhra Pradesh . .	55
2448.	दिल्ली प्रशासन को हरिजनों के कल्याणार्थ धनराशि के नियतन में कटौती	Cut in Allocation of Amount to Delhi Administration for Harijan Welfare .	56
2449.	लघु क्षेत्रीय में आक्सीजन संयंत्रों का स्थापित किया जाना	Setting up of Oxygen Plant in Small Scale Sector . . .	56
2450.	ताम्रपत्र को स्वीकार न करने वाले स्वतंत्रता सेनानी	Freedom Fighters who refused Tamrapatras	56
2451.	स्वतंत्रता सेनानी एसोसिएशन को अनुदान	Grants to Freedom Fighters Associations . .	57
2452.	बिहार में विभिन्न स्थानों पर डाक तथा तार औषधालय खोलना	Opening of P & T Dispensaries at Various places in Bihar . . .	57
2453.	बिहार सर्किल में एल० एस० जी० के पद बनाना	Creating of LSG Posts in Bihar Circle. . .	57—58
2454.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम और आयल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	HRA to Employees of MMTC and Oil India Ltd.	58—59

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
2455.	टेलीफोन कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against Telephone Employees . . .	60
2456.	डाक तथा तार विभाग की डाक तथा दूर संचार शाखाओं का पृथक्करण	Separating Postal and Telecommunication Branches of P & T . .	60
2457.	विदेशी सहयोग संबंधी समझौता	Foreign Collaboration Agreements . .	60—62
2458.	फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड, पूना की मेडिकल इलक्ट्रोनिक्स इक्विपमेंट फैक्टरी की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकता	Foreign Exchange Requirement of Medical Electronics Equipment Factory of Philips (India) Ltd., Poona. . . .	62
2459.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licence for setting up of Industries in Backward Areas . .	62—63
2460.	आसूचना ब्यूरो के अनुभाग अधिकारियों की सीमित विभागीय परीक्षा	Limited Departmental Examination of Section Officers of Intelligence Bureau . . .	63
2461.	'योजना अवकाश'	Plan Holiday . . .	63—64
2462.	स्पेशल पुलिस एस्टेबिलिशमेंट को प्राप्त हुई शिकायतें	Complaints received by S.P.E. . . .	64
2463.	भर्ती नियमों का बनाया जाना	Framing of Recruitment Rules	64
2464.	औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों का पता लगाने के लिये मानदंड	Criteria for identifying Industrially Backward States . . .	64—65
2465.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जानकारी पर आधारित वैज्ञानिकों, तकनीकी-विज्ञों तथा इंजीनियरों को समर्थ बनाने संबंधी योजना	Scheme to enable Scientists, Technologists and Engineers to set up Industries based on CSIR Know How .	66
2466.	टेलीफोन पिक्चर ट्यूबों की चोरबाजारी	Black marketing in Television Picture Tubes .	66—67
2467.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां	Official Languages Implementation Committees in Central Government Offices . . .	67

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
2469.	स्वतंत्रता सैनानियों को तदर्थ अनुदान	*Ad hoc* Grants to Freedom Fighters . . .	67—68
2471.	राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यों के विशाखन का प्रस्ताव	Proposal to split functions of State Electricity Boards . . .	69
2472.	लोइगानामक्की जलाशिय को पूर्व को बहने वाली दो नदियों का पानी पहुंचाने संबंधी निर्माण कार्य	Civil Works on Diversion of Water of Two East Flowing Rivers to Loiganamakki Reservoir	69
2473.	"कांग्रेस फार कलचरल फ्रीडम" और "गांधी पीस फाऊंडेशन" जैसे संगठनों पर रोक	Ban on Organisations like Congress for Cultural Freedom and Gandhi Peace Foundations .	70
2474.	अन्दमान के भूतपूर्व कैदियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Ex-Andaman Prisoners .	70
2475.	मिजोरम की छिपे मिजो लोगों से वार्ता करने की मांग	Demand from Mizoram to have talks with the Underground Mizos .	70
2476.	विदेशी सहयोग से वस्तुओं का निर्माण	Manufacture of Items with Foreign Collaboration .	71
2477.	राजस्थान के सामरिक महत्व के क्षेत्रों, बाड़मेर और जैसलमेर में आकाशवाणी की सेवाओं में सुधार	Improvement of AIR Services in Strategic Areas of Barmer and Jaisalmer in Rajasthan	71
2478.	मध्य प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production in M.P.	72—73
2479.	कच्चा माल बैंकों की स्थापना	Setting up of Raw Material Banks. . . .	73—74
2480.	हजारी बाग जिले में पतरातु स्थान पर क्लिंकर यूनिट स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र	Application for Setting up Clinker Unit at Patratu in Hazaribagh District	75
2481.	बिहार नें केन्द्रीय बलों का तैनात किया जाना	Deployment of Central Forces in Bihar . .	75
2482.	केरल में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	National Research Laboratories in Kerala . .	76

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
2483.	दिल्ली और मध्य प्रदेश के शहरों के बीच सीधे डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था	STD between Delhi and Cities of M.P. . .	76
2484.	भिलाई, दुर्ग और खुरशीपार की टेलीफोन	Telephone System for Bhilai, Durg and Khurshipar . . .	76—77
2485.	दिल्ली-भिलाई ट्रंक लाइन	Delhi-Bhilai Trunk Line .	77
2486.	एम० आर० ए० कार्यकरण	Functioning of MRA .	77—78
2487.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा खरीदी गई परमाणु घड़ी	Atomic Clock acquired by National Physical Laboratory. . . .	78
2488.	केरल में अखबारी कागज परियोजना की स्थापना में तकनीकी आपत्ति	Technical Objection in Setting up of Newsprint Project in Kerala. .	78—79
2489.	केरल कृषि श्रमिक विधेयक	Kerala Agricultural Labour Bill	79
2490.	कानपुर में ट्रक टायरों की चोर-बाजारी	Black Marketing of Truck Tyres in Kanpur . .	79—80
2491.	विदेशी अपराध फिल्मों के आयात और प्रदर्शन को रोकने का प्रस्ताव	Proposal to stop Import and Exhibition of Foreign Crime Films . .	80
2492.	दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को सहायता	Assistance to Families of Police Personnel in Delhi	80—81
2493.	बिजली परियोजनाओं का पूरा किया जाना	Completion of Power Projects	81—82
2494.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कार्यालयों में नियुक्त करने के बारे में राज्यों को निर्देश	Directive to States for Employment of S.C. and S.T. Candidates in Offices . . .	82
2495.	"एल्युमीनियम शार्टेज हिट्स केबल यूनिटस्" शीर्षक से समाचार	News item captioned Aluminium shortage hits Cable Units . .	82
2496.	पांचवी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का शामिल किया जाना	Inclusion of major river valley project of Orissa in Fifth Plan . .	83

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
2497.	एरेटेड वाटर कम्पनियों को आयात लाइसेंस देना	Issue of Import licence to Aerated Water Companies	83
2498.	नये टेलीफोन उपकरणों का निर्माण	Manufacture of new Telephone Instruments .	83—84
2500.	"भाखड़ा लेवल नियर क्राइसिस प्वांइट" (भाखड़ा का स्तर संकट के निशान के निकट) शीर्षक से समाचार	News item captioned 'Bhakra Level near crisis point' . . .	84
2501.	सरकार से अनुदान अथवा मानदेय राशि प्राप्त करने वाली समाचार एजेंसियों के नाम	Names of news agencies to whom grants for Honorarium are given by Government . . .	85
2502.	महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन देना	Grant of pension to Freedom Fighters from Maharashtra . .	85
2503.	"न्यू फिल्म एवार्ड सिस्टम क्सि आउट टौप स्टार्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned 'New Film award system kicks out top stars' . .	86
2504.	राजकोट में जेटालसार में पुलिस द्वारा गोली चलाना	Police firing at Jetalsar in Rajkot . . .	86
2505.	हिमाचल प्रदेश स्थित सावडा तथा कोट खाई में टेलीफोन एक्सचज	Telephone Exchanges at Sawra and Kot Khai in H.P.	86—87
2506.	मध्य प्रदेश में अम्बाह जिले में भादोली कापुरा में हरिजनों पर अत्याचार	Repression on Harijans at Bhadoli Kapura, Ambah District, Madhya Pradesh . . .	87—88
2507.	पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये राज्यों को नियतन	Allocation to States for development of Backwards Regions . .	88
2508.	नये अग्निशामक इंजन	New Fire Engines . .	88—89
2509.	एक भारतीय फर्म द्वारा अत्याधिक विस्फोटक सामग्री बनाया जाना	Super explosive developed by an Indian Firm .	89
2510.	बिजली के टाईपराइटरों का उत्पादन	Production of Electric Type Writers . .	89—90
2511.	लद्दाख में पूग घाटी में भूतापीय परियोजना	Geothermal Project in Puga valley in Ladakh .	90

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
2512.	स्टकना पनबिजली परियोजना की प्रगति	Progress of Stakna Hydel Project . . .	90
2513.	अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाना	Laying of Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Table	91
2514.	अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to S.C. candidates . .	91
2515.	भारत में वर्ष 1989 तक पानी का अकाल	Water famine in India by 1989 . . .	91—92
2516.	उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना जिनके आवेदन पत्र 31 मार्च, 1974 के बाद प्राप्त हुए	Grant of pension to freedom fighters whose applications were received after 31st March, 1974 . .	92—93
2517.	दिल्ली में वृद्ध, अशक्त तथा बीमार स्वतंत्रता सेनानियों के लिये 'गृह'	Home for aged, infirm and ailing Freedom Fighters in Delhi . . .	94
2518.	कुछ मामलों में स्वतंत्रता सेनानियों को वित्तीय सहायता की अदायगी रोक देना	Stoppage of financial assistance to Freedom Fighters in some cases .	94
2519.	दिल्ली में वृद्धि, अशक और बीमार स्वतंत्रता सेनार्नियों के लिये 'गृह'	Home for aged, infirm and ailing Freedom Fighters in Delhi . . .	95
2520.	गैर सरकारी उद्योग में आत्मनिर्भरता	Self-reliance in private industry . . .	95
2521.	भारतीय सीमेंट निगम द्वारा भूटान में कारखाने की स्थापना	Setting up of Cement plant in Bhutan by Cement Corporation of India .	95—96
2522.	वैज्ञानिक तथा औद्यौगिक अनुसंधान परिषद के साथ वैज्ञानिकों का पंजीकरण	Registration of scientists with CSIR . . .	96—98
2523.	छात्र आन्दोलन के दौरान बिहार में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल द्वारा गोली चलाया जाना	Firing by C.R.P. and B.F.F. in Bihar during students agitation .	98

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
2524.	पाठ्य पुस्तकों और कापियों के लिए कागज की कमी	Shortage of paper for Text Books and Exercise Books . . .	99
2525.	श्रीलंका के सूचना तथा प्रसारण मंत्री का भारत का दौरा	Visit of Information and Broadcasting Minister from Sri Lanka to India	99
2526.	वर्ष 1374–75 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु मंजूर की गई धनराशि	Amount sanctioned by REC in 1974-75 for rural electrification .	100
2527.	राज्यों में आन्दोलनों के कारण केन्द्रीय सरकार को हुई हानि	Loss to Central Government due to Agitations in States . . .	100
2528.	दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा मूल्य वृद्धि तथा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन	Movement by Delhi University Students against price rise, unemployment and corruption .	100—101
2529.	अंग्रेजी पत्रिका "भागीरथ" के लिये कर्मचारी	Staff for English Magazine Bhagirath . . .	101—102
2530.	"भागीरथ" पत्रिका के लेखकों और संपादकों को दिया गया मानदेय	Honorarium to Writers and Editors of Bhagirath	102
2531.	ट्रकों और बसों के टायरों के उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता	Installed Capacity of Truck and Bus Tyres . .	102
2532.	उड़ीसा में उद्योगों का क्षमता से कम कार्यकरण	Working of Industrial units in Orissa below capacity	103
2533.	उपकरणों और तकनीकी जानकारी का आयात	Import of Equipment and Technology . .	103—105
2534.	रावी-व्यास जल के बंटवारे पंजाब और हरियाणा में विवाद	Controversy between Punjab and Haryana over sharing of Ravi-Beas Waters . .	105
2535.	बिहार में विश्वविद्यालय और कालेज खोले जाने के बारे में आकाशवाणी के पटना केन्द्र से प्रसारित समाचार बुलेटिन	News Bulletins Broadcasts by AIR, Patna about opening of Universities and Colleges in Bihar	105—106
2536.	पांचवी योजना में लघु उद्योगों के कारखानों की स्थापना	Setting up Small Units in Fifth Plan . .	106

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No. विषय	SUBJECT	PAGES
2537. पंजाब में औद्योगिक एककों द्वारा कम क्षमता पर कार्य करना	Working of Industrial Units in Punjab Below Capacity . . .	106—107
2538. पंजाब में बसों और ट्रकों के टायरों का निर्माण	Manufacture of Bus and Truck Tyres in Punjab	107
2539. स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्त-चित्र तैयार करना	Preparation of Life Documentaries of Freedom Fighters . . .	107—108
2540. विंध्य प्रदेश और रीवां डिवीजनों के आदिवासियों के जीवन पर वृत्त चित्र	Documentaries of the Life of Adivasis of Vindhya Pradesh and Rewa Division . .	108
2541. छात्र-आन्दोलनों के दौरान बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल का तैनात किया जाना	Posting of CRP and BSF in Bihar during Students Agitation . . .	108—109
अतारांकित प्रश्न संख्या 509, दिनांक 24–7–1974 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 342 दिनांक 24–7–74 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य	Correcting statements to USQ No. 509, dated 24-7-1974 and USQ No. 342, dated 24-7-1974 .	109
सभा पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE . . .	110—112
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	112
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.	
गुजरात में बलसर स्टेशन पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के समाचार	Reported firing by Police on Youth Congress Workers at Bulsar station in Gujarat .	112—113
प्रो० मधु दण्डवते	Pof. Madhu Dandvate .	113
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	114—118
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions Forty-Fourth Report . . .	119

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
	44वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolution . .	119
	भारत और इण्डोनेशिया के बीच महाद्वीपीय समुद्री सीमा के परिसीमिन के संबंध में समझौते के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Agreement on the Delimitation of Continental Shelf Boundary between India and Indonesia . .	120
	नियम 377 के अंतर्गत मामले	Matters Under Rule 377	120
	(एक) बिहार पुलिस द्वारा श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य को हथकड़ी लगाना	(i) Handcuffing of Shri Ishwar Chaudhary, M.P. by Bihar Police .	120
	(दो) गुजरात में सूखा	(ii) Drought in Gujarat	121—122
	बैंकारी आयोग के प्रतिवेदन और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण पर चर्चा	Discussions re. Report of the Banking Commission and Working of Nationalised Banks . . .	122
	श्री मधु लिमिये	Shri Madhu Limaye .	122—124
	श्री पी० एम० मेहता	Shir P.M. Mehta . .	124—125
	श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai . .	125—126
	श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	126—127
	श्री पी० गंगदेव	Shri P. Gangadeb. .	127—128
	श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	128—129
	श्री मूलचन्द डागा	Shi M. C. Daga . .	129—130
	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	130—131
	श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Raghunandan Lal Bhatia . . .	131—132
	श्री वायालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	132—133
	श्री जे० माता गौदर	Shri J. Matha Gowder	134—135
	श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan .	136—137
	श्री इराजमु द सैकेरा	Shri Erasmo de Sequeira	137
	श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma . . .	137—138

ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	138—139
	श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	139
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	139—140
	श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	140
	श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra . . .	141
	श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yaswantrao Chavan	141
	कार्य मंत्रणा समिति का 46वां प्रतिवेदन	Business Advisery Committee, Forty-sixth Report	

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 14 अगस्त, 1974/23 श्रावण, 1896 (शक)

Wednesday, August 14, 1974/Sravana 23, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at one minute past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ASSISTANCE SOUGHT BY U. P. FOR FLOOD CONTROL
बाढ़ नियत्रंण के लिये उत्तर प्रदेश द्वारा मांगी गई सहायता

*345. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Uttar Pradesh Government have sought funds during the current year from Central Government for protecting Uttar Pradesh from floods, particularly for Ballia district of Uttar Pradesh which has been affected by devastating floods of Ganga and Ghaghra rivers; and

(b) if so, the total amount sought by the U. P. Government and the reaction of Central Government thereto?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : राज्य में कुछ बाढ़ सुरक्षा स्कीमें, जिनमें बलिया जिले में बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी स्कीम शामिल है, के शीघ्रतापूर्वक कार्यान्यिवन के लिए 1974-75 के दौरान 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था । बाढ़ नियंत्रण स्कीमें राज्य योजनाओं का एक भाग है और इनके लिये 1974-75 वर्ष के लिए केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है । केन्द्रीय सरकार पहले से दी गई सहायता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में समर्थ नहीं हो पाई है ।

Shri Chandrika Prasad : The statement shows that the Central assistance for 1974-75 has been accepted. Today I talked to the U. P. Government on phone. He has no knowledge that assistance has been sanctioned for 1974-75. I want to know why the U. P. Government has not been informed about this ?

Shri K. C. Pant : The U. P. Government has been informed certainly. They had talks with the Planning Commission and certain decisions were taken on the State Plan for 1974-75 after having talks with them. There is a provision of Rs. 3 crores for 1974-75 in the State Plan and out of it Rs. 1·9 crores has been earmarked for specific plans in which Plans to Stop erosion from the Ganga and the Ghaghra rivers are included and in which you are interested.

Shri Chandrika Prasad: Uttar Pradesh is a big state. Major rivers flow from there. The U. P. Government had demanded Rs. 6 crores. This amount is also less and you have sanctioned the amount of Rs. 3 crores. The Ganga and the Ghaghra flow from Ballia, which is my constituency and the Sone and the Punpun also bring devastation in our area. So this becomes an Inter State problem. Taking the furiousness and seriousness of these rivers into consideration will you form any central Project to save Ballia from flood and soil erosion ? You say there is economic crisis. But will you give guidelines regarding the use of Rs. 3 crores that so much percent of the amount be spent to save Ballia from erosion? The demand was for Rs. Six crores and you have sanctioned Rs. 3 crores. I want to know will you give special asistance like last year to save Ballia from erosion ?

Shri K. C. Pant : It is true that at present Uttar Pradesh, Bihar and Assam are facing difficulties and every year floods cause hardship to them. But according to present arrangement the Subject of flood control comes under the state Government. So at the time of drawing up State Plans, provision for the same is made in it. It is somewhat not possible at present for the Centre to grant amount for it. It had granted money at the end of fourth plan but taking into consideration the present tight situation it looks much difficult. The Hon. Member has given many suggestions regarding Ballia and I arranged talks between him and experts of my Ministry. If other members take interest, it is my endeavour always that some Plan may be drawn up and in consultation with the State Governments we can see how far it can be implemented. I have adopted this method this time also.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it not a fact that the eastern districts of Uttar Pradesh face acute furiousness of floods every year and life and property are perished in a big way ? Is it not a fact that the flood Control Board has failed to draw up far reaching Plans? Has the Government thought over it that till the Jal Kundi yojna is not implemented, a large part of eastern districts cannot be saved from floods ?

Shri K. C. Pant : The Ganga flood control board had drawn up a plan on which estimate of expenditure came to Rs. 1075 crores. They had talked with the State Government to see which work can be started in which year and which State is included in the Plan. The question of means and priorities in it. The findings come only after talk with the Planning Commission.

Shri Ram Surat Prasad : You have said in your statement: "Flood control Schemes are a part of the State Plans for which Central assistance for 1974-75 has already been sanctioned." I want to know how much amount as assistance for 1974-75 has been given and when the same was given and whether it meets the requirements of Uttar Pradesh ?

The Gorakhpur district saw unprecendented floods and all previous records have been broken. There is one solution that by carrying out the Rapti Jal Kundi Yojna, Gorakhpur may be saved from the flood water. I want to know which specific steps the Hon. Minister is going to take ?

Shri K. C. Pant : The Central assistance for specific Plans was used to be given before 4th Plan. In the fourth Plan lumpsum amount of Central assistance was given to the States and it did not depict the amounts to be spent on different items of the plan. It was given in the shape of block grant and block loan. So far Gorakhpur is concerned, the flood has caused some damage. In Comparison to previous years the water level went up considerably and still now the position is the same. Today three technical teams have gone to Uttar Pradesh, Bihar and Assam with senior Officers of C. W. P. C. They will hold talks with the State Governments and give them suggestions regarding flood control measures. They will submit their reports depicting what types of works are going on.

Shri Krishna Chandra Pandey : The Rapti and Ghaghra rivers have caused great havoc in Basti district this year in comparison to previous years. Will the Hon. Minister please direct the State Government that small bunds may be constructed to control the floods ? Taking into consideration the damage which takes place every year and to save the piecemeal grants given to them. Will the Hon. Minister may please construct bunds to control the floods?

Shri K. C. Pant : It is true that this year due to Banganga river and breaching of barrage constructed on it, damage was caused to Basti and road communications also disrupted. The State Government is trying to give priority to flood Control measures. About Rs. 20 crores has been earmarked in the Fifth Five Year Plan. I have no full information how this money will be spent on particular scheme. But if the Hon. Member has some suggestion in regard to Basti district then I shall talk with the State Government about this.

Shri Janeshwar Mishra : This question clearly refers to Soil erosion. Soil erosion and floods are two different things. The floods come once in the Year but in Ballia district the river causes soil erosion the whole year. Will the Hon. Minister State when the floods come every year so some permanent solution cannot be found out ?

Shri K. C. Pant : In his letter dated May I974 the Chief Minister of Uttar Pradesh had demanded a sum of Rs. 5 crores as special financial assistance. It was not only for Ballia but for priority works. Ballia is included in this. Works of Lucknow and Gandak are also included in this. To prevent Soil erosion from Ganga and Ghaghra rivers they have demanded Rs. 1 crore.

Regarding the havoc of flood, the Hon. Member has more experience than oursleves.

Shri Swami Brahmanand ji : Mr. speaker, Sir, flood is an annual feature. Let the dams be constructed at the places where they are needed. But the people living in low lying areas have to face this problem every year. Financial assistance is given for their rehabilitation but all in vain. May I know, in this context, from the Hon Minister whether Government will make arrangements for their rehabilitation at the places situated at higher levels ? I have observed that at certain places, poelpe have got their hereditary lands which are not affected by the floods but they do not reside there. But at certain places, people reside at the banks of the rivers and when they are ruined by the floods, they seek financial assistance. Therefore, they should not be allowed to live in low-lying areas. Embankments should also be constructed to check land erosion. I also suggest that **Tamal Tals** should be constructed as was the practice during the regimes of the Kings. With these Tals, the flow of water can be checked and water can accumulate at the lower level. Thus, my contention was that people should not be allowed to settle down in low-lying areas and they should be rehabilitated at the places situated at high levels.

Shri K. C. Pant: Swamiji has given very good suggestions. He has suggested that the trees should not be cut. I agree with him on the point that deforestation is causing heavy losses. If trees are cut in the hilly areas or in the plains, land erosion is bound to be caused there. I think steps should be taken to check land erosion on a priority basis. I have taken up this matter with the Agriculture Ministry.

It is also a fact that due to increase in population, people do not hesitate in taking the risk of settling down in the flood prone areas. Actually, they do this sometimes because of the fact that no alternative is left for them. Thus, they start living in risky zones.

So far as the raising of level of land is concerned, the surface level of 4511 villages has been raised above the level of flood waters in the State of Utta Pradesh.

Shri Narsing Narain Pandey : The amount being given to the State of Uttar Pradesh for the purpose of floods in the same as was recommended by the sixth Finance Commission in the Fourth Five Year Plan. The Chief Minister of Uttar Pradesh has demanded special funds to meet the situation in the eastern districts of the State in view of the fact that all the dams have given way and the situation has become precarious. May I know whether

any special funds would be provided to the State so that this situation may be brought under control and dams may be constructed and the ground level of the villages raised ?

Secondly, negotiations are going on with the Government of Nepal for a long time on the Rapti Jal Kundi Project. If the Government of Nepal has not agreed with India on this project for certain reasons, may I know whether Government proposes to take up another project prepared by Dr. K. L. Rao, which is proposed to be constructed at a distance of 40 miles inside the border and ten miles downward from the Jal Kundi project ? It covers only three villages of Nepal. The Government of Nepal is prepared to consider this project. May I know whether Government will discuss the matter with Nepal and try to implement this project?

Shri K. C. Pant : It is a suggestion for action. We will consider it.

Shri Ramavatar Shastri: As the Hon. Minister has stated in the beginning, Ganga and Ghaghra rivers pass through Bihar and other States. The State of Bihar, especially north Bihar, has been seriously affected by the floods. Perhaps, for the last 20 years there has been no such flood there. In view of the fact that State Governments are unable to implement flood control schemes, may I know the difficulties faced by the Central Government in taking such schemes in there own hands and preparing a joint programme for the implementation of these flood control schemes? Funds amounting to crores of rupees are provided to the State Governments for the purpose of flood control works. What is the difficulty in implementing a comprehensive scheme with the entire amount collectively?

Shri K. C. Pant: Sir, there are two difficulties in it. Firstly, the flood control is a State subject and secondly, the funds are distributed among the State Governments. Out of this fund, certain amount is kept with the centre. In these circumstances, we will have to consider as to what amount is to be spent in a year on the flood control works. Flood has created serious problems in northern part of Bihar also, but the question pertains to Uttar Pradesh. Therefore, I do not want to go into details. The suggestion given by the Hon. member is not under consideration at present. This matter can not be considered in this year in view of the financial crisis.

पांचवीं योजना में कर्नाटक के लिए पन बिजली परियोजनाएं

*346. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक राज्य के उत्तर कनारा जिले में कौन-कौन सी पन बिजली परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) उन्हें कब तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) काली नदी जल विद्युत स्कीम चरण-एक (फेज एक और दो) इस समय निर्माणाधीन है और इससे पांचवी योजना के दौरान 775 मेगावाट और छटी योजना के दौरान 135 मेगावाट के लाभ होने की संभावना है। कर्नाटक सरकार ने उत्तरी कर्नाटक जिले में निम्नलिखित परियोजनाओं पर परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है :—

1 काली नदी—चरण-दो	221 मेगावाट
2 वेदती	210 मेगावाट
3. जरसोपा टेल रेस	240 मेगावाट

इन परियोजनाओं की जांच की जा रही है।

श्री बी० वी० नायक : वक्तव्य में इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया कि अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है। आशा है यह जानकारी दी जाएगी। क्या मंत्री महोदय को ज्ञान है कि कर्नाटक सरकार के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के मंत्री महोदय ने 15 जुलाई, 1974 को कर्नाटक के सर्वदलीय संसद सदस्यों को अनौपचारिक सलाहकार समिति की बैठक में विरोध पक्ष से यह शिकायत की थी कि ऐसा प्रतीत होताहै कि अन्य राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की परियोजनाओं के हित में कर्नाटक की पन बिजली परियोजनाओं की उपेक्षा की जाती है ? क्या इस शिकायत को सरकारी तौर पर अथवा गैर सरकारी तौर पर उनके ध्यान में लाया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे नहीं बताया गया। चूंकि यह बैठक अनौपचारिक थी, अतः सम्भवतः मंत्री महोदय इसे मेरे ध्यान मे नहीं लाना चाहते थे।

श्री बी० वी० नायक : अनौपचारिक सलाहकार समिति की स्थापना कर्नाटक राज्य सरकार के बैध आदेशों के अन्तर्गत की गई है तथा इसकी बैठकों में हुई कार्यवाही को नियमित रूप से परिचलित किया जाता है। मै मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन तथ्यों के सत्यापन के लिए वह कृपया उक्त कार्यवाही का अध्ययन करें।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न यह था कि क्या मंत्री महोदय को इसकी सूचना दी गई। अब वह मंत्री महोदय से उसका अध्ययन करने के लिये कह रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह न केवल काली नदी, बाढ़ती और गरसोधा परियोजनाओं को ही क्रियान्वित करने में समर्थ है वरना अग्नासिनी परियोना को भी क्रियान्वित करने में समर्थ है और यदि हां तो अग्नासिनी पन बिजली परियोजना को आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चूंकि उन्होंने प्रश्न के प्रथम भाग को दोहराया है अतः मै बताना चाहता हूं कि जब मैंने सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का कार्यभार संभाला था उससे पहले पांचवी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया था तथा सभी परियोजनाओं के बारे में भी अन्तिम निर्णय कर लिया गया था। चाहे वह उत्तर प्रदेश की हो चाहे वह कर्नाटक की, मेरे विचार से ऐसा कोई ...

एक माननीय सदस्य : आक्षेप ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं श्री नायक के लिये "आक्षेप" शब्द का उपयोग नहीं करूंगा । किन्तु ऐसे सुझावों का कोई लाभ नहीं है ।

श्री बी० वी० नायक : ये मेरे सुझाव नहीं है । इनका उल्लेख अनौपचारिक सलाहकार समिति में दिया गया था । मैंने तो केवल उनका ध्यान इस ओर दिलाया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसमें कुछ सुधार है । जिन परियोजनाओं के प्रतिवेदन विचारधीन हैं मैंने उनके नाम बता दिये हैं । मैं श्री नायक को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि इस समय हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि काली नदी परियोजना के लिये कुछ अधिक सहायता की व्यवस्था की जाये जिससे कर्नाटक के लिये पांचवी योजना में विद्युत उत्पादन सम्बन्धी जो भी कार्य आरम्भ किया गया है उसे वर्तमान संसाधन अभाव की स्थिति में पूरा किया जा सके । मैंने कर्नाटक के विद्युत मंत्री से तथा वित्त मंत्री से बातचीत की है तथा उन्होंने आपस में भी विचार-विमर्श किया है जिसस कम से कम पांचवी योजना के लिये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कोई तरीका निकाला जा सके ।

श्री के० लकप्पा : इस समय देश के सम्मुख बिजली की कमी की समस्या मुख्य है । कर्नाटक में प्राकृतिक संसाधान हैं जिनका देश के विकास कार्यों के लिये उपयोग किया जा सकता है ।

इस संदर्भ म, म एक प्रश्न करना चाहता हूं । काली नदी परियोजना एक प्रमुख परियोजना है जिसकी योजना राज्य सरकार ने बनाई है । राज्य की वित्तीय स्थिती वास्तव में खराब है । क्या सरकार का ध्यान संसद सदस्यों तथा राज्य सरकार द्वारा बार-बार इस ओर दिलाया गया है कि इस स्थति का मुकावला करने के लिये, परियोजना को क्रियान्वित करन क लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये ? म मंत्री महोदय से इस संबंध में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या वह इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना मानेंगे तथा स्थिति का मुकाबला करने तथा इस परियोजना की शीघ्र क्रियान्विति के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि मुझसे अतिरिक्त संसाधनों की मांग न की जाए तो मैं सभी राज्य परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं मानने क लिये तैयार हूं । वे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं इस रूप में हैं कि वे राज्यों के हितों की ही पूर्ती नहीं करती वरन् विभिन्न क्षेत्रों की भी आवश्यकता पूरी करती हैं । यह महत्वपूर्ण परियोजना है । जसा कि मैंने पहले बताया है, मैंने इस बारे में कर्नाटक के विद्युत मंत्री तथा केन्द्र में वित्त मंत्री से भी हाल में बात-चीत की है । उन्होंने आपस में भी बात-चीत की है । आशा है माननीय सदस्य मुझसे यह जानने की अपेक्षा नहीं रखेंगे कि क्या क्या बातें हुई । किन्तु हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि हो सके तो किसी भी प्रकार काली नदी परियोजना के लिये कुछ अतिरिक्त सहायता दी जाय यह एक बड़ी परियोजना है । इसका लाभ कर्नाटक के साथ-साथ पूरे दक्षिण भारत को होगा ।

श्री पी० श्रार० शीनाय : काली नदी परियोजना, पर जो लगभग 1,000 मैगावाट बिजली बनाएगी , कुल कितनी धनराशि खर्च होने का श्रनुमान है तथा इस परियोजना की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के रूप में राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी जायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कालीनदी परियोजना के प्रथम चरण की श्रनुमानित लागत 147 करोड़ रुपया है। चौथी योजना में 30.65 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं तथा शेष 116.35 करोड़ रुपये पांचवी योजना के दौरान खर्च किये जाएंगे । जहां तक केन्द्रीय सहायता का प्रश्न है चौथी योजना के दौरान गत दो वर्षों में योजना के श्रतिरिक्त, पांचवीं योजना में से पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान राज्य को ब्लाक ग्रांट के श्रंश के रूप में कुछ केन्द्रीय सहायता दी गई है । जहां तक निर्धारण का सम्बंध है, इस परियोजना के लिये कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई । केवल ब्लाक ग्रांट की व्यवस्था है । बिजली सम्बन्धी समस्त कार्यों के लिये योजना श्रायोग द्वारा फरवरी 1974 में कर्नाटक के मुख्य मंत्री के साथ वार्षिक योजना पर की गई बातचीत के दौरान 25 करोड़ रुपया दिया जाना स्वीकार किया गया है। यह 1974-75 के लिये है। मैंने इस मामले में नवीनतम स्थिति के बारे में पहले दिये गये उत्तर में सब कुछ बता दिया है ।

श्री जे० माता गौडर : क्या मंजूर की जाने वाली नई विद्युत परियोजनाश्रों पर देश में बिजली उत्पादन के ढांचे में परिवर्तन सम्बन्धी नई नीति का बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सम्भवतः वह जानना चाहते है कि क्या बिजली सप्लाई उद्योग का ढांचा बदलने से बजली परियोजनाश्रों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । यह भी परिवर्तन केवल परियोजनाश्रों की सहायता के लिये किया जाता है । यदि उनका कोई प्रभाव पड़ेगा तो वह श्रच्छा प्रभाव ही होगा ।

श्री पी० वेंकटासुवया : कालीनदी परियोजना एक सतत परियोजना है तथा योजना श्रायोग के श्रनुमानों के श्रनुसार भी देश में विद्युत उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों तथा उपलब्धियों में भारी श्रन्तर रहेगा ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा हमारे कृषि उत्पादन तथा श्रौद्योगिक विकास में प्रगति लाने के लिये, विद्युत उत्पादन की श्रविलम्ब श्रावश्यकता को देखते हुए क्या मंत्री महोदय विश्व बैंक जैसी विश्व ऐजेंसी से सहायता प्राप्त करेंगे जिससे इन परियोजनाश्रों को पूरा किया जा सके जिनकी श्रनुमानित लागत बहुत बढ़ती जा रही है ? उदाहरण के लिये, श्रीसेलम बिजली परियोजना की श्रनुमानित लागत 38 करोड़ रुपये से बढ़कर 126 करोड़ रुपये हो गई है । श्रतः यह श्रलाभप्रद हो गई है तथा इससे मुद्रा स्फीति को बढ़ावा मिलता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या कालीनदी, श्रीसेलम परियोजनाश्रों तथा श्रन्य स्थाई परियोजनाश्रों को राज्य के क्षेत्र से हटा लिया जाएगा तथा विद्युत उत्पादन में तेजी लाने के लिये इनको पुरा किया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक विद्युत कार्यों के लिये श्रतिरिक्त संसाधनों का प्रश्न है, उस पर सरकार श्रौर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है तथा योजना श्रायोग को यह विचार करना है कि कितनी सहायता देना सम्भव है । इस सम्बन्ध में, मैं कुछ नहीं कह सकता ।

जहां तक विश्व बैंक अथवा विदेशी सहायता का प्रश्न है, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इससे केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है किन्तु भारतीय मुद्रा में कोई वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है और प्रत्येक मामले में रुपये की आवश्यकता है । अतः इससे समस्या का कोई समाधान नहीं होगा ।

खादी ग्रामोद्योगि आयोग के कार्यों का विस्तार

*347. **श्री वायलार रवि**
श्री के० पी० उन्नीकृष्णा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का विचार 1974-75 में अपने कार्यों का पर्याप्त विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या आयोग का विचार अपने कर्मचारियों के कार्य की शर्तों में सुधार करने का भी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) यद्यपि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1974-75 की अवधि में इसके सभी कार्यों में बड़े पैमाने पर विस्तार करने का निश्चय किया गया था किन्तु अब विकट वित्तीय स्थिति के कारण ऐसा कर सकना सम्भव न होगा ।

(ग) और (ध) खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अपने कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य भत्तों में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन के अनुरूप संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

श्री वायलार रवि : मैं प्रश्न के दूसरे भाग यथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं । यह दुख की बात है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों को संरक्षण देने हेतु कोई विनियम अथवा कानून नहीं है । कर्मचारियों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के बारे में काफी चर्चाएं चल रही हैं और यदि ये सच हैं तो यह शर्म की बात है कि ऐसा आदमी अध्यक्ष पद पर आसीन है । यह व्यक्ति गांधीग्राम से संबंधित है । कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने का कोई वैध कारण नहीं है; यह सब अध्यक्ष की कृपा पर निर्भर है । एक व्यक्ति को, जिसकी पत्नी और तीन बच्चे हैं, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 में स्थानांतरित किया गया । लगभग हर साल उसे गौहाटी, मद्रास आदि नगरों में स्थानान्तरित किया गया । इससे पता चलता है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के प्रबन्धक कर्मचारियों को बहुत परेशान कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं किकर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए मंत्री महोदय का क्या करने का विचार है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का संबंध है, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर रहा है और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के गर राजपत्रित कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाया जायेगा ।

जहां तक इस विशेष दृष्टांत का संबंध है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के एक कर्मचारी को लगभग प्रति वर्ष स्थानान्तरित किया जाता रहा है, मेरे पास इस समय तथ्य नहीं हैं, परन्तु यदि माननीय सदस्य को उन परिस्थितियों के बारे में मालूम है जिनके अंतर्गत उसको स्थानान्तरित किया गया, तो वे हमें लिख सकते हैं और हम इसकी जांच करेंगे ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : किसी भी हालत में आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के अन्तर्गत, जो कि कुछ बाद में आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है । माननीय सदस्य वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध जिसको सभी जानते हैं और जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं । जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती है तब तक ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है ।

श्री वयालार रवि : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों ने मुझे ऐसा ही कहा था, मैं जानना चाहता था कि क्या यह सच है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : एक उत्तरदायी सदस्य बिना पुष्टि किए ऐसी बात नहीं कह सकता है ।

श्री वयालार रवि : अध्यक्ष ने मेरे पत्र का उत्तर देने तक की भी परवाह नहीं की है, यदि आप समझते हैं कि मैं उत्तरदायी संसद सदस्य हूं तब आपको, अध्यक्ष को मेरे पत्रों का उत्तर देने को कहना चाहिए । यदि हम अध्यक्ष को पत्र लिखते ह और वह हमारे पत्रों का उत्तर नहीं देता है तब क्या किया जाना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे नहीं सुन रहे हैं । मंत्री महोदय ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है और उनका कहना है कि यदि किसी विशेष अधिकारी के विरुद्ध कोई विशेष मामला है तो बेहतर यह रहेगा कि माननीय सदस्य यह मामला मंत्री महोदय के पास उठायें न कि यहां उठाये ।

श्री वयालार रवि : यह एक बड़ा संगठन है, मैं गंभीरता से कह रहा हूं । मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि एक ऐसे उत्तरदायी सदस्य को सदन में ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिएं, परन्तु वे यह भी स्वीकार करेंगे कि जब एक उत्तरदायी संसद सदस्य अध्यक्ष को पत्र लिखता है तो उसके पत्रों का उत्तर देना अध्यक्ष का कर्त्तव्य है । उनका निजी सहायक कोई परवाह नहीं करता है और जब हम पत्र भेजते हैं तो वह उनका उत्तर नहीं देता है । मैंने एक विशेष मामला बताया है और आप उसके परिवार की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यहां वादविवाद का कोई प्रश्न नहीं है । आप अपना प्रश्न करिए ।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने कहा है कि वे मामले को देखेंगे और मैं उनको लिखूंगा । मरा दूसरा प्रश्न है : केरल में तथा विशेषकर पेयानूर और एर्नाकुलम जिलों में धन की कमी के कारण अनेक परियोजनाओं पर काम आरम्भ नहीं हुआ है । इन परियोजनाओं के पूरा होने पर

बहुत से ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। यद्यपि वित्तीय स्थिति कुछ विकट है तथापि मैं जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए वे केरल में खादी तथा ग्रामोद्योग परियोजनाओं को विशेष महत्व देंगे ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह एक सुझाव है और हम इसकी जांच करेंगे।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु में खादी तथा ग्रामोद्योग का विस्तार हुआ है तथा यदि हां तो कहां तक हुआ है और वहां कितने उद्योग स्थापित हुए हैं और कहां-कहां पर हुए हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मेरे पास अभी राज्यवार आंकड़े नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है। आपका तमिलनाडु के बारे में विशेष प्रश्न है।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : यदि मंत्री महोदय के पास सूचना नहीं है तब वे यहां किस लिए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की परिधि को जाने बिना आप मंत्री महोदय पर नाराज हो रहे हैं, यह कुछ अजीब बात है। यह प्रश्न की परिधि से बाहर है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This question comes under the scope of the main question. It relates to the expansion of the activities of the Commission. An outline there of has been asked for. It is natural that members should ask questions about their states.

Mr. Speaker : He is asking about figures. He can ask a specific question. The Minister is not a super human who has got the whole encyclopaedia. He can only give reply to a relevant question.

श्री मोहनराज कलिंगारायर : उनको तैयार होकर आना चाहिए।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : विदेशों में खादी की बड़ी मांग है परन्तु हम उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा, विदेशों में हमारे कुटीर उद्योगों के उत्पादों की भारी मांग है। यदि हम इस मांग को पूरा कर सकें तो हमें बड़ी मात्रा में और मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा, इस तथ्य को देखते हुए कि अन्य किस्मों के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि हुई है और खादी सस्ती हो गई है, ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो खादी बोर्ड के अन्तर्गत काम करने तथा रोजगार प्राप्त करने को तैयार हैं, इसलिए क्या सरकार स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी तथा खादी उद्योग की गतिविधियों का विस्तार न करने की अपनी नीति बदलेगी तथा इसके लिए और अधिक धन आवंटित करेगी ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का पांचवीं योजना में विस्तार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, परन्तु कठिनाई यह है कि हमारे पास खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मुझे संदेह है कि इस बारे में कुछ अधिक किया जा सकता है।

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon. Minister has just now stated that due to paucity of funds, they are unable to expand its activities. In view of the fact that K. V. I. C. can do a lot for the poor of the country, I want to know whether he would suggest that they may expand their activities through institutional finances and give them facilities so that their work may not stop.

Shri Ziaur Rehman Ansari : So far as the proposals of fifth five year plan are concerned, as in the case of other sectors, much emphasis has been given in the programme for K. V. I. C. on Institutional Finances and sufficient Funds are proposed to be given for the furtherance of this programme and to help artisans.

श्री माधुर्य्य हालदार : खादी उद्योग के कामगारों को गैर-सरकारी साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ता है और उन्हें अधिक ब्याज दर देनी पड़ती है तथा उन्हें अपने उत्पादों को बहुत कम मूल्य पर बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार कामगारों को छला जा रहा है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को परामर्श देगी कि वह खादी कार्यक्रम का विस्तार करने की दृष्टि से, गांवों को खादी कामगारों और छोट बुनकरों को जरूरत पड़ने पर पैसा दे ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सिर्फ परियोजनाओं को आरम्भ नहीं करता है। यह संबंधित राज्य सरकारों/संस्थाओं को इन परियोजनाओं को आरम्भ करने हेतु सहायता देता है और यदि इस बारे में कोई सुझाव है तो माननीय सदस्य राज्य सरकार को दे सकते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आयोग के कार्य में धन की कमी अथवा कुप्रबन्ध के कारण रुकावट पड़ती है ? क्या यह सच है कि अशोक महता समिति की सिफारिशों को, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष और अनेक सदस्य शामिल थे, न सरकार ने और न स्वयं सदस्यों ने अभी तक क्रियान्वित किया है ? क्या यह सच नहीं है कि लोक लेखा समिति ने आयोग के कार्यों का बहुत विस्तृत अध्ययन किया था ? उन्होंने कुछ सिफारिशें की थीं जिन्हें आयोग के सदस्यों ने कभी भी क्रियान्वित नहीं किया। हो सकता है कि, क्योंकि उन्होंने खादी बोर्ड में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर रखी है, इनसे खादी बोर्ड के कार्य में मदद न मिलती हो। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या किया गया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : किसी भी संस्था के कार्य में सुधार की गुंजाइश रहती है। जहां तक अशोक मेहता समिति की सिफारिशों का संबंध है, वे यहां पूछे गए प्रश्न से सर्वथा भिन्न हैं। ये विभिन्न अन्य ग्रामोद्योगों से संबंधित है। उनको खादी से जोड़ा जा रहा है और उनका एक कार्यक्रम है जिससे विभिन्न राज्य सरकारों ने पूरा करना है और ग्रामोद्योग आयोग इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को मदद दे रहा है। प्रश्न यहां यह है कि क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा रहा है ? मुझे दुख है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न ऐसे पूछा है जिससे खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यों पर आक्षेप होता है। यह धन के उपलब्ध न होने के कारण हुआ है, यह एक आम रुकावट है। उनके कार्यों के माग में संसाधन रुकावट बनते हैं।

Shri K.M. Madhukar : In the Bihar State Khadi Village Industries Union, two hundred workers have been retrenched, eight lakhs of rupees of Provident Fund have not been given and rupees two crores have been misappropriated.

This misappropriation took place when Shri Jayaparkash Narayan was its Chairman. So, I want to know whether the Hon. Minister is considering to take the workers back, realise the arrears of Provident Fund and make arrangements to get all accounts checked ?

Shri Ziaur Rahman Ansari : This requires notice.

श्री के० गोपाली : खादी ग्रामोद्योग ग्रायोग का एक कार्य यह है कि ईंधन की कमी को देखते हुए गोबर गैस संयंत्र की स्थापना की जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे गोबर गैस संयंत्रों के लिए कुछ राशि ग्रावंटित करेंगे ?

श्री जियाउर्रहमान ग्रंसारी : जहां तक गोबर गैस संयंत्रों का संबंध है, 1974-75 में ग्रायोग का विचार ग्रपने ही सहायता कार्यक्रम से 5,585 गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने का है, इसके ग्रतिरिक्त, कृषि मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत, ईंधन तथा उर्वरक की कमी के संदर्भ में चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण देश में 20,000 गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करने का है।

श्री पी० जी० मावलंकर : हम जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे केन्द्र ग्रौर क्षेत्र हैं जहां ग्रच्छी किस्म की खादी तैयार होती है। हम यह भी जानते हैं कि ग्रामोद्योग इतने कम हैं कि इस उद्योग के लिए केवल कुछ स्थानीय केन्द्र हैं। ग्रतएव, क्या मैं जान सकता हूं कि उन विशेष उद्योगों का विकास करने के लिए खादी ग्रामोद्योग ग्रायोग का कोई कार्यक्रम है जिन की स्थिति इस कारण खराब हो रही है कि उन उद्योगों को जारी रखने हेतु कोई सहायता नहीं दी गई है ? मैं जानना चाहता हूं कि यदि खादी ग्रायोग का कोई कार्यक्रम है तो वह क्या है ? दूसरे क्या सरकार यह बताएगी कि ग्रायोग के ग्रध्यक्ष तथा ग्रन्य सदस्यों को क्या-क्या परिलब्धियां प्राप्त हैं ग्रौर खादी ग्रायोग के बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले वेतनों के साथ इन परिलब्धियों की तलनात्मक स्थिति क्या है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न के दूसरे भाग के लिए नोटिस की ग्रावश्यकता है, क्योंकि मेरे पास ग्रांकड़े नहीं हैं। परन्तु जहां तक मुझे याद पड़ता है, ग्रध्यक्ष ग्रौर ग्रन्य ग्रधिकारियों को मिलने वाल वेतनों में कोई बड़ा ग्रन्तर नहीं है। यह सत्र ध्यान में रखा गया है, विशेषकर कि यह खादी से संबंधित है जो भारत के निर्धन व्यक्तियों के प्रयोग की वस्तु है। जहां तक हस्तशिल्प का संबंध है जिसका कि ग्रब लोप हो रहा है, हमने कुछ परियोजनाएं ग्रारम्भ की हैं। परन्तु यह ग्रंततोगत्वा इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादों के लिए मांग कितनी है। इस बात को ध्यान म रखते हुए, इन कारीगरों को नए तथा ग्राधुनिक तरीकों ग्रौर ग्राधुनिक ग्रौजारों से सहायता देने का कार्यक्रम है ताकि वे ग्रपनी प्रौद्योगिकी तथा उत्पादों की किस्म में सुधार कर सकें। खादी ग्रामोद्योग ग्रायोग का यह एक कार्यक्रम है।

'सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट' के ग्रन्तर्गत ग्राने वाले गांव

*348. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमट' के ग्रन्तर्गत ग्राने वाले गांवों की सूची को ग्रन्तिम रूप दे दिया गया है ; ग्रौर

(ख) 'बेस प्रोडक्शन सेन्टरों' की स्थापना करने, 'सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्स-पेरीमेंट' के लिये कार्यक्रमों का चयन तथा निर्माण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन सेटों की देखभाल करने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के बारे में कितनी प्रगति हुई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) टेलीविजन ग्रहण के लिये चुने जाने वाले 2,400 गांवों में से 1400 गांवों को पहले ही चुना जा चुका है। शेष गांवों के चुनने का काम जारी है।

(ख) हैदराबाद, कटक तथा दिल्ली में बेस प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किये गये हैं और कार्यक्रमों को तैयार करने का काम पहले ही आरम्भ हो चुका है।

जिन व्यक्तियों को टेलीविजन सेटों की देखभाल करने के लिये नियुक्त किया जायेगा, उनको टेलीविजन सामुदायिक सैटों के लगाने के समय आई० एस० आर० ओ० द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि जब 'सेट' वास्तव में लगाये जा चुकेंगे तभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। मंत्री महोदय को पता होगा कि टेलीविजन के कार्यक्रमों में छात्रों के लिये विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। अतः इस प्रकार के संक्षिप्त प्रशिक्षण से कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रति न्याय नहीं हो सकेगा। टेलीविजन का रख-रखाव एक जटिल मामला है और स्थल पर ऐसे अपूर्वचिंतित प्रशिक्षण से प्रयोजन हल नहीं होगा। पहले से चुने गए 1400 गांवों में क्या ऐसे कर्मचारी मिल सकते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) माननीय सदस्य दो-तीन बातों को एक ही बात में मिला रहे हैं। जिन व्यक्तियों को इन गांवों में नियुक्त किया जायेगा वे इसकी देखभाल करेंगे और वे कार्यक्रम आरम्भ करेंगे तथा जब कार्यक्रम समाप्त हो जायेगा तब वे 'सेट' का 'स्विच' बंद कर देंगे और 'सेट' की देख भाल भी करेंगे।

जहां तक रख-रखाव का सम्बन्ध है, आई० एस० आर० ओ० ने उन सेटों, जो चल रहे होंगे, की देख भाल करने के लिये अलग-अलग दल संगठित किये हैं।

जहां तक विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, जिन्हें टेलीविजन पर गांवों में प्रसारित किया जायेगा हम उन्हें उन विस्तार सेवाओं के साथ सम्बद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन क्षेत्रों में उपलब्ध होंगी ताकि जब कृषि पर कोई कार्यक्रम चल रहा हो तो उसकी व्याख्या संभव हो सके और बाद में चर्चा की जा सके और इसी प्रकार स्कूलों आदि के लिये शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के मामले में भी ऐसा ही होगा। अतः मैं नहीं समझता कि कोई कठिनाई होगी इन 'सेटों' के लिये जिन लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है उन्हें आई० एस० आर० ओ० द्वारा एक महीना या उससे पूर्व प्रशिक्षित किया जायेगा क्योंकि इन 'सेटों' की देखभाल के लिये उन्हें प्रशिक्षित करना बहुत जटिल काम नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इसी उत्तर से संतुष्ट हो जाऊंगा और अभी मुझे दूसरा प्रश्न भी पूछना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टेलीविजन जन सम्पर्क का शक्ति-शाली साधन है और कार्यक्रमों का पूर्व-परीक्षण और मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि, अन्यथा,

ग्रामीण जनता पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कार्यक्रमों का पूर्व-परीक्षण कर लिया गया है और क्या मूल्यांकन के सही-सही मानदंड को अंतिम रूप दे दिया गया है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जारी की गई पत्रिका के पृष्ठ 17 से मुझे पता चलता है कि परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के सही-सही मानदंड को अभी निर्धारित किया जाना है।

श्री आई० के० गुजराल : अन्तरिक्ष विभाग ने पुनः पूर्व-परीक्षण करना आरंभ कर दिया है। वह पूर्व-परीक्षण कर रहा है और राजस्थान तथा बिहार राज्यों में वह पहले ही यह कार्य कर चुका है। प्रयोग आरंभ होने से पूर्व वह इसे अन्य राज्यों में भी आरम्भ कर देगा।

स्वयं कार्यक्रम की समाप्ति-परीक्षा और प्रभाव के अध्ययन की एक और बात इसमें सम्मिलित है। समाज शास्त्री तथा अन्य लोग इसका साथ-साथ अध्ययन करते रहेंगे। मूलतः विचार यह है कि चूंकि इस प्रकार के साधन को ग्रामीण समाज के समक्ष हम पहली बार प्रस्तुत कर रहे हैं इसलिये हम इसके प्रभाव को समझने के लिये उत्सुक हैं ताकि जब हम अनुवर्ती कार्यक्रम आरंभ करें तो हम जान सकें कि हमें क्या-क्या अन्वेषण करना है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने यह पूछा था कि क्या मानदंड को अंतिम रूप दे दिया गया है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री आई० के० गुजराल : उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है। जब मैंने कहा कि 3400 गावों में 'सेट' हैं और 1400 गांव पहले ही चुने जा चुके हैं तो यही मानदंड हुआ। यह भिन्न नहीं हो सकता है।

Meeting of President of Bharatiya Khet Mazdoor Union with Minister of State in the Ministry of Home Affairs

***351. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the President and Secretay of Bharatiya Khet Mazdoor Union (Indian Agricultural Labourers Union) had called on the Minister of State in the Ministry of Home Affairs and held talks with him on the 12th July, 1974 about the atrocities being committed on Harijans ;

(b) whether they had also submitted any memorandum to him; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) Yes, Sir, on July 11, 1974. They also gave a letter on the subject.

(c) Government's reaction to the question of social boycott, harassment and oppression of Scheduled Castes is well known. The State Chief Ministers have been addressed by the Prime Minister and advised to take preventive measures, and prompt action whenever incidents of this nature occur. They

have also been advised to take suitable action against officials found negligent in dealing with such situations. The necessity for implementing these suggestions and the need for setting up of cells in States for this purpose have been emphasised. The Home Minister has also re-iterated these suggestions on various occasions.

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether the office-bearers of the Bharatiya Khet Mazdoor Union who met the Hon. Minister had given some details about the atrocities being committed on the persons belonging to Scheduled Castes or Harijans ? If so, what does he say about them? Has the Government got an inquiry instituted ? If action has been taken, what is the result thereof?

Shri Ram Niwas Mirdha : The President and Secretary of the Bharatiya Khet Mazdoor Union met me and they discussed the problems in detail. They also gave a memorandum. Four incidents were mentioned in the memorandum about which they pointed out certain facts and they wanted to know as to what the Government was doing ? Apart from this general problems have also been mentioned in that memorandum. They discussed this matter with me. There are several topics. If the Hon. Member wants to know about them, I shall tell him in details. But I think that will not be proper.

Shri Ramavatar Shastri : Please tell us about the four incidents.

Shri Ram Niwas Mirdha : Those four incidents are like this. The incident that took place on the 4th July, 1974 at Ramanpalli village in Kaddapa District in Andhra Pradesh was the first one. The second incident took place in June, 1974 at Gharalikapura village in Madhya Pradesh. The third incident happened in June 22, 1974 at Ranmalpur village in Gujarat. And the fourth incident took place at village, Dhanipur, District Pratapgarh, U. P. They wanted to know as to what action the State Governments had taken, what relief was provided to them, was any action taken against the Government employees and officers if any shortcoming or mistake was found ? We have inquired into all these facts as to what is the position about these incidents? The incident which is about Ramanpalli village in Kadappa District took place on July 4, 1974. Cases were registered against 69 persons. 40 persons have been arrested and efforts are being made to arrest the rest of them. It is stated in the information we have received from the State Government that no mistake appears to have been committed by any Officer. They have done pretty well. Therefore, they do not purpose to take any action against them.

They have asked as to what relief has been given to them. In the Ramanpalli incident, their huts were set on fire as a result of which they had sustained heavy losses. Some relief was immediately provided to them by the State Government, jowar, rice, oil and cloth were distributed. But they had taken up a progromme to formulate a permanent scheme and it is our belief that the Social Welfare Department of the State will formulate a scheme soon so that they may provide cattle to them, they can construct fire-proof houses for them. Such a scheme is being formulated.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has said that he has given instruction to the State Government for the creation of a there. In which States such cells have been created ?

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं । प्रश्न काल समाप्त हुए दो मिनट हो गए हैं, ऐसा बहुत कम होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आर्थिक और सामाजिक अपराधों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मुकद्दमें चलाना

*349. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जमाखोरों, चोर बाजारी करने वालों, कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशियां रोकने वालों और अस्पृश्यता का अपराध करने वालों के विरुद्ध कितने मुकदमें चलाये गये हैं; और

(ख) केन्द्र शासित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में और यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य सरकारें आर्थिक और सामाजिक अपराधों के विरुद्ध उन उपबन्धों का कड़ाई से पालन करें, केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 में जमाखोरी, चोरबाजारी इत्यादि के अपराधों समेत सामाजिक अपराधों से संबंधित कुछ विशिष्ठ परिस्थितियों में व्यक्तियों से अच्छा व्यवहार करने के लिये जमानत लेने की व्यवस्था है । दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, 1 अप्रैल, 1974 से लागू हुई थी । इस उपबन्ध के अधीन प्रारम्भ किये गये मुकदमों की संख्या के बारे में सूचना अभी प्राप्त नहीं की गई है ।

(ख) सरकार का विचार राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का ध्यान आर्थिक तथा सामाजिक अपराधों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के समर्थ प्रावधानों की ओर आकर्षित करने का है ।

Adiwasi Development Blocks in M. P.

***350. Shri Krishna Agrawal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Planning Commission to open 75 Adivasi Development Blocks in the State during the Fifth Five Year Plan ; and

(b) if so, the reaction of the Planning Commission thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बिजली की बचत करने के लिए नंगल उर्वरक कारखाने का बन्द किया जाना

*352. **श्री महेन्द्र सिंह गिल**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की बचत के लिये नंगल उर्वरक कारखाना बन्द कर दिया गया है जिससे पंजाब और हरियाणा में अन्य कृषि कार्यों के लिये इसका प्रयोग किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कितने दिनों के लिये बन्द रहेगा, इससे बिजली की कितनी बचत होगी और इसका प्रयोग किन कार्यों के लिये किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) नंगल उर्वरक कारखाना 22-7-1974 से 1-8-1974 तक बन्द कर दिया गया था और इस प्रकार नंगल उर्वरक कारखाने के लोड में कमी करके बचाई गई ऊर्जा धान की बुआई के लिये आवश्यक कृषि-संबंधी पम्पिंगलोड की पूर्ति के लिये पंजाब और हरियाणा को दे दी गई । बंदीकरण के दौरान बचाई गई उर्जा 13.9 लाख यूनिट प्रतिदिन थी । इसमें से पंजाब को 8.6 लाख यूनिट और हरियाणा को 5.84 लाख यूनिट दिये गये । नंगल उर्वरक कारखाने को बिजली की सप्लाई बहाल की जा चुकी है ।

पांचवीं योजना के लिए बिजली का लक्ष्य

*353. **श्री अनादि चरण दास**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वास है कि वह पांचवीं योजना के बिजली के लक्ष्य को पूरा कर लेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान देश की बिजली परियोजनाओं पर कितना खर्च किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के प्रारूप में 16.5 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रावधान की परिकल्पना की गई है । इस अतिरिक्त विद्युत जनन क्षमता को अनुसूची के अनुसार प्राप्त करने के लिये हर प्रयास किया जाएगा ।

(ग) 1974-75 की वार्षिक योजना में विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिये 381.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

***तांबे के तार की चोरी के कारण डाक तथा तार विभाग को हुई हानि**

***354. श्री पी० गंगादेव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक और तार विभाग को प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपयेकी हानि होती है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस हानि का कारण तांबे के तारों की चोरी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार और क्या अतिरिक्त कार्यवा ी करने का है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) जी हां, यह घाटा ताबें के तार की चोरी के कारण होता है ।

(ग) (i) तांबे के तार की जगह क्रमशः तांबा-झले तार और ए० सी० एस० आर० तार का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी चोरी कम होती है ।

(ii) कोएक्सियल/माइक्रोवेव प्रणालियों के चालू होने पर फालतू तांबे के तार हटाए जा रहे हैं ।

(iii) टेलीग्राफ तार (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है ताकि अपराधियों को ज्यादा और सख्त सजाएं दी जा सके ।

(iv) राज्यों के मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों को लिखा गया है कि वे पुलिस के इंस्पेक्टर जनरलों से इस समस्या पर विशेष ध्यान देने को कहें और तांबे के तार की चोरी को रोकने के लिये कारगर कार्यवाही करें ।

(v) विभागीय अधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर सम्पर्क बनाए रखते हैं ताकि जांच-कार्य और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का काम तेजी से किया जा सके, और

(vi) मेसर्स हिन्दुस्तान केबुल्स लि० ने रूपनारायणपुर में तांबा-झले तार के देशी उत्पादन का काम हाथ में ले लिया है ।

समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन की दरों का पुनरीक्षण

***355. श्री एस० एस० सिंह देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु भाषाई/क्षेत्रीय समाचार पत्रों के लिये केन्द्रीय सरकार को विज्ञापन दरें मूल्य स्तर में वृद्धि की तुलना में बहुत कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दरों का पुनरीक्षण करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) विज्ञापन दरें स्वयं समाचार पत्रों द्वारा अपनी खपत संख्या, कवर किये जाने वाले क्षेत्र, पाठकों की श्रेणी, इत्यादि के आधार पर निर्धारित की जाती है न कि सरकार द्वारा । तथापि, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय केवल उन्हीं समाचार पत्रों तथा नियत कालिक पत्रों का उपयोग करता है जिनकी दरें सरकार को प्रचार आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से मितव्ययी पाई जाती हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1973 के लिये फिल्म पुरस्कारों की घोषणा

*356. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के लिये रूपक और वृत्त चल-चित्रों के लिये पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां। एक विवरण जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (1973) का ब्यौरा दिया गया है, सदन की मेज पर रख दिया गया है (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8189/74)

(ख) पुरस्कारों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) फिल्म के माध्यम को सौन्दर्यात्मक तथा सामाजिक सम्पर्क के साधन के रूप में मानते हुए, विभिन्न क्षेत्रों की सृजनात्मक प्रतिभाओं को समुचित मान्यता दी गई है।

(2) पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है और जैसा कि निर्माताओं के मामले में होता है, निर्देशकों को दो नकद पुरस्कार दिये गये हैं। विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों की राशि 2 लाख 51 हजार से बढ़ाकर 4 लाख 86 हजार कर दी गई है।

(3) एक नया पुरस्कार 'सर्वोत्तम कहानी के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रारम्भ किया गया है।

(4) पुरस्कार फीचर फिल्मों के लिये राष्ट्रीय ज्यूरी तथा लघु फिल्मों के लिये राष्ट्रीय ज्यूरी की सिफारिशों पर दिये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन में एकरूपता आई है। राष्ट्रीय ज्यूरी में देश के विभिन्न भागों के ऐसे प्रतिभावान तथा योग्य व्यक्तियों को लिया गया था जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली फिल्मों की भाषाओं से सुपरिचित थे।

(5) सरकार ने प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त फिल्म का एक प्रिन्ट राष्ट्रीय संग्रहालय में निशुल्क जमा करने की व्यवस्था समाप्त कर दी है; फिल्में जमा की जायेंगी, परन्तु उनकी कीमत की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जायेगी।

सुवर्णरेखा नदी के बाढ़ से प्रभावित किनारों का केन्द्रीय दल द्वारा दौरा

*357. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय मंत्री और एक केन्द्रीय दल ने 1973-74 में सुवर्णरेखा नदी के बाढ़ से प्रभावित किनारों का दौरा किया था;

(ख) क्या उन्होंने नदी की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट दी थी; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) से (ग) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने अक्तूबर, 1973 में उड़ीसा में सुवर्णरेखा नदी द्वारा प्रभावित क्षेत्रों समेत बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। 1973 के दौरान उड़ीसा में बाढ़ों द्वारा हुई हानि का, मौके पर जाकर मूल्यांकन करने तथा राहत कार्यों तथा पुन: स्थापन उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता की सिफारिश करने के लिये केन्द्रीय दलों ने सितम्बर तथा नवम्बर, 1973 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया ।

केन्द्रीय दलों ने अपनी रिपोर्ट में उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़-नियंत्रण उपायों के संबंध में सामान्य प्रेक्षण किये हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि उड़ीसा सरकार प्रभावित क्षेत्रों में जल-निकास कार्यों का मास्टर-प्लान तैयार करे। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में बाढ़ नियंत्रण का प्लान तैयार किया जा रहा है ।

उससे पूर्व, अगस्त, 1973 में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने सुवर्णरेखा बेसिन में बाढ़-नियंत्रण की एक स्कीम तैयार की थी ।

इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स की विदेशी साम्य पूंजी में कमी

*358. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **इलेक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स विभाग ने इन्टरनेशनल विजनेश मशीन्स की विदेशी साम्य पूंजी में कमी करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आई० बी० एम० ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे और यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर कोई निर्णय किया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मैसर्स इंटरनेशनल विजनेस मशीन्स भारत में आई० बी० एम० ट्रेड कारपोरेशन, न्यूयार्क की शाख के रूप में कार्य करती है। कंपनी का पंजीकरण भारत में नहीं है तथा इसमें शत प्रतिशत विदेशी साम्य है। कंपनी के साथ पहले हुई चर्चाओं में, यह कंपनी विदेशी साम्य पूंजी में कमी करने पर राजी नहीं हो सकी है। इसलिए सरकार ने यह रुख अपनाया है कि शत-प्रतिशत विदेशी साम्य के साथ, कंपनी द्वारा परिष्कृत उपस्कर के निर्माण को अनुमति दी जाय किन्तु

इसका आधार 100 % निर्यात हो, भारत में बिक्री/पट्टे के लिए "एज-इज" उपस्कर का नवीकरण भी क्रमावस्थित किया जा रहा है। कंपनी के इन कलापों तथा अन्य कार्यों की परीक्षा की जा रही है और ये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन होंगी।

(ख) एवं (ग) अपनी विदेशी साम्य पूंजी में कमी करने के संबंध में फर्म से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इस मामले पर सरकार द्वारा निर्णय लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

नवीनतम जानकारी हासिल करने के लिये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर द्वारा उठाये गये कदम

*359. **श्री पी० के० देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर ने विभिन्न क्षेत्रों में टेलीफोन उद्योग के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने अनुसंधान और विकास कार्य पर पर्याप्त् बल दिया है। कम्पनी की अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में काफी बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 4.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कम्पनी का, दूर संचार क्षेत्र में विकसित देशों के अद्यतन विकासों से, सम्पर्क बना है।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग के लिए भूमि का अर्जन

*360. **श्री सरजू पांडे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारी वित्तीय संकट होने पर भी चौरंगी रोड पर कलकत्ता टेलीफोन्स, कलकत्ता के लिए एक मंहगी भूमि खरीदने का है ;

(ख) क्या यह भूमि संबंधित कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज के समीप ही स्थित है ;

(ग) केबल डालने संबंधी कार्यक्रम सहित तकनीकी व्यवहार्यताओं संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) भूमि अर्जन का आदेश किन बातों को ध्यान में रखकर दिया गया है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) कलकत्ता में 33ए, चौरंगी रोड पर भूमि अधिग्रहण कार्रवाई के जरिये 0.6 एकड़ भूमि लेने का सरकार का विचार है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तकनीकी व्यवहार्यताओं की जांच कर ली गई है।

(घ) इस इलाके में और इसके आस-पास टेलीफोनों की बहुत मांग है।

अपने उत्पादों के निर्यात की गारंटी देने वाले उद्यमियों को लाइसेंस जारी किया जाना

***361. श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन उद्यमकर्त्ताओं को लाइसेंस देने का कोई निर्णय किया है जो लाइसेंस की तारीख के तीन महीने के अन्दर-अन्दर अपने 60 प्रतिशत उत्पादों का निर्यात करने की गारन्टी देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी फर्मों के आवेदन पत्र लाइसेंस जारी करने हेतु सरकार के विचारार्थ पड़े हैं; जिन्होंने निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने की पेशकश की है और उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी पार्टियों को लाइसेंस की मंजूरी दी जा चुकी है ;

(ग) क्या यह योजना एकाधिकार गृहों पर भी लागू होती है; और

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितने गृहों को लाइसेंस दिए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (घ) सरकारी नीति उन औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए की है जो मुख्यत: निर्यातोमुखी होते हैं औद्योगिक लाइसेंसों आदि की स्वीकृति के विषय में इन श्रेणियों के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है । एकाधिकार वाले घरानों, विदेशी कंपनियों आदि के विषय में सरकारी नीति फरवरी, 1973 के औद्योगिक नीति, विषयक विवरण के परिशिष्ट में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न उन क्षेत्रों में औद्योगिकी लाइसेंसों के जारी किये जान पर विचार करने की रही है जिनमें कि कम से कम 60 प्रतिशत वार्षिक निर्यात सम्बन्धी अनिवार्यता पूरी करने की पेशकश की गयी हो । लघु उद्योगों हेतु आरक्षित क्षेत्रों में निर्यात संबंधी अनिवार्यता कम से कम 75 प्रतिशत होनी चाहिये । सरकार इस पर भी विचार करती है कि शष उत्पादन जिसे देश के ही बाजारों में निकाला जायेगा वह इस प्रकार का न हो कि अन्य उत्पादकों को डुबो दे ।

1-1-73 से 31 मार्च 1974 तक की अवधि में औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु 105 आवेदन प्राप्त हुये जिसमें 60 प्रतिशत या इससे अधिक उत्पादन के निर्यात के लिए पेशकश की गयी ।

इनमें से 38 योजनाओं को स्वीकृत कर दिया गया है तथा 31 मार्च 1974 को 29 योजनायें अनिर्णीत थीं । 38 योजनाओं को या तो अस्वीकृत कर दिया गया या उन्हें वापिस ले लिया गया । 31–3–74 तक अनिर्णीत आवेदनों में से 7 आवेदन एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के थे ।

Additional Facilities for Development of Small Industries

***362. Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the additional facilities proposed to be provided to small industries during 1974-75 for their development; and

(b) the special facilities that were proposed to be given to them last year and the facilities that were actually given?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) Additional facilities proposed to be provided to small industries during 1974-75, include among others, provision of intensive technical, managerial, marketing and economic extension through strengthening of existing Small Industries Service Institutes services and setting up of new branch institutes. Moreover, assistance is also envisaged in the form of modernisation, export promotion, ancillary development including establishment of sub-contracting exchanges extension of the Rural Industries Project Programme to additional 57 districts, liberalised import, marketing assistance through trade centres and testing facilities through the regional testing centres.

(b) The Small Industries Development Programme is a continuous process. Several incentives and facilities are given for promotion of small industries from time to time depending upon the requirements of this sector and availability of resources. However, special facilities given to the small industries sector during 1973-74, included reservation of 53 additional items for exclusive development in this sector, liberalisation of imports, increased allocation of scarce raw materials, provision of package assistance to self employment ventures in small industries and increase in credit supply. 17 State Research Development and Design Committees were constituted to help solve technical and engineering problems posed by small industries.

प्रधान मंत्री की यात्राओं के अवसरों पर नगरों को नया रूप देना

*363. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री जब भी देश के किसी भाग के नगर का दौरा करती हैं तो उस स्थान का तुरंत दृश्य बदल दिया जाता है तथा गलियों में रहने वाले व्यक्तियों, गली के बाजारों, पटरी पर लगी दुकानों, कूड़ा-करकट और ऐसी ही गंदी लगने वाली वस्तुओं को हटा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य इन स्थानों की परिस्थिति के बारे में प्रधान मंत्री के मन पर अच्छा प्रभाव डालने के लिये किया जाता है ; और

(ग) क्या हावड़ा-अमता रेलवे का उद्घाटन करने के लिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा मैदान की उनकी हाल की यात्रा के दौरान हावड़ा रेलवे स्टेशन तथा हावड़ा मैदान क्षेत्रों से गलियों में रहने वाले सभी व्यक्तियों, दुकानों, स्टालों, गली के बाजारों, कूड़ा-करकट तथा अन्य गन्दी लगने वाली वस्तुओं को हटा दिया गया था ?

गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित : (क) तथा (ख) प्रधान मंत्री के राज्यों के दौरों का प्रबन्ध संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खुद तय किया जाता है परन्तु सुरक्षा के बारे में अनुदेश इस मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायगी ।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई धनराशि

*364. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कोई धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या समूचे जिले के लिए विद्युतीकरण का कोई चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने 1–4–74 से पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के बाद बिलासपुर जिला में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कोई स्कीम स्वीकृत नहीं की है ।

इससे पूर्व 31–5–1973 को निगम ने बिलासपुर जिले को बिलासपुर तथा घुमारविन तहसीलों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए एक स्कीम स्वीकृत की थी, जिसमें 59·998 लाख रुपये की ऋण सहायता से 172 गांवों का विद्युतीकरण परिकल्पित था ।

मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए एक और संयुक्त स्कीम 22-9-71 को स्वीकृत की गई थी, जिसमें 28·660 लाख रुपये की ऋण सहायता से 60 गांवों का विद्युतीकरण परिकल्पित है । इनमें से तीन गांव बिलासपुर जिले में हैं ।

ये दोनों स्कीमें 4 से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण की जाने के लिए चरण-बद्ध की गई है ।

(ग) और (घ) समूचे बिलासपुर जिले में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कोई चरण-बद्ध कार्यक्रम अभी तक हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार नहीं किया गया है ।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

2399. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**
श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से अन्तर्राज्यीय जल विवाद अभी भी निर्णयाधीन पड़े हैं ;

(ख) प्रत्येक विवाद की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इनको हल करने के लिये केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों द्वारा संबंधित नदियों के जल का उपभोग करने के कार्यक्रमों पर इन विवादों का कितना प्रभाव पड़ रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मुख्य विवाद जो अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, काबेरी, रावी-व्यास के अतिरिक्त जल तथा दामोदर से संबंधित हैं।

(ख) ये विचार मुख्य रूप से राज्यों के बीच जल के आवंटन तथा नई परियोजनाओं की स्वीकृति से संबंधित हैं। इनम से कुछ वर्तमान अथवा प्रस्तावित समुपयोजन के विरोध में जाते हैं।

(ग) जब राज्यों द्वारा आपसी विचार-विमर्श द्वारा विवादों का हल नहीं हो पाता, केन्द्रीय सरकार उनके समाधान के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करती है, और इसमें सफलता मिलने पर अन्तराज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायाधिकरणों का गठन किया जाता है।

कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा अब वे राज्यों और भारत सरकार द्वारा स्पष्टीकरण-मार्गदर्शन देने के लिए उठाए गए मुद्दों की जांच कर रहे हैं।

नर्मदा तथा गोदावरी विवादों के लिए न्यायाधिकरण द्वारा न्याय-निर्णय संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

अन्य विवादों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

जबकि विवादग्रस्त बेसिनों में सिंचाई और विद्युत शक्यता को विकास के कुछ क्षति हुई है किन्तु पूरे देश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि सिंचाई और विद्युत विकास के लिए उपलब्घ घन का उपयोग अन्य नधी बेसिनों में इस शक्यता के विकास पर किया जा चुका है।

रोजगार हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता

2400. **श्रीमती भार्गवी तकप्पन** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता करने का निर्णय किया है ताकि उन लोगों को नौकरी दी जा सके जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक समय से रोज़गार कार्यालयों के पास अपने नामों को पंजीकृत कराया हुआ है किन्तु जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा नौकरी नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार की सहायता केन्द्र द्वारा दी जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों की खास कर उन लोगों को नौकरी देने में सहायता की जाय जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक समय से रोज़गार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत करा रखे हैं। बहरहाल, सरकार द्वारा 1974–75 में आरम्भ किए गये रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्यों/संध शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे उन इंजीनियरों और उच्च-योग्यता प्राप्त प्रोद्यौगिकी विदों को नौकरी देने की स्कीम को प्रथम प्राथमिकता दें जिनक नाम 31–12–1972 तक रोज़गार कार्यालयों के पास पंजीकृत हैं और अभी बेरोज़गार हैं।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे रोजगार प्रोत्साहन कायक्रम के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार करें। योजना आयोग में इन प्रस्तावों के प्राप्त होने तथा जांच करने के बाद उन्हें समुचित केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार उद्यमों पर मुख्य बल दिया जायेगा। उद्यमियों को मूल पूंजी/सीमान्त धन दिया जायेगा ताकि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उनके वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकें। जहां कहीं आवश्यक होगा उनके प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जायगी।

नागाओं की समस्याओं पर विचार-विमर्श

2401. **श्री नरेंद्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वासित नागा नेता, श्री फिजो ने लन्दन से भारत के प्रधान मंत्री को पत्र भेजे है जिसमें उन्होंने नागाओं की समस्याओं पर प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, नहीं श्रीमान।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षित विद्युत उत्पादक पद्धति से इस्पात संयंत्रों को बिजली की सप्लाई

2402. **श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों को रक्षित (कैप्टिव) विद्युत उत्पादक पद्धति से बिजली की पर्याप्त सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी सहयोग

2403. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाये जाने के विचार से विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने नवम्बर, 1973 से जुलाई, 1974 तक इस योजना में भाग लिया है ; और

(घ) उनकी परिसम्पत्ति क्या है तथा किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनात्मक बनी हुई है। केवल उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा उन उद्योगों में, जिनमें प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अन्तर विद्यमान हैं, सहयोग करने की अनुमति दी जाती है अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का आयात करने पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है कि 5 से 10 वर्षों की अवधि में इस प्रकार के निर्यात की युक्तिसंगत संभावनाओं की गारन्टी प्राप्त हो। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1973 से जून 30, 1974 की अवधि में निम्नलिखित विदेशी फर्मों के साथ अर्थात भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाएं/विदेशी कम्पनियों की सहायक भारतीय कम्पनियां / विदेशी शेयर बहुल कंपनियों आदि को निर्यात की जाने की सम्भावना के साथ विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के लिए सहमति की गई थी।

क्रमांक	फर्म का नाम	बनाई जाने वाली वस्तु
1	हनीवैल इंडिया (प्रा०) लि० बम्बई	वातानुकलन तथा प्रशीतन नियन्त्रण यन्त्र
2	बस्टोकेल इण्डिया लि० कलकत्ता	न्यूमेटिक सर्वे आपरेटेड रिकार्डर सेट
3	म० इण्डो नियन फूड्स (प्रा०) लि० नई दिल्ली	कबाब बनाने के लिए भेड़ों तथा बकरियों को केसिंग
4	श्री सी० एम० सिंह द्वारा पायोनियर स्पोर्टस वर्क्स (प्रा०) लि० जालन्धर	टेनिस, स्कवेश, बैडमिन्टन के बल्ले।

Storage of Cement in Delhi

2404. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether acute shortage of cement in Delhi is continuing and is being sold at the rate of fifty rupees per bag in black market; and

(b) if so, the reasons for shortage for the last two years and the arrangements being made by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) and (b) The present availability of cement is not adequate to meet the demand due to various constraints on production, beyond the control of Industry like power cuts, inadequate availability of coal and closed wagons etc. The shortage of cement in Delhi is, therefore, part of the overall shortage of cement faced by the country. While Government has not specific information about the rates at which cement is sold in Delhi above the level of prices fixed by Government, it is not unlikely that certain unsocial elements are exploiting the situation.

With a view to make cement available at prices fixed by the Government, all the State Governments were requested to issue orders under the Essential Commodities Act regulating the sale of cement by grant of permits/licences. The Delhi Administration has also issued such an order. Under the Essential Commodities Act, adequate powers are available to the Delhi Administration to deal with unsocial elements indulging in unethical practices.

To distribute equitably the available quantities of cement, quotas were also fixed for each State for the period 1st July, 1973 to 30th June, 1974 on the basis of its average consumption during the preceding five years. These quotas are exclusive of the requirements of Central Government Works and requirements of Large and Medium Industries which are met separately by the Centre. Allocation are made every quarter on the basis of the anticipated availability of cement from the factories during the ensuing quarter.

In order to improve the distribution of the available quantities of cement, rail transport movement of cement is regularly scrutinised by a high level committee of Secretaries with a view to extending such assistance as may be possible, to the factories facing movement difficulties. A Standing Linkage Committee on coal has been established under the Department of Mines and Metals and various cement factories have been linked to the different coal fields after assessing their coal requirements. A Monitoring Cell has been established at Calcutta to review every 10 days the supplies of coal to various cement factories. Licenses and letters of intent for additional capacity of over 17 million tonnes have also been issued, out of which a capacity of about 1·7 million tonnes is likely to materialise during 1974-75.

Shortage of Tractor Tyres

2405. **Dr. Laxminarayan Pandey**
Shri Chandra Shekhar Singh } : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether farmers are facing lot of difficulties due to non-availability of tyres of tractors at the control rate as a result of which production is being affected directly; and

(b) if so, the efforts being made by Government to provide tyres of tractors at control rates to the farmers?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) There is no statutory control over the prices of tractor tyres.

(b) does not arise.

नैशनल प्रोजेक्टस के इंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त वार्षिक लक्ष्य

2406. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री डी० पी० जदेजा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल प्रोजेक्टस कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड ने 8 से 10 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ने 1974–75 के दौरान 871.07 लाख रुपये मूल्य के कार्यों को कार्यान्वित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है।

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निगम द्वारा किये गये उपायों में, अन्य बातों के साथ, ये सम्मिलित हैं :—

(1) निगम के भिन्न-भिन्न यूनिटों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्यों का निर्धारण।

(2) प्रत्येक यूनिट के लिए कार्मिकों और मशीनरी के संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए अग्रिम आयोजन करना जिससे कि यह अपने लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

(3) कार्य की प्रगति का साप्ताहिक पुनरवलोकन।

(4) प्रत्येक यूनिट के लिए निर्धारित लक्ष्यों का मासिक पुनरवलोकन, जिससे कि यथा-अपेक्षित उपचारी उपाय किये जा सकें।

(5) जो यूनिट अपने लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं उनके कर्मचारियों को प्रोत्साहनरूप में बोनस की अदायगी करना।

बिड़ला फर्मों के कार्यालयों तथा अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापे

2407. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने 1974 के मई मास के पहिले सप्ताह में बिड़ला को फर्मों के कार्यालयों तथा उनके अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापे मारे थे ; और

(ख) क्या जब्त किये गये दस्तावेजों से इस समूह की आय के गुप्त सूत्रों का पता चलता है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मई 1974 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बिड़ला की किन्हीं भी फर्मों के कार्यालयों अथवा उनके अधिकारियों के निवास स्थानों की कोई तलाशी नहीं ली गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमालय पर्वतमाला में कम बर्फ पिघलने का उत्तर भारत की नदियों के जल प्रवाह तथा भाखड़ा में विद्युत प्रजनन के ऊपर प्रभाव

2408. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में हिमालय पर्वतमाला में बर्फ कम पिघली है जैसा कि दिनांक 4 जून, 1974 के स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में समाचार छपा है।

(ख) क्या इससे उत्तर भारत की नदियों में जल के प्रवाह तथा भाखड़ा में विद्युत प्रजनन पर भी गम्भीर असर पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) मौसम विज्ञान विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, हाल के वर्षों में पूर्वी हिमालय में हिमपात 1970-71, 1972-73 तथा जनवरी–फरवरी, 1974 के दौरान सामान्य से कम; केन्द्रीय हिमालय में 1970-71 में, 1972 के मानसून के बाद की अवधि में तथा 1974 की शरद ऋतु में सामान्य से कम और पश्चिनी हिमालय में, 1972–73 के अतिरिक्त सामान्य से कम रहा। पिछले पांच वर्षों के दौरान फरवरी–मई में नदी निस्सरण, जो कि हिम पिघलने से जल के योगदान को सूचित करते हैं, सामान्यतया हिमालय की कुछ नदियों में औसत से अधिक तथा अन्य नदियों में औसत से कम रहा। हाल के वर्षों में भाखड़ा जलाशय में जल के अन्तर्वाह में अभिकल्पित संभावनाओं से कुछ विशेष अन्तर नहीं रहा है तथा भाखड़ा सम्मिश्र में पिछले छः वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन अभिकल्पित, ऊर्जा शक्यत से लगभग 3 प्रतिशत अधिक रहा है।

पूर्वी क्षेत्र में विद्युत संयत्रों का विस्तार

2409. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अधिक विद्युत शक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान विद्युत-संयंत्रों को अपनी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति देने की वांछनीयता पर विचार किया है ;

(ख) उन संयंत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिये पहले ही से आवेदन कर रखा है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन विस्तार योजनाओं के सफल होने के बाद इनसे कितने यूनिट अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र में विद्युत केन्द्रों के नाम, उनकी वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता, प्रस्तावित विस्तार, योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के संबंध में स्थिति और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इनके विस्तारों को शामिल करने के संबंध में सूचना का विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 8/90/74]

(ग) वर्तमान विद्युत केन्द्रों के विस्तार से पूर्वी क्षेत्र में 2470 मै० वा० प्रतिष्ठापित क्षमता का योग होगा। विस्तार क्षेत्र स्कीमों के पूर्ण हो जाने पर यह प्रति वर्ष 9800 मिलियन यूनिट तक ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि के अनुरूप होगा।

तैयार माल के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्युरो द्वारा अध्ययन

2410. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्युरो के विचाराधीन भिन्न-भिन्न उद्योगों से प्राप्त ऐसे आवेदन पत्र पड़े हैं जिनमें उन उद्योगों के तैयार माल के मूल्य बढ़ाने के लिय कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों के आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं और उनके मामलों में निर्णय कब तक किया जायेगा ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन उद्योगों को मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई और प्रत्येक मामले में कितने प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) नीचे दी हुई दवाइंयों तथा फारमुलेशनों को छोड़कर ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एण्ड प्राइसेज में न तो उद्योगों से आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं और न वह उन्हें स्वीकार करता है। जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय लागत संरचना की जांच हेतु ब्यूरो में मामले भेजता है तथा ब्यूरो सम्बन्धित मंत्रालय को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है।

ड्रग प्राइसेज (कन्ट्रोल आर्डर) 1970 के अधीन दवाइयों तथा फारमुलशनों के मूल्य निश्चित करने तथा उन्हें संशोधित करने का काम 1 जनवरी, 1974 से ब्यूरो को दे दिया गया है। अतएव इस वर्ष के प्रारम्भ से दवाइयों आदि के मूल्य ादि के संशोधन के बारे में सीधे ब्यूरो को ही आवेदन पत्र दिये जाते हैं।

(ख) इस समय निम्नलिखित (प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा भेजे गये) उद्योगों के बारे में ब्यूरो में अध्ययन चल रहा है :—

(1) कागज तथा गत्ता।
(2) अखबारी कागज।
(3) शुल्क आयोग द्वारा पहले 17 दवाइयों के बारे में निश्चित की गई लागत।
(4) फेरो मेंगेनीज।
(5) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कारपोरेशन के उत्पाद।

विभिन्न एककों से आवश्यक आंकड़ों के मिलने पर लगभग 4 महीनों में सामान्य रूप से ब्यूरो अध्ययन पूरा कर लेता है। कीमतों में संशोधन सहित, यदि कोई हुआ तो, ब्यूरो की रिपोर्ट पर सम्बन्धित मन्त्रालय निर्णय लेते हैं।

(ग) ब्यूरो का गठन करने वाले संकल्प के अनुसार उसका कृत्य एक परामर्श दायी निकाय के रूप में है। उद्योगों के उत्पादों के संबंध में जिनकी जांच ब्यूरो करता है, उनके बारे में वह मूल्य वृद्धि प्राधिकृत नहीं किया अथवा दिया करता है। इस सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा लिया जाता है ।

विगत तीन वर्षों में ब्यूरो न निम्नलिखित उद्योगों पर रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :—

(1) ट्रेक्टर तथा ट्रैक्टर एंजिन के उचित विक्रय मूल्य पर रिपोर्ट

(2) क्रायोलाइट तथा एल्युमीनियम पलुओराइड के उचित विक्रय मूल्य पर रिपोर्ट

(3) सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के उचित विक्रय मूल्य पर रिपोर्ट

(4) जिंक (अभ्रक) के उचित विक्रय मूल्य पर रिपोर्ट

(5) साबुन पर रिपोर्ट

(6) सेफिटी रेजर ब्लेडों पर रिपोर्ट

(7) सूती कपड़े पर रिपोर्ट

(8) पिकोलाइन तथा पाइरिडिन बेसों पर रिपोर्ट

(9) फार्मडिहाइड, हेक्सामीन तथा मिकालोन पर रिपोर्ट

(10) एल्युमीनियम तथा उत्पादों पर रिपोर्ट

(11) तीन मीट्रिक टन तथा उससे अधिक की क्षमता वाली वाणिज्यिक गाड़ियों पर रिपोट

(12) तीन मीट्रिक टन तथा उससे कम क्षमता वाली वाणिज्यिक गाड़ियों पर रिपोर्ट

(13) गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों पर रिपोर्ट

कीमतों की वृद्धि के बारे में, यदि कोई हुई तो, अनुमति मंत्रालय देते हैं व इसकी घोषणा अथवा सूचना संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी जाती है।

नई टेलीफोन प्रणाली

2411. श्री पी० गंगादेव
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जून, 1974 को प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 'सीमेन्स' ने भारत में नई टेलीफोन प्रणाली के लिये उपकरणों का निर्माण करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ग) क्या क्रासबार प्रणाली की तुलना में इस नई प्रणाली का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) वर्ष 1973 में सीमेन्स ने अपनी ई० एम० डी० प्रणाली का भारत में उत्पादन करने का प्रस्ताव रखा । उस समय सीमन्स के इस प्रस्ताव की दूसरी उपलब्ध प्रणालियों से तुलना की गई और यह निर्णय किया गया कि रायबरेली में स्टेप-बाई-स्टेप स्ट्राउजर उपस्कर के मौजूदा प्रकार के उपस्कर की प्रति वर्ष 100,000 लाइनों की उत्पादन क्षमता की फैक्ट्री लगाई जाए । सरकार ने तारीख 9-4-1974 से एक ऐसे तकनीकी दल का गठन किया है जो सभी उपलब्ध कामन कंट्रोल स्विचिंग प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करेगा और देश में आगे उत्पादन के लिए एक उपयुक्त प्रणाली की सिफारिश करेगा ।

उड़ीसा में निम्नतम आवश्यकता सम्बन्धी कार्यक्रम

2412. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा बनाया गया निम्नतम आवश्यकता सम्बन्धी कार्यक्रम जिसे पांचवीं योजना में सम्मिलित किया जाना है, योजना मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस कार्य के लिए उड़ीसा को पांचवीं योजना में कितनी धनराशी आवंटित की गई है ; और

(ग) उड़ीसा राज्य द्वारा निर्धारित योजनाबद्ध लक्ष्य की प्राप्ति के लिऐ केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रावय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 589.82 करोड़ रुपये के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रस्तावों पर योजना आयोग में राज्य सरकार तथा सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके विचार किया गया । बहरहाल आवंटनों के सम्बन्ध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है क्योंकि परिवर्तित आर्थिक स्थिती तथा मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान म रखते हुए पांचवीं योजना के प्रारूप को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

न्यूनतम आवश्यकताओं सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वियन प्रारम्भ करने के लिए 13.21 करोड़ रुपए का प्रावधान उड़ीसा की वार्षिक योजना 1974–75 में किया गया है ।

उड़ीसा की योजना में चालू वर्ष के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मदों के लिए अलग-अलग प्रावधान संलग्न विवरण में दिखाया गया है ।

विवरण

वार्षिक योजना 1974-75--न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम--उडीसा

	निर्धारित परिव्यय (लाख रु०)
1. ग्रामीण बिजलीकरण	300
2. ग्रामीण सड़कें	320
3. प्रारम्भिक शिक्षा	250
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	131
5. पोषाहार	150
6. ग्रामीण जलपूर्ति	125
7. ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास स्थल	40
8. गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	5
	1321

जिला सम्बलपुर (उड़ीसा) के जामेनकिरा में फाउन्ड्री एवं फेब्रीकेटिड इंडस्ट्री

2413. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पचास नए उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दे दी है ;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य के एक पुराने प्रस्ताव के अनुसार फाउन्ड्री एवं फेब्रीकेटिड नामक एक ऐसा ही उद्योग सम्बलपुर जिले के जामेनकिरा नामक स्थान पर आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) उक्त उद्योग के प्रस्ताव को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार के सहयोग से क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में नलकूपों और ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परन्तु खर्च न की गई धनराशि का उपयोग

2414. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री नलकूपों और ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परन्तु खर्च न की गई धनराशि का उपयोग के बारे में 30 अप्रैल, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 896 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई आधी से अधिक बाकी धनराशि रखे जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसके लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा धन के समुपयोजन का कम स्तर मुख्यतया सामग्री को प्राप्त करने में कठिनाईयों तथा संगठनात्मक कमियों से सम्बद्ध है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड को ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में शीघ्रता लाने के लिये अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने की सलाह दी गई है।

संयुक्त क्षेत्रीय उद्यमों का राष्ट्रीयकरण

2415. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री संयुक्त क्षेत्र के एककों के बारे में 6 मार्च 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए उद्यमों को भी जोड़ कर संयुक्त उद्यमों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन संयुक्त क्षेत्रीय उद्यमों का राष्ट्रीयकरण बाद में करने का विचार है जिसमें सरकार तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में वित्तीय निवेश अथवा ऋण के अधिकांश भाग में अपना अंशदान देखा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकारी उद्यम संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार 6 मार्च 1974 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 2103 के उत्तर के साथ दी गई सूची में निम्नलिखित एकक जोड़ दिए गए हैं :—

(1) स्कूटर इण्डिया लि०, लखनऊ।

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, बंबई।

(3) बालमेर लौरी एंड कंपनी, कलकत्ता और इसकी सहायक कंपनियां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में जिला योजनाओं की क्रियान्विति

2416. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिला योजनाओं की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या जिला आधारित योजनाओं के साथ गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी सम्बद्ध किया जायेगा;

(ग) क्या केरल में इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये धन योजना आयोग द्वारा किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो केरल के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) केरल सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में लघु उद्योग

2417. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में केरल राज्य में किस-किस जिले में कौन-कौन से कितने-कितने लघु उद्योग स्थापित किये गये हैं, कुल कितना पूंजीनिवेश हुआ है और कितना उत्पादन बढ़ा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : विगत तीन वर्षों की अवधि में केरल राज्य में पंजीयित लघु उद्योगों की संख्या की जिलेवार जानकारी (अनुबन्ध) में संलग्न है । उद्योगों का नाम कुल पूंजीगत निवेश, उत्पादन विकास के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

विगत तीन वर्षों की अवधि में केरल राज्य में पंजीयित लघु उद्योगों की संख्या

जिले का नाम	कुल योग दिनांक		
	31 दिसम्बर 1971	31 दिसम्बर 1972	31 दिसम्बर 1973
1. त्रिवेन्द्रम	1,758	1,964	2,218
2. किलोन	1,511	1,691	1,903
3. एलेप्पी	815	815	1,098
4. कोट्टायम	1,030	1,146	1,306
5. एर्नाकुलम	2,254	2,486	2,862
6. त्रिचूर	1,489	1,727	2,087
7. पालघाट	868	905	986
8. मालापुरम	270	375	541
9. कालीकट	1,530	1,612	1,650
10. कन्नानोर	1,147	1,280	1,300
11. इटीकी	—	8	28
योग	12,680	14,009	15,939

स्रोत : —केरल राज्य उद्योग विभाग ।

केरल के उद्योगों पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव

2418. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला, ईंधन, तेल, रेल माल डिब्बे, बिजली की कमी तथा कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई न किये जाने के कारण विशेषकर केरल में विभिन्न उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों पर अत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) देश के उत्पादन पर जिसमें केरल भी सम्मिलित है अन्य बातों के साथ-साथ कोयला, ईंधन, तेल, रेल माल डिब्बों, बिजली और परिवहन की अड़चनों का कुप्रभाव पड़ा है। अन्य उद्योगों के साथ जिन उद्योगों पर अधिक प्रभाव पड़ा है उनमें धातु कर्मी, इंजीनियरी और रासायनिक उद्योग शामिल हैं।

तमिलनाडु फिल्म उद्योग में संकट

2419. श्री आर० के० स्वामीनाथन् : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु फिल्म उद्योग वर्ष 1972 से एक गम्भीर संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इन उद्योगों की सहायता करने का अनुरोध किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये समिति

2420. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कोई समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने सरकार को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उसमें क्या सिफारशें की गई हैं ; और

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों सम्बन्धी समिति का गठन दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

पिछड़े क्षेत्रों सम्बन्धी समिति का गठन

प्रोफेसर एस० चक्रवर्ती, (सदस्य, योजना आयोग)	अध्यक्ष
कार्यक्रम सलाहकार :	
श्री बी० एस० मनचंदा	सदस्य
डा० एस० के० राव	,,
श्री एम० पी० करियप्पा	,,
श्री एच० के० एल० कपूर	,,
सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन)	
श्री लवराज कुमार	,,
संयुक्त सचिव :	
श्री आनन्द स्वरूप	,,
श्री महेश्वर प्रसाद	,,
श्री एस० एस० ग्रेवाल	,,
सलाहकार (बिजली)——	
श्री बी० एन० बालिगा	,,
अतिरिक्त सलाहकार (उ० व० ख०)	
श्री एम० सत्यपाल	,,
प्रमुख (पहाड़ी क्षेत्र)	,,
श्री आर० वासुदेवन	संयोजक

(पिछड़े क्षेत्रों सम्बन्धी समिति के सभी सदस्य योजना आयोग से सम्बन्धित हैं) ।

नारायणपुर गांव, जिला बलिया (उत्तर प्रदेश) में हरिजनों को अलाट की गई भूमि से उनका निष्कासन

2421. **श्री गरेन्द्र कुमार सोंधी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मई, 1974 के स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिला बलिया के नारायणपुर गांव में हरिजनों को अलाट की गई भूमि पर कब्जा करने ही नहीं दिया गया है अपितु उन्हें अपने घरों से निष्कासित किया गया है और उनकी बहुत सी झोंपड़ियों को जला दिया गया है ;

(ख) क्या इस मामले की पुरी जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सरकार ने इस विषय पर 26 मई, 1974 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित एक समाचार देखा है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार नारायणपुर गाँव के कुछ लोगों और हरिजनों तथा अन्य के बीच मजदूरी के प्रश्न पर विवाद है। परन्तु मई, 1974 में किसी प्रज्ञेय अपराध की रिपोर्ट नहीं थी। प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस की एक प्लाटून और तीन उप-निरीक्षक हरिजनों के हितों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में नियुक्त किये गये हैं। जिला प्राधिकारी गांव के हरिजनों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं।

टेलीफंकन द्वारा टेप रिकार्डरों का गैर-कानूनी उत्पादन

2422. **श्री मधु लिमये :** क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनी, टेलीफंकन ने सरकार से उचित लाइसेंस लिये बिना गत वर्ष टेप रिकार्डरों के लगभग 2,000 टेप सेटों का उत्पादन किया;

(ख) क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा यह गैर-कानूनी बात इलैक्ट्रानिक्स विभाग के ध्यान में लायी गयी थी;

(ग) क्या इसके बावजूद इस विदेशी फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और इस मामले को दबा दिया गया ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामल को दबा दिये जाने के लिये इलैक्ट्रानिक्स विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व की जांच की जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो भाग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मै० टेलीफंकन इंडिया लिमिटेड ने 1971-72 में रेडियो सैटों के निर्यात के जरिये प्राप्त पुनः पूर्ति लाइसेसों के प्रयोग से 3,607 टेप रिकार्डरों का उत्पादन किया। मै० टैलीफंकन को जून, 1971 में प्रतिवर्ष 10,000 टेपरिकार्डर्स के उत्पादन के लिए एक आशय पत्र दिया गया था।

(ख) और (ग) औद्योगिक विकास महा निदेशालय ने इलैक्ट्रोनिक्स विभाग को मई, 1973 में सूचित किया था कि तीन कंपनियों ने (टैलीफंकन सहित) निर्यात हकदारी के जरिये टेपरिकार्डर उत्पादित किये हैं। विभाग ने तुरंत महानिदेशालय से कहा कि वह इन कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगे, जिससे ऐसे उत्पादन की नियमितता के संबंध में उचित दृष्टि कोण अपनाया जा सके। मामले पर औद्योगिक विकास मंत्रालय की सलाह से विचार किया जा रहा है।

भविष्य में ऐसी अनियमितता से बचने के लिए, 1973–74 की (साथ ही 1974-75 की भी) आयात व्यापार नीति में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार केवल वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस की मद्दों को ही पुनः पूर्ति लाइसेंस के माध्यम से आयात के लिए अनुमति दी जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेडियो सेटों का उत्पादन और बिक्री

2423. श्री मधु लिमये : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रांजिस्टर रेडियो तथा सामान्य रेडियो सेटों का प्रति वर्ष कुल उत्पादन क्या है ;

(ख) विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों तथा विदेशी प्रबन्ध वाली कम्पनियों का शेयर कितना है और रेडियो सेटों का कुल उत्पादन तथा बिक्री क्या है ;

(ग) भारतीय स्वामित्व की बड़ी कंपनियों का शेयर क्या है ; और

(घ) रेडियो सेटों के कुल उत्पादन तथा बिक्री में छोटे एककों का शेयर कितना है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ट्रांजिस्टर रेडियो तथा सामान्य रेडियो का विगत दो वर्षों में कुल उत्पादन* निम्नानुसार है :—

1972	1973
30 लाख	26.5 लाख

(ख) रेडियो रिसीवरों के उत्पादन में विदेशी स्वामित्व तथा प्रबंध वाली कम्पनियों का शेयर निम्नानुसार है :—

1972	1973
17.69 लाख	13.92 लाख

*प्रस्तुत आंकड़ों में संगठित क्षेत्र का उत्पादन (जिसकी निश्चित उत्पादन आय औद्योगिक विकास महानिदेशालय के यहां उपलब्ध है) तथा लघु क्षेत्र में हुआ उत्पादन शामिल है, इस क्षेत्र के आंकड़े अनिवार्यतः अनमानों पर आधारित हैं।

विभाग के पास रेडियो रिसीवरों की बिक्री के संबंध में कोई पृथक सूचना उपलब्ध नहीं है ;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान रेडियो रिसीवरों के कुल उत्पादन में संगठित क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों का शेअर इस प्रकार है :—

1972	1973
2.21 लाख	2.54 लाख

(घ) रेडियो रिसीवरों का शेष उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में है :—

1972	1973
10.1 लाख	10.04 लाख

टारजियन इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा कैसेट्स का निर्माण

2424. **श्री मधु लिमये :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नजफगढ़ रोड़, 'दिल्ली' स्थित टारजियन इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड ने कैसेट्स का निर्माण करने के लिये उचित औद्योगिक लासेंस प्राप्त किया है;

(ख) उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या वे जनता को धोखा देने के उद्देश्य से अपने उत्पादों पर गैर-कानूनी रूप से "मेड इन यू० एस० ए०" का मार्का लगा रहे हैं ; और

(घ) क्या अप्राधिकृत उत्पादन और "मैड इन यू० एस० ए०" का गैर-कानूनी मार्का लगाने के लिये उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंन्दिरा गांधी) :
(क) मैसर्स टारजियन इडिण्या प्रा० लि० के नाम औडियो रिकार्डिंग हेतु मैग्नैटिक टेप्स का निर्माण करने के लिए 1 लाख 20 हजार आर० फीट की वार्षिक क्षमता का एक लाइसेंस 6–3–1973 को जारी किया गया है।

(ख)

अवधि	मात्रा	मूल्य
1-6-62 से 31-12-72	16.74 मिलियन आर० फीट	3.531 लाख रु०
1973	84.92 मिलियन आर० फीट	12.53 लाख रु०
जनवरी से मई, 1974	47.96 मिलियन आर० फीट	7.36 लाख रु०

(ग) सरकार ने इस आशय का कोई दोषारोप प्राप्त नहीं किया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्ज कैडबरी फ्राई तथा मैसर्ज कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन को तदर्थ लाइसेंस जारी करना

2425. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री आयातित कच्चे माल से फेंटा तथा कोका कोला के उत्पादन के बारे में 20 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय ने आयात लाइसेंसों का वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस तदर्थ लायसेंस तथा आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस (आयात पात्रता) के रूप में वर्गीकरण कर रखा है ;

(ख) उनके मंत्रालय के अनुसार तदर्थ लाइसेंस तथा वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस के बीच परस्पर का अन्तर है और तदर्थ लाइसेंस किन परिस्थितियों में तथा किन शर्तों पर दिये जाते हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने अथवा उसकी सिफारिश पर किसी अन्य मंत्रालय ने मैसर्ज कैडबरी तथा कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को गत तीन वर्षों के दौरान कोई तदर्थ लाइसेंस दिये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितने मूल्य के; और

(ङ) उनको तदर्थ लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :
(क) व (ख) आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के प्रयोजन के लिए आयातकर्त्ताओं को आमतौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है :—

I सुस्थापित आयातकर्त्ता

II वास्तविक प्रयोगकर्त्ता

(क) औद्योगिक

(ख) सेवाएं (अर्थात् गैर औद्योगिक)

(ग) अस्पताल तथा संस्थाएं

(घ) वास्तविक प्रयोगकर्त्ता जिनको कि आयात नीति के अधीन पंजीकृत निर्यातकों के लिए लाइसेंस जारी किए जाते ह ।

III अन्य

लाइसेंस हेतु आवेदनों पर लागू तत्सम्बन्धित नीति की दृष्टि से विचार किया जाता है ।

वास्तविक प्रयोक्ताओं को तदर्थ लाइसेंसों की स्वीकृति मामले के गुणावगुणों के आधार पर दी जाती है ।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान मैं० कैडबरी फ्राई को कोई तदर्थ लाइसेंस जारी नहीं किया गया। वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस मैं० कोका कोला निर्यात निगम को तदर्थ आधार निम्नलिखित विवरणानुसार दिए गए:—

लाइसेंस की सम्बन्धित अवधि	ला सेंस का मूल्य (लाख रु० में)
1971-72	8.95
1972-73	16.00
1973-74	विचाराधीन

(ङ) 1–4–71 से कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को सान्द्रण के निर्यात के बदले म स्वीकृत प्रतिपूर्ति को 20 प्रतिशत से घटा कर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया है। उक्त समय तक इसके द्वारा ऊंची दर पर आयात प्रतिपूर्ति कोटे का उपयोग न केवल सान्द्रण निर्यात की जरूरतें पूरी करने के लिए बल्कि स्थानीय बोतलबन्दी संयंत्र की जरूरतें भी पूरी करने के लिये किया जा रहा था, आयात प्रतिपूर्ति कोटे में बहुत अधिक कमी किए जाने को देखते हुए, जो अप्रैल, 1971 के बाद उनके निर्यात की ही जरूरत पूरी करने के लि पर्याप्त था, बोतलबन्दी के संयंत्र को चालू रखने के लिए कारपोरेशन को तदर्थ आधार पर वास्तविक उपयोगकर्त्ता लाइसेंस जारी करना पड़ गया।

फिल्म डिवीजन को किरायों, रायल्टी तथा विभिन्न प्रकार के निकायों से प्राप्त राजस्व

2426. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री वैकारिया } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म डिवीजन को वर्ष 1973-74 के दौरान किरायों, रायल्टी तथा प्रिन्टों, स्टाक शीटों की बिक्री एवं अन्य विभिन्न प्रकार के बिक्रयों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ; और

(ख) गत दो वर्षों में अर्जित राजस्व की तुलना में यह राजस्व कितना न्यूनाधिक है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है :

(लाख रुपयों में)

	1971-72	1972-73	1973-74
किराया	118.36	138.09	147.09
रायल्टी	0.90	2.65	0.49
प्रिंटों और स्टाक शीटों की बिक्री	34.12	37.20	16.23
अन्य राजस्व	10.41	10.93	8.88
कुल	163.79	188.87	172.69*

*ये आंकड़े अंतिम हैं क्योंकि आडिट हुए अंतिम आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए है।

दिल्ली के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति

2427. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति गठित कर दी गई है ;

(ख) क्या इस समिति के सदस्यों की संख्या 43 से घटाकर 22 कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और नई समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली की नई टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन 30 जुलाई, 1974 को हुआ था । इस समिति के सदस्यों की संख्या काफी कम कर दी गई है । फिलहाल 19 सदस्य नामजद किये गए हैं । सदस्यों के नामों की सूची संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली के टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1.	जनरल मनजर, टेलीफोन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री सुन्दर लाल भार्गवा	सदस्य
3.	चौ० दलीप सिंह, एम० पी०	,,
4.	श्रीमती सविता बहन, एम० पी०	,,
5.	श्री अर्जुन दास	,,
6.	श्री जय प्रकाश गोयल	,,
7.	सरदार त्रिलोचन सिंह	,,
8.	श्री धर्मेन्द्र कुमार रस्तोगी	,,
9.	सरदार चरणजीत सिंह	,,
10.	श्री बंसीधर गुप्त	,,
11.	श्री निहाल सिंह	,,
12.	श्री रतन लाल जोशी	,,
13.	डा० ब्रजमोहन बजाज	,,
14.	श्री हरचरण सिंह जोश	,,
15.	श्री० के० सी० दीक्षित	,,
16.	श्रीमतो सुशीला जरमनीदास	,,
17.	श्री डी० आर० शाह	,,
18.	श्रीं आर० रंगाराजन	,,
19.	श्री बी० एन० भार्गव	,,

शिक्षित बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए बिहार को वित्तीय सहायता

2428. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए वहां की सरकार ने वर्ष 1974–75 के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) उनको वास्तव में कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) शिक्षित लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए 1974–75 के दौरान आरम्भ किए गए रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार को 3.45 करोड़ रुपए की अधिकतम धनराशि आवटित की गई है। राज्य सरकार को कार्यक्रम के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्कीम तैयार करने लिए कहा गया है ।

डाक-दरों में वृद्धि

2430. श्री वनमाली पटनायक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कितना राजस्व मिलने की आशा है ; और

(ख) क्या उक्त वृद्धि से किसी प्रकार बिक्री पर प्रभाव पड़ा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) एक वर्ष में 25 करोड़ 76 लाख रुपये।

(ख) डाक दरों में की गई वृद्धि से डाक लेखन सामग्री की बिक्री पर या डाक परियचत पर पड़े प्रभाव का इस समय अनुमान लगाना समयानुकूल नहीं है ।

पांचवी योजना में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण

2431. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना (1974–79) के प्रारूप के प्रथम और द्वितीय खंडों को जिनमें अन्य बातों के अलावा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की मोटी रूप रेखा दी गयी है, 26 मार्च, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप में जिन क्षेत्रों में प्राथमिकताएं

निर्दिष्ट की गई हैं, वे हैं–कृषि व फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए कोयला प्रौद्योगिकी का विकास प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक आकलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना प्रणाली, कृषि औद्योगिक तथा नगरीय व्यर्थ पदार्थों का उपयोग, औद्योगिक इकाइयों में आंतरिक अनुसंधान विकास तथा अभिकल्प का निर्माण आदि ।

कानपुर और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में बमों और हथियारों की बरामदगी संबंधी जांच की रिपोर्ट

2432. श्री एस० एन० मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर और लखनऊ में हाल में बड़ी संख्या में बमों और हथियारों की बरामदगी के बारे में जांच की रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच से क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) इस सबंध में दर्ज, आपराधिक मामलों की अभी तक जांच पड़ताल की जा रही है ।

देश में टेलीफोनों का कार्यकरण

2433. श्री एस० एन० मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि देश में गलत टेलीफोन कनेक्शनों, क्रास कनेक्शनों, कालों की वास्तविक संख्या से अधिक कालों के बिल बनाये जाने, लाइनों के निष्क्रिय रहने तथा अन्य दोषों की संख्या बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में टेलीफोन व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देश में गलत टेलीफोन कनेक्शन लगने, क्रास कनेक्शन कालों की वास्तविक संख्या से अधिक कालों के बिल बनाए जाने, लाइनों के निष्क्रिय रहने और अन्य दोषों की घटनाओं में आम तौर पर वृद्धि नहीं हुई है । कुछ टेलीफोन प्रणालियों में सुधार हुआ है और कुछ दूसरी प्रणालियों में मामूली गिरावट आई है । विवादास्पद मीटर रीडिंग और बिलों में असंगतियों की शिकायतों की संख्या में कमी हुई है–उदाहरण के लिए 30–9–72 को समाप्त होने वाली तिमाही में औसतन प्रति 1,000 टेलीफोनों पर 22 शिकायतें आई थीं जबकि 30–9–73 को समाप्त होने वाली तिमाही में इस प्रकार की शिकायतें औसतन प्रति 1000 टेलीफानों पर केवल 15 थीं । स्थानीय टेलीफोन प्रणालियों के असंतोषजनक रख-रखाव की शिकायतों में भी कुछ कमी आई है । पहले ये प्रति हजार टेलीफोनों पर 16.5 थीं और बाद में प्रति हजार टेलीफोनों पर 15 रह गई ।

(ख) विभिन्न टेलीफोन प्रणालियों की दक्षता में सुधार लाने के लिए लगातार अपनाए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(i) विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों को आवधिक तौर पर निदेशालय से एक जांच दल भेजा जाता है और टेलीफोन प्रणाली के कार्यचालन का प्रेक्षण किया जाता है। इन प्रेक्षणों के दौरान विशेष ध्यान देने योग्य जो विशिष्ट पहलू जानकारी में आते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए सलाह दी जाती है।

(ii) बिजली फेल होने और बिजली की कटौती की समस्या को सुलझाने के लिए विभन्न बिजली विभागों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखा जाता है। जहां संभव होता है, सब स्टेशनों से टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए सीधे फीडरों की व्यवस्था की जाती है ताकि वे पावर बन्द होने से बच सकें। स्टैंड बाई पावर प्लांट जैसे कि इंजन आल्टरनेटरों की व्यवस्था का मानकीकरण कर दिया गया है और सभी फील्ड यूनिटों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इन्हें प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

(iii) रखरखाव के कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए मोटर गाड़ियों की मंजूर के मानदण्डों को यथा योग्य बना दिया गया है।

(iv) देहाती इलाकों में छोटे एक्सचेजों के रख रखाव के लिए एक ग्रुप रख रखाव योजना चालू की गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक्सचेंजो के ग्रुप के रखरखाव का काम तकनीकी दल को सौंपा जाता है। इस दल के पास दोषों पर तुरन्त ध्यान देन के लिए मोटर साइकिलें होती हैं।

(v) प्रमुख टेलिफोन प्रणालियों के प्रबन्ध गठन के को पुनर्गठित किया जा रहा है।

(vi) सड़क खोदने की कार्रवाई आदि के कारण कबुलों को हानि न हो, इस दृष्टि से केबुलों की दबाव में और नलियों में रखने की योजना को धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है।

(vii) अतिरिक्त प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट संयन्त्रों की स्थापना

2434. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में अकालतारा और नीमच, उत्तर प्रदेश में बारूवाला और आन्ध्र प्रदेश में आदिलाबाद, तेंदूर और यारागुन्तल में नये संयत्र स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो नये संयंत्रों की स्थापना पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) क्या इन नये संयंत्रों की स्थापना से सीमेंट के मामले में आत्मनिर्भर होना सम्भव होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिग्राउर रहमान ग्रन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजनाओं की अनुमानित लागत निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	संयंत्र का स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टनों में)	कुल अनुमनित लागत (लाख रु० में)
1	तेन्दूर (आन्ध्र प्रदेश)	4	1683
2	आदिलाबाद (आन्ध्र प्र देश)	4	1603
3	येरगुन्तला (आन्ध्र प्रदेश)	4	1542
4	अकलतारा (मध्य प्रदेश)	6	1870
5	नीमच (मध्य प्रदेश)	4	1538
6	बेरुवाला (उत्तर प्रदेश)	4 और 5	2164 और 2437

तेन्दूर, आदिलाबाद, येरगुन्तला, और अकलतारा परियोजनाओं के लिये औपचारिक स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है तथा नीमच परियोजना के लिये शीघ्र ही स्वीकृति दी जाने वाली है । बारूवाला परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना से पूर्ण आत्मनिर्भरता भले ही न मिल सके किन्तु इससे सीमेन्ट का अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध हो सकेगा और उसी सीमा तक पांचवीं योजना के अन्त तक सिमन्ट की मांग और उत्पादन के बीच होने वाले अनुमानित अन्तर को कम किया जा सकेगा ।

भारतीय राजनीति में विदेशी धन की भूमिका

2435. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राजनीति में विदेशी धन के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ;

(ख) उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा 14 मई, 1969 को सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में विदेशी धन (विनियम) विधेयक, 1973 दिसम्बर, 1973 में राज्य सभा में पुर: स्थापित किया गया था । यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि हमारी संसदीय संस्थाएं, राजनैतिक संघ, अकादमिक तथा अन्य स्वयंसेवी संगठन और राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रभूसत्ता सम्पन्न लोकतंत्र गणराज्य के मूल्यों के अनुकूल ढंग में कार्य करें, विधेयक में विदेशी धन की स्वीकृति तथा उस के प्रयोग और विदेशी आतिथ्य सत्कार को नियमित करने की व्यवस्था है । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार, किसी विधान मण्डल के सदस्य अथवा राजनैतिक दल अथवा उसके पदाधिकारी द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है । विधेयक अब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के सामने है ।

श्रेणी तीन के कर्मचारियों की भर्ती

2436. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में और 1 अप्रैल, 1974 से 30 जून, 1974 तक पंजाब पोस्टल सर्किल में विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग श्रेणी तीन के कुल कितने कर्मचारी भर्ती किये गए; और

(ख) हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भर्ती का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्र किया जा रहा है । सूचना एकत्र होने पर यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब सर्किल में मंजूर किये गए टेलीफोन एक्सचेंज

2437. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के पहले छह महीनों के दौरान पंजाब सर्किल में, राज्यवार, कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की मंजूरी दी गई ;

(ख) क्या इन एक्सचेजों को खोलने के लिये कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रम की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1974 के पहले छह महीनों में पंजाब सर्किल में तीन में एक्सचेंजों की मंजूरी दी गई है अर्थात दो हिमाचल प्रदेश में और एक हरयाणा राज्य में ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन तीनों एक्सचेजों को चालू वितीय वर्ष की आखिरी तिमाही में खोलने का कार्यक्रम है ।

आकाशवाणी शिमला के लिए संवाददाताओं के पदों की मंजूरी देने का प्रस्ताव

2438. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हिमाचल प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें आकाशवाणी शिमला के संवाददाता है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के शेष जिलों के लिये ऐसे संवाददाताओं के पदों को मंजूरी देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों की मंजूरी कब तक दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी क हिमाचल प्रदेश के सोलन, मण्डी, कुल्लू तथा कांगड़ा जिलों में अंशकालिक संवाददाता हैं।

(ख) तथा (ग) धन उपलब्ध होने पर, हिमाचल प्रदेश के कुछ और जिलों में अंशकालिक संवाददाता नियुक्त करने के प्रश्न पर क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विचार किया जायेगा। फिलहाल कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

परमाणु बिजली घरों के लिए स्थापना स्थल

2439. **श्री एस० ए० मुरुगन्नतम :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु बिजली घरों के लिए स्थानों का चयन अन्तिम रूप से कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थानों के नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) उत्तरी, पश्चिम तथा दक्षिण विद्युत क्षेत्रों में नये परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई स्थल-चयन समिति ने उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उत्तरी विद्युत क्षेत्र के बारे में दी गई रिपोर्ट पर विचार किरने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के नरोरा नामक स्थान पर चौथा परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र के बारे में दी गई रिपोर्ट समिति को कुछ और ऐसे आंकड़े एकत्र करने के लिए लौटाई गई है जो स्थल के बारे में निर्णय करने के लिए आवश्यक है। समिति इस समय दक्षिण क्षेत्र में विभिन्न स्थलों का अध्ययन कर रही है तथा इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन

2440. **श्री एस० ए० मुरुगन्नतम :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदर्न इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन ने सरकार से लाइसेंस नीति में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया है जिससे कपड़ा उद्योग पांचवीं योजना लक्ष्य की प्राप्ति कर सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सदर्न इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन ने सूती कपड़ा लाइसेंस नीति में कोई भी संशोधन करने का सुझाव नहीं दिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Post Offices in villages of Bihar

2441. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether most of the villages in Bihar are without post offices; and

(b) if so, the scheme formulated by Government to open new post offices in those villages ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) 8675 villages out of 73,686 villages are having post offices in Bihar.

(b) During the year 1974-75, new post offices will be opened only in very backward and hilly areas due to financial stringency. In Bihar, proposals for opening of post offices in these areas where the other prescribed conditions are also satisfied, will be examined.

आणविक कार्यक्रम के लिये खण्डनीय सामग्री (फिसाईल मेटीरियल) की आवश्यकता

2442. **श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पन्द्रह वर्षों में देश क आणविक कार्यक्रम के लिये आवश्यक खण्डनीय सामग्री की मात्रा के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) देश की उत्पादन क्षमता को उक्त मांग के अनुरूप किस प्रकार बनाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग ने आगामी 15 वर्षों के लिए परमाणु विद्युत कार्यक्रम सम्बन्धी योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक कायकारी दल की नियुक्ति की थी । आवश्यक साधनों, अर्थात् (क) यूरेनियम तैयार करने की क्षमता ; (ख) भारी पानी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की दर ; (ग) ईंधन का उत्पादन तथा पुनसंसाधन करने की क्षमता; (घ) पूंजी तथा जन शक्ति को जुटाना तथा (ङ) परमाण विद्युत कार्यक्रम तथा इससे सम्बन्धित क्रियाकलाप के लिए आवश्यक औद्योगिक ढांचे, की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यकारी दल ने एक परमाणु विद्युत कार्यक्रम की सिफारिश की है जिसके अंतर्गत काण्डु किस्म

के 4,720 मैगावाट क्षमता वाले रिएक्टर लगाने तथा यदि सम्भव हो तो, इस अवधि के अन्तिम पांच वर्षों, अर्थात् 1984 से 1989 के बीच की अवधि में, 500 मैगावाट क्षमता प्रत्येक के 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाने का सुझाव दिया गया है। इन सफारिशों का विस्तार-पूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। तथा इस कारण से फिलहाल इस सिफारिश को एक सुझाव के रूप में ही समझा जाना चाहिए।

उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए आवश्यक यूरेनियम तथा विखंडनशील प्लूटोनियम की मात्रा का अनुमान लगा लिया गया है। कार्यक्रम को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात्, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए समुचित कदम उठाये जायेंगे।

प्राकृतिक संसाधनों के दूरवर्ती आभास के लिये प्रौद्योगिकी विकास

2443. **श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) प्राकृतिक संसाधनों के दूरवर्ती आभास के लिये प्रौद्योगिकी का विकास करने क मामले में क्या प्रगति हो रही है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में हम विदेशी सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं ; और

(ग) प्राकृतिक संसाधनों के दूरवर्ती आभास के लिये कब तक अपना उपग्रह बना लिय जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह प्रोद्योगिकी नई है, और विकास शील देशों में भी इसका अभी विकास हो रहा है। कोई सूक्ष्मग्राही उपकरणों, जैसे विद्युत-प्रकाशीय स्केनर, मल्टी-स्पेक्ट्रल स्केनर, दी चैनल वाले रेडियोमीटर आदि का विकास किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की फसलों की परावर्तकता को मापने के उपस्करों और आंकड़ों को स्वचालित ढंग से तैयार करने वाले उपकरणों का निर्धारण कर लिया गया है।

(ख) यद्यपि हम स्वदेश में ही इस प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं, तथापि विदेशों में इस क्षेत्र में जो अनुभव प्राप्त किया गया है, उसका भी हम यथासंभव उपयोग कर रहे हैं।

(ग) संसाधनों के सर्वेक्षण संबंधी परीक्षणों के लिए उपग्रह का निर्धारण करने के लिए प्रारम्भिक अध्ययन शुरू कर दिया गया है। रिमोट सेंसिंग के लिये अपना उपग्रह बनाने की निश्चित योजना तैयार करना अभी संभव नहीं है।

आर० एच० 560 को त्रुटिहीन बनाने की दिशा में हुई प्रगति

2444. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर० एच०–560 को त्रुटीहीन बनाने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या गाइडेंस कंट्रोल और एस० एल० वी०-3 के ओन-बोर्ड इन्सट्रूमेंट्स का उड़ान परीक्षण किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती ईन्दिरा गांधी) : (क) दो खण्डों वाले राकेट का विकास किया जा चुका है। तीन उड़ान परीक्षण किये जा चुके हैं। चौथा परीक्षण सितम्बर, 1974 में किये जाने की संभावना है।

(ख) केवल आन-बोर्ड नियंत्रण-प्रणाली का उड़ान-परीक्षण किया जायेगा।

(ग) अक्टूबर, 1974 तक ।

क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करना

2445. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस जारी करने के मानदंड क्या है ; और

(ख) क्या लाइसेंस जारी करते समय क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने की बात का ध्यान रखा जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री : (श्री सी० सुब्रह्मयम) (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों पर निर्णय लेते समय सरकार क्षेत्रीय मांग और देश के संतुलित औद्योगिक विकास की आवश्यकता सहित स्थापना सम्बन्धी पहलुओं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है। सरकार इस बात की भी जांच करती है कि क्या पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने योग्य इन उद्योंगो का इन स्थानों पर स्थापित किया जाना ठीक होगा। सरकार क्षेत्रीय मांग की अपेक्षित स्थिति और उपलब्ध सप्लाई को भी ध्यान में रखती है।

विदेशी सहयोग से टायरों का उत्पादन

2446. **श्री पी० गंगादेव**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बतान का कृपा करगं कि :

(क) क्या कुछ टायर कम्पनियों ने अपने विदेशी सहयोग करारों के नवीकरण के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) इन कम्पनियों के नाम क्या हैं, और ये कहां-कहां स्थित हैं तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां ।

(ख) उन टायर कंपनियों के नाम, स्थान, तथा अधिष्ठापित क्षमता जिन्होंने विदेशी सहयोग के करार के नवीकरण के लिये अनुरोध किया है, नीचे दी जाती हैं :—

एकक का नाम	स्थापना स्थल	अधिष्ठापित क्षमता
1. मै० डनलप इंडिया लिमिटेड	शाहागंज, कलकत्ता	8,68,900 जमा 2,72,100*
2. मै० डनलप इंडिया लिमिटेड	अम्बाटर, मद्रास	5,80,000
3. मै० फायरस्टन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी	बम्बई	6,74,000 जमा 4,25,500*
4. मै० सीएट टायर आफ इण्डिया लिमिटेड	बम्बई	6,50,000 जमा 20,00,000
5. मै० गुडईयर इंडिया लिमिटेड	बल्लभगढ़, हरियाणा	6,00,000
6. मै० मद्रास रबड़ फैक्ट्री लिमिटेड	मद्रास	6,10,000 जमा 3,90,0000*
7. मै० प्रीमियर टायर लिमिटेड	कालामासेरी (केरल)	3,00,000

*पूर्ण उपयोग योजना के अधीन मान्यता प्राप्त अतिरिक्त क्षमता ।

आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता

2447. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार ने आंन्ध्र-प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान 90 करोड़ रुपये की विशेष सहायता घोषित की है । यह सहायता आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना, रायाल सीमा तथा तटवर्ती क्षेत्रों के बीच 5 : 3 : 2 के अनुपात में निर्धारित की जायेगी । इस संबंध में आन्ध्र-प्रदेश सरकार से विशिष्ट योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा गया है ।

दिल्ली प्रशासन को हरिजनों के कल्याणार्थ धनराशि के नियतम में कटौती

2448. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **गृह** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दिल्ली प्रशासन के लिये हरिजन कल्याणार्थ 43' 50 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की थी और अब उसे केवल 5.72 लाख रुपये ही दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस भारी कटौती के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 5.72 लाख रुपये का बजट प्रावधान जो 1974–75 के लिए वार्षिक योजना की स्वीकृति से पहले बनाया गया था बढ़ा कर 29.55 लाख रुपये किया जा रहा है ।

लघु क्षेत्र में आक्सीजन संयंत्रों का स्थापित किया जाना

2449. **श्री मधु दंडवते :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने लघु क्षेत्र में आक्सीजन संयंत्रों की स्थापना करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों को स्थापित करने में लघु क्षेत्र को किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयात किये जाने वाले कुछ किस्मों के प्रस्तावित आक्सीजन संयंत्रों के ऊंचे मूल्यों के सम्बन्ध में एक कम्पनी ने अभ्यावेदन दिया है और मामले की जांच की जा रही है ।

ताम्र पत्र को स्वीकार न करने वाले स्वतंत्रता सेनानी

2450. **श्री मोहम्मद इस्माइल ।** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें दिल्ली तथा अन्य राज्यों में इस प्रयोजन के लिये आयोजित समारोहों में ताम्रपत्र देने के लिये आमंत्रित किया गया था लेकिन अब तक जिन्होंने अपने ताम्रपत्रों को स्वीकार नहीं किया है ; और

(ख) ताम्रपत्रों को स्वीकार न करने के बारे में उन्होंने यदि कोई कारण बताये हैं तो वे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क)तथा(ग) राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया एक विवरण संलग्न है । [देखिए ग्रन्थालय में रखा गया । संख्या एल० टी० 8191/74]

स्वतंत्रता सेनानी एसोसिएशन को अनुदान

2451. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में और इसके बाहर विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी एसोसिएशनों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें गृह मंत्रालय अनुदान दे रहा है ; और

(ख) अनुदान की राशि क्या है तथा ऐसी एसोसिएशनों के अध्यक्ष तथा महासचिव कौन-कौन हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है। [देखिए ग्रन्थालय में रखा गया। संख्या एल० टी० 8192/74]

बिहार में विभिन्न स्थानों पर डाक तथा तार, औषधालय खोलना।

2452. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री 17 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल में किन-किन नगरों नें डाक तथा तार औषधालय खोले गए हैं और उक्त निर्णय किस आधार पर किए गए हैं ; और

(ख) छपड़ा, दरभंगा, धनबाद, जमशेदपुर, गया, भागलपुर, रांची और मुजफ्फरपुर में डाक तथा तार औषधालय खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) बिहार सर्किल में छपरा, धनबाद, दरभंगा, गया, रांची, और मुजफ्फरपुर में जिन नये डाक-तार, औषधालयों की मंजूरी दी गई है वे अभी तक खोले नहीं गए हैं। नये औषधालय खोलने के निर्णय बचत के आधार पर किए गए हैं। उन्हीं स्थानों पर नए औषधालय खोलने की मंजूरी दी गई है जहां यह अनुमान लगाया गया है कि औषधालय खुल जाने पर चिकित्सा-सुविधाओं पर आन वाला अनुमानित खर्च चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर आने वाला मौजूदा खर्च की तुलना में कम होगा और इस प्रकार विभाग को स्पष्ट रूप से बचत का अनुमान है।

(ख) छपरा, दरभंगा, धनबाद, गया रांची, और मुजफ्फरपुर म डाक-तार, औषधालयों के खुलने में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि औषधालयों के लिए उपयुक्त मकान नहीं मिल पाया है। प्रत्येक स्थान पर उपयुक्त मकान ढूंढ़ने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। जमशेदपुर और भागलपुर में औषधालय खोलने का अभी कोई औचित्य नहीं है।

बिहार सर्किल में एल० एस० जी० के पद बनाना

2453. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जे० सी० एम० को विभागीय परिषद् म प्रशासन और कर्मचारी पक्ष के बीच एल० एस० जी० के पद बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने के लिए हुए समझौते के आधार पर पी० एम० जी० पटना और डी० एम० टी० पटना के अधीन कार्य करने वाल पोस्टल क्लर्कों, टैलीग्राफ आफिस क्लर्कों,

आर० एम० एस० सारटरों, इंजीनियरिंग क्लर्कों, टेलीफोन आपरेटरों, टेकनीशियनों के संबर्ग के लिए एल० एस० जी० के कितने पद बनाये गये ; और

(ख) उक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) इस मामले पर कार्रवाई चल रही है और आशा है कि शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम और आयल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

2454. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम और आयल इंडिया के कर्मचारियों को किस दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या इन दरों में तथा भारतीय मानक संस्थान की दरों में अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना अन्तर है और इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) खनिजा और धातु व्यापार निगम तथा आयल इण्डिया लि० के कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराय भत्ते की दर को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय मानक संस्था जिसे भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है भत्तों के संबंध में आमतौर पर सरकारी प्रणाली का अनुसरण करती है। भारतीय मानक संस्था के ग्रेड 2, 3 और 4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित कर दिए जाने से मकान किराया भत्ता की दर में संशोधन कर दिया गया है। दिल्ली तथा अन्य 'क' श्रेणी के नगरों म नए वेतनमान का 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों को मिल रही मकान किराया भत्ते की विद्यमान राशि को सुरक्षा प्रदान की गई है। आयल इण्डिया लि० भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी लि० का एक संयक्त उपक्रम है इसमें प्रत्येक की इक्विटीधारिता 50 प्रतिशत है ।

यह कम्पनी सरकारी क्षेत्र में नहीं है। खान और धातु व्यापार निगम बिल्कुल भिन्न प्रकार के कार्यों की एक कम्पनी है और यह वेतनमानों और भत्तों के मामले में आवश्यक तौर पर सरकारी प्रणाली का अनुसरण नहीं करती । अत: आयल इण्डिया लि० और खान तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही मकान भत्ते की दर को भारतीय मानक संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली मकान भत्ते की दर से तुलना करना प्रासंगिक नहीं होगा।

विवरण

(क) खनिज व धातु व्यापार निगम

खनिज व धातु व्यापार निगम तथा ग्रायल इण्डिया लि० के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जा रहा है :

कर्मचारियों का ग्रोहदा	'ए' श्रेणी के शहर में	फील्ड स्टेशन्स	नान फील्ड स्टेशन्स	विशेष कथन
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	
ग्रनुभाग ग्रधिकारी तथा उससे नीचे	15	5	10	ये प्रतिशत मूल वेतन पर हैं ।
ग्रनुभाग ग्रधिकारियों से ऊपर	30	15	20	

(ख) ग्रायल इण्डिया लि०

1. पाइप लाइनों के साथ के पम्पस् टेशनों तथा फील्ड स्टेशनों पर दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता ।

वर्कमैन तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 35 रु० मासिक तथा 65 रु० मासिक के बीच में मकान किराया भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो कि कम्पनी क्षेत्र में नहीं रहते ग्रौर जिन्हें कम्पनी की तरफ से रिहायश नहीं दी गई है । वर्ग 4 तथा उससे ऊपर के कर्मचारियों (यथा ग्रधिकारियों) को कम्पनी की तरफ से रिहायश दी जाती है ग्रौर उन्हें कोई मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता ।

2. दिल्ली कार्यालय

(क) **वर्कमैन** : 100 रु० मासिक से कम मूल वेतन वालों को 60 रु० मासिक तथा 100 रु० मासिक से ग्रधिक मूल वेतन वालों को 80 रु० मासिक मकान किराया दिया जाता है ।

(ख) एक्जीक्यूटिव्स : 300—425 रु० मासिक तक के मूल वेतन वालों को ग्रधिकतम 200 रु० मासिक, 450 रु० से 800 रु० मासिक तक के मूल वेतन वालों को ग्रधिकतम 275 रु० मासिक तथा 800 रु० मासिक से ऊपर के मूल वेतन वालों को ग्रधिकतम 350 रु० मासिक मकान किराया भत्ता रसीद प्रस्तुत करने पर दिया जाता है ।

(ग) वर्ग 4 तथा ऊपर के कर्मचारियों (यथा ग्रधिकारियों) को कम्पनी की तरफ से रिहाइश दी जाती है ग्रौर उन्हें कोई मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता ।

Charges against Telephone Employees

2455. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:—

(a) whether three years ago, certain telephone employees posted in Chandni-Chowk Stock Exchange in Delhi had been found guilty of accepting bribe and misuse of telephone lines;

(b) wether those employees had been transferred outside Delhi;

(c) whether after investigations it was found that their movable and immovable property exceeded their annual income; and

(d) the action taken against the persons found guilty?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) Not to our knowledge.

(b) to (d) Does not arise.

डाक तथा तार विभाग की तथा डाक दूर-संचार शाखाओं का पृथक्करण

2456. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक तथा तार विभाग की डाक तथा दूर-संचार शाखाओं को पृथक करने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दोनों विभागों की कार्य कशलता पर इस योजना से कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) और (ख) डाक-तार विभाग को डाक और दूर संचार शाखाओं में अलग अलग विभाजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बेहतर कार्यचालन दक्षता प्राप्त करने और योजना बद्ध स्कीमों के कार्यन्वयन में सुविधा की दृष्टि से फील्ड के डाक-तार सर्किलों का डाक और दूर-संचार सर्किलों में क्रियात्मक पुनर्गठन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौता

2457. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1957 में और दिसम्बर, 1973 में विदेशी सहयोग सम्बन्धी कुल कितन वित्तीय तथा तकनीकी समझौते अलग अलग किये गए ;

(ख) सहयोग सम्बन्धी समझौतों में दिसम्बर, 1973 में (एक) ब्रिटेन, (दो) अमरीका, (तीन) पश्चिम जर्मनी, (चार) जापान, (पांच) फ्रांस, (छह) स्वीडन, (सात) इटली और (आठ) अन्य देशों के कितने शेयर थे;

(ग) जनवरी से मार्च, 1974 के दौरान सरकार ने विदेशी सहयोग सम्बन्धी कितने समझौतों पर स्वीकृति दी और ये समझौते कितने उत्पादों के लिये किये गए ;

(घ) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश उत्पादों के उत्पादन के लिये तकनीकी जानकारी देश में ही उपलब्ध है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है और क्या इस नीति का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :

(क) 1957 और 1973 में सरकार द्वारा स्वीकृति विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों जिनमें वित्तीय तथा तकनीकी प्रस्ताव है की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	स्वीकृत सहयोगों की कुल संख्या	वित्तीय मामले	तकनीकी मामले
1957	106	26	80
1973	265	34	231

(ख) 1973 में स्वीकृत किये गये सहयोग प्रस्तावों का देश वार व्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र० सं०	देश का नाम	स्वीकृत किये गये विदेशी सहयोग प्रस्तावों की संख्या	कुल स्वीकृतियों अर्थात् 265 की तुलना में कालम 3 का प्रतिशत
1	2	3	4
1	ब्रिटेन	53	20.00
2	अमरीका	48	18.11
3	पश्चिम जर्मनी	60	22.64
4	जापान	39	14.71
5	फ्रांस	13	4.90
6	स्वीडन	7	2.64
7	इटली	5	1.90
8	अन्य देश	40	15.10
	योग	265	100.00

(ग) जनवरी से मार्च 1974 तक की अवधि में सरकार ने 113 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को स्वीकृत किया था। इनमें से 19 प्रस्तावों में विदेशी इक्विटी पूंजी निहित थी। भारतीय पार्टी का नाम, विदेशी सहयोग कर्ता का नाम, उत्पादन की वस्तु और क्या सहयोग विदेशी पूंजी की हिस्सेदारी निहित है आदि का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) विदेशी सहयोग के बारे में सरकार की नीति चयनात्मक रही है। सहयोग केवल उन की उच्च प्राथमिकता के मामलों तथा क्षेत्रों में अनुमत है। जहां पर विदेशी टैक्नालाजी का आयात करना आवश्यक समझा जाता है। अन्य क्षेत्रों में, टैक्नालाजी का आयात गुणावगुणों के आधार पर, अर्थात् 5 से 10 वर्ष तक की अवधि में पर्याप्त निर्यात करने की गारन्टी देने पर और इस प्रकार निर्यात करने के उपयुक्त अवसर होने पर किया जाता है।

फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड, पूना की मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स इक्विपमेंट फैक्टरी की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता

2458. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, पूना की प्रस्तावित मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स इक्विपमेंट फैटक्री की कुल अनुमानित लागत क्या है ?

(ख) इसमें कुल कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी, और

(ग) प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग) जैसा कि मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के लाइसेंस आवेदन पत्र में वर्णित है, फिलिप्स इंडिया लि०, पूना को प्रस्तावित मेडीकल इलैक्ट्रोनिक्स इक्विपमेंट फैक्टरी को कुल अनुमानित लागत 13 लाख रुपये है, जिसमें 5 लाख रु० भवन के लिए तथा शेष राशि संयंत्र व मशीनरी के लिए है। विदेशी मुद्रा लगभग 2 लाख रुपये मूल्य की पूंजीगत सामग्री का आयात करने के लिए अपेक्षित है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करना

2459. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 से 1973-74 तक की अवधि के दौरान वर्षवार कितने औद्योगिक लाइसेंस क्षेत्रवार और राज्यवार जारी किए गए ;

(ख) इस अवधि के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों में से कितने लाइसेंस पिछड़े क्षेत्रों में, राज्य बार उद्योग स्थापित करने के लिये थे ;

(ग) क्या हाल ही के वर्षों में औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ा है ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसका क्या कारण है कि औद्योगिक लाइसस जारी किए जाने के सम्बन्ध में कुछ राज्य और क्षेत्र अन्य राज्यों से बहुत पीछे हैं ;

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक उद्योग लगाने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की इलाकेवार तथा राज्यवार संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8193/74)

(ग) और (घ) यद्यपि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के प्रति एक निश्चित रुख है, परन्तु विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास का तुलनात्मक मूल्यांकन करना अभी समय पूर्व होगा।

आसूचना ब्यूरो के अनुभाग अधिकारियों की समिति विभागीय परीक्षा

2460. **श्री ज्योतिर्म बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की सीमित विभागीय परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा न ली जाकर आसूचना ब्यूरो द्वारा ली जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) आसूचना विभाग में अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति के लिये सीमित विभागीय परीक्षा केवल विभाग में पहले से कार्य कर रहे सहायकों तक सीमित है। पदोन्नति श्रेणी II पर से अन्य पद में होने के कारण ऐसी पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से मुक्त) विनियम, 1958, के विनियम 3(ग) के अधीन छूट को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।

Plan Holiday

2461. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(**a**) whether the first year of the Fifth Plan has become a 'Plan-holiday' becuase of failure to finalize the Plan;

(b) whether the Fifth Plan is likely to be launched by the end of this year ;

(c) whether, because of uncertainty in the position of plan, it has not been possible to lay down import policy and to set appropriate targets for agricultural production for the current year; and

(d) the measures taken to remedy the stalemate ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (d) The Fifth Five Year Plan is yet to be finalised. However, on the basis of the objectives as explained in the Draft Fifth Plan document, Annual Plan for the year 1974-75, which is a part of the Fifth Plan, has been finalised and launched into action from 1st of April 1974. Important production

targets and policy measures have been laid down and they are given in the Annual Plan 1974-75 document, which has already been circulated to the honourable Members.

Complaints received by S.P.E.

2462. **Shri M.C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state

(a) the total number of complaints received during 1971, 1972 and 1973 separately by the Special Police Establishment of the Central Bureau of Investigation; and

(b) the number of complaints on which decisions were taken during the above periods as also the number of persons awarded punishment indicating the nature of punishment awarded and the charges levelled against each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as possible.

Framing of recruitment rules

2463. **Shri M.C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Department of Personnel has issued a circular under which every Department of the Central Government is required to frame their Recruitment Rules and also to furnish a quarterly statement in this respect

(b) if so, whether all the Departments comply with these instructions; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Ministries/Departments have generally complied with the instructions issued on the subject from time to time. In certain cases it has however, been observed that Recruitment Rules for all the posts under Ministries/Departments have not been framed. In order to ensure that in future, no such lapses occur, fresh instructions have been issued on 22-7-1974, impressing upon the Departments to finalise Recruitment Rules for such posts within a period of six months.

Criteria for Identifying Industrially Backward States

2464. **Shri Jagannathrao Joshi**
Shri Martand Singh } : Will the **Minister of Industrial Development and Science & Technology** be pleased to state :

(a) the special scheme and criteria for indentifying the industrially backward States; and

(b) the names of such States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) The Pandey Committee on 'Identification of Backward Areas' recommended the following criteria to be applied in aggregate for identifying industrially backward States and Union Territories :—

(i) Total per capita income.

(ii) Per capita income from industry and mining.

(iii) Number of workers in registered factories.

(iv) Per capita annual consumption of electricity.

(v) Length of surfaced road in relation to :

(a) the population, and

(b) the area, of the State.

(vi) Railway mileage in relation to:

(a) the population, and

(b) the area of the State.

The recommendations of the Pandey Working Group in respect of identification of industrially backward States were accepted by the N.D.C. Committee in 1969.

One of the decisions taken by the N.D.C. Committee was that the Central Government may give an outright grant or subsidy amounting to one-tenth of the fixed capital investment of industrial units in two selected districts/areas in each of the States identified as industrially backward by the Pandey Working Group and one selected district/area in each of the other States and Union Territories.

Since July, 1972, the coverage of the scheme has been extended from (a) two to six districts/areas in each of the States identified as industrially backward, and (b) from one to three districts/areas in each of the other States.

(b) The Pandey Committee has identified the following States and Union Territories as industrially backward :—

States	Union Territories
Andhra Pradesh	Goa Daman & Diu
Bihar	*Himachal Pradesh
Madhya Pradesh	*Manipur
Orissa	*Tripura
Rajasthan	
Uttar Pradesh	
Assam	
Jammu & Kashmir	
Nagaland	

*Now considered as States.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जानकारी पर आधारित वैज्ञानिकों, तकनीकी विज्ञों तथा इंजिनियरों को समर्थ बनाने सम्बन्धी योजना

2465. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक नई योजना बनाई है ताकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परषिद की जानकारी पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी विज्ञ तथा इंजीनियर समर्थ हों ; और

(ख) यदि हां तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकि मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम (क) जी हां ।

(ख) योजना इस प्रकार है—कि सी० एस० आई० आर० के कर्मचारी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी विज्ञ और इंजीनियरों का सी० एस० आई० आर० की तकनीकी जानकारियों के आधार पर वाणिज्यिकरण करने के लिये और औद्योगिक विकास के लिये सी०एस०आई० आर०के अनुसंधानों का प्रयोग करने के लिये व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य लोगों के साथ अपने उद्योग स्थापित करने की आज्ञाप्रदान की जायेगी। वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकि विदों/इंजीनियरों को सी०एस०आई०आर० तकनीकी जानकारियों के आधार पर उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का उद्देश्य है उद्योग संचालकों की श्रेणी का निर्माण करना—जिसमें नये विचार और संगठन की नवीन पद्धतियों का स्वरूप और प्रौद्योगिकि हस्तांतरण का परीक्षण किया जा सके ।

संस्थानों/प्रयोगशालाओं द्वारा निर्धारित उचित शुल्क पर वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकि विद/इंजीनियरस पायलट प्लांट (प्रयोगिक संयंत्र) और उपकरणों के प्रयोग को सुविधा का लाभ उठा सकेंगे ।

इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्राप्त एक वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकि विद/इंजीनियर तीन वर्ष के लिये स्वीकृत अवकाश प्राप्त कर सकेंगे । अवकाश समाप्त होने पर या तो उसे सेवा में वापिस आना होगा अथवा सी० एस० आई० आर० के पद से त्यागपत्र देना होगा या नियमानुकूल स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त करनी होगी ।

टेलिविजन पिक्चर ट्यूबों की चोर बाजारी

2466. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों की चोर-बाजारी बढ़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो चोर-बाजारी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म बीर सिंह) : (क) तथा (ख) : इस मन्त्रालय को टेलीविजन सेटों के निर्माताओं या टेलीविजन सेट रखने वालों से टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों की चोर बाजारी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

Official languages implementation Committees in Central Government Offices

2467. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2353 on the 7th March, 1973 and state the functions of Official Language Implementation Committees in the Central Government Offices located in Hindi Speaking States and the basis on which these committees are set up ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : The main functions of the Official Languages Implementation Committees in the Central Govt. Offices located in Hindi speaking States are **(i)** to review the implementation of instructions of the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi and training of employees in Hindi under the Hindi Teaching Scheme; **(ii)** to make a review of the progress made in each quarter and to ensure timely submission of Quarterly reports and **(iii)** to ensure that appropriate number of employees are released for undergoing training in Hindi, Hindi typewriting and Hindi stenography.

The Official Languages Implementation Committees are to be set up in the offices where there are 25 or more employees excluding Class IV staff. In othr offices too, the Ministries/Departments may, in their discretion, set up such Committees. However, where two or more offices of the same Ministry/Department are located in the same station, combined Official Languages Implementation Committees may be set up, provided the total number of employees, excluding Class IV staff, in such offices is 25 or more.

स्वतंत्रता सेनानियों को तदर्थ अनुदान

2469. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार ऐसे कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें 31 मार्च, 1974 को खत्म हुए गत तीन वित्तीय वर्षों में और 1 अप्रैल, 1974 से अद्यतन तदर्थ अनुदान दिया गया था ; और

(ख) ऐसे विभिन्न नियोजन कौन से हैं जिसके लिये यह धनराशि दी गई थी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) गंभीर बीमारी इत्यादि का इलाज जैसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिये स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को तदर्थ आर्थिक सहायता दी जाती है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75 जुलाई 1974 तक
1	आन्ध्र प्रदेश	13	11	9	3
2	असम	1	2	2	—
3	बिहार	84	70	19	8
4	चंडीगढ़	—	2	—	—
5	दिल्ली	32	48	18	8
6	गोवा, दीव और दमण	—	1	1	1
7	गुजरात	1	—	3	1
8	हरियाणा	1	1	—	—
9	हिमाचल प्रदेश	—	—	1	—
10	जम्मू व कश्मीर	—	1	1	—
11	कर्नाटक	11	16	16	4
12	केरल	14	5	3	—
13	मध्य प्रदेश	22	21	7	3
14	महाराष्ट्र	7	7	1	3
15	उड़ीसा	12	7	6	1
16	पंजाब	5	7	5	2
17	पाण्डिचेरी	2	—	—	—
18	राजस्थान	1	6	8	—
19	तमिलनाडु	123	68	23	2
20	त्रिपुरा	33	17	2	1
21	उत्तर प्रदेश	156	153	88	8
22	पश्चिम बंगाल	68	47	23	10
23	मेघालय	—	—	—	1
	जोड़	583	490	236	56

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यों के विशाखन का प्रस्ताव

2471. श्री के० मालन्ना : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यों का विशाखन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस संबंध में राज्यों की राय भी ले ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा योजना आयोग के सदस्य श्री पाठक की अध्यक्षता में विशषज्ञों के एक दल नें पहले क्या सिफारिशें की थी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) विद्युत उद्योग के पुनर्गठन संबंधी प्रस्तावों में, राज्य बिजली बोर्डों में पारेषण और वितरण से उत्पादन का पृथक्करण सम्मिलित है । इस का प्रस्ताव प्रबन्ध व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि प्रत्येक कार्य को पूरा पूरा ध्यान दिया जा सके लगभग सभी राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया गया था और इस प्रस्ताव पर उनके विचारों को जान लिया गया है । योजना आयोग ने राज्य बिजली बोर्डों में प्रबंध संबंधी क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देने के साथ साथ यह भी विचार प्रकट किया है कि इन कृत्यों का पृथक्करण नहीं किया जाना चाहिए । कृत्यों के पृथक्करण पर अंतिम निर्णय प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा ।

लोइगानामक्की जलाशय को पूर्व को बहने वाली दो नदियों का पानी पहुंचाने संबंधी निर्माण कार्य

2472. श्री डी०बी० चन्द्र गौड़ा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार सिमोगा की पूर्व से बहने वाली दो नदियों का पानी सरस्वती पन बिजली परियोजना के बिजली उत्पादन के मुख्य स्रोत लोईगानामक्की जलाशय को पहुंचाने के निर्माण कार्य को आगे चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस अवस्था में है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) शारावती परियोजना के लिंगनामक्की जलाशय में दो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के जल की व्यपवर्तन संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । बहरहाल, करनाटक सरकार न जुलाई, 1974 में चक्रा स्कीम पर एक परियोजना रिपोर्ट भजी थी । इस स्कीम में शारावती घाटी में विद्युत केंद्रों की ऊर्जा शक्यता को बड़ाने के लिए शारावती बेसिन में लिंगनामक्की जलाशय में पश्चिम की ओर बहने वाली चक्रा नदी तथा उसकी सहायक सवेह कलु नदी जल का व्यपर्वतन परिकल्पित है । इस स्कीम पर 36.75 करोड़ रूपये लागत आने का अनुमान है तथा इस पर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत परियोजनाओं से संबंधित सलाहकार समिति द्वारा शीघ्र ही विचार किए जाने की संभावना है ।

"कांग्रेस फार कलचुरल फ्रीडम" और "गांधी पीस फाऊंडेशन" जैसे संगठनों पर रोक

2473. श्री एम० एस० पुरती :

क्या गृह मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि

(क) क्या "कांग्रेस फार कलचुरल फ्रीडम" और "गांधी पीस फाऊंडेशन" जैसे संगठनों पर तुरन्त रोक लगाये जाने की कोई मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने कांग्रेस फार कलचरल फ्रीडम तथा गांधी पीस फाऊंडेशन पर शीघ्र रोक लगाने की मांग के संबंध में समाचार देखा है।

(ख) यदि इन संगठनों की कुछ गतिविधियां लोक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल जाती हैं तो कानून के वर्तमान उपबंध इनसे निपटने के लिये पर्याप्त समझ जाते हैं।

अन्दमान के भूतपूर्व कैदियों को पेंशन देना

4274. डा० सरदीश राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान के भूतपूर्व कदियों को पेंशन देने के बारे में कुछ आवदन पत्र मंत्रालय के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त याचिकाओं की संख्या कितनी हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता

मिजोराम के छापे मिजो लोगों से वार्ता करने की मांग

2475. श्री एन०ई० मोरों
श्री के० मालान्ना } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मिजोराम ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि सब राज्य क्षेत्र की समस्याओं को अन्तिम समाधान के पाने के लिए छुपे मिजो लोगों से वार्ता की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहयोग से वस्तुओं का निर्माण

2476. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेशी सहयोग प्रबन्धों द्वारा संयुक्त उपक्रमों के लिए जिन 113 मदों की सूची तैयार की गई है उनमें से अधिकांश मदों की निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी भारत में ही सुगमता से उपलब्ध है ;

(ख) क्या उक्त कार्यवाही हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों के विरुद्ध नहीं है ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) विदेशी सहयोग के बारे में सरकार की नीति चयनात्मक ही बनी हुई है। निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले सहयोग के अतिरिक्त सामान्यतया उन उद्योगों में विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती है जिनके लिए आवश्यक तकनीक देश में ही उपलब्ध है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विषयक राष्ट्रीय समिति ने उन उद्योग धंधो का पता लगा लिया है जिनके प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ बनाना हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए आवश्यक है और आत्म निर्भरता को बढ़ावा देने की हमारी नीति के अंग के रूप में इसके लिए उपयुक्त अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम तैयार किए गए हैं :

राजस्थान के सामरिक महत्व के क्षेत्रों, बाड़मेर और जैसलमेर में आकाशवाणी की सेवाओं में सुधार

2477. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान के सामरिक महत्व के क्षेत्रों, बाड़मेर, और जैसलमेर के लोगों को समाचारों के लिये अभी भी पाकिस्तान रेडियो पर निर्भर करना पड़ता है क्योंकि आकाशवाणी के बुलेटिन उन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देते हैं ; और

(ख) उन क्षेत्रों में आकाशवाणी की सेवाओं में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) पूर्वी जैसलमेर तथा पूर्वी बाड़मेर के कुछ भाग जोधपुर के उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की प्राथमिक सेवा रेन्ज के अन्तर्गत हैं। शेष भाग भारत या पाकिस्तान के किसी भी ट्रांसमीटर की प्राथमिक प्रसारण व्याप्ति के अन्तर्गत नहीं आते। तथापि, ये क्षेत्र जोधपुर सहित आकाशवाणी के कुछ केन्द्रों की रात्रि के समय द्वितीय ग्रेड की प्रसारण व्याप्ति के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) सीमावर्ती क्षेत्रों सहित राजस्थान में आकाशवाणी की सेवाओं में सुधार करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन

2478. **श्री मार्तण्ड सिंह : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत छः महीनों के दौरान कोयला तथा विद्युत की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन को कितनी हानि पहुंची ; और

(ख) उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कोयला तथा विद्युत उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :
(क) ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है जिससे यह पता चलता हो कि विशेष रूप से मध्य प्रदेश में गत छह महीनों में कोयला तथा बिजली की कमी से सामान्य रूप से उत्पादन में कमी हुई हो। सामान्यतया मध्यप्रदेश में बिजली सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है तथा औद्योगिक एककों को मिलने वाली बिजली में किसी भारी कमी क समाचार नहीं मिले हैं।

देश में कोयले के उत्पादन में भी कमी नहीं हुई है। पावर हाउस और इस्पात संयंत्र जिन्हें मालगाड़ी के डिब्बे मिलन में प्राथमिकता मिलती है तथा अन्य उपभोक्ताओं को निम्न प्राथमिकता दिये जाने के परिणामस्वरूप समूचे देश म हाल के कुछ महीनों में कोयले की कमी हो गई तथा मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई असंतोषजनक रही है। इसक परिणामस्वरूप सभी उद्योगों की पूरी मांग की पूर्ति नहीं की जा सकी तथा उपलब्ध कोयले का आवटन अनुपात से किया गया जिससे उद्योग चालू रखने हेतु कोयले की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(ख) कोयले के लदान व समान वितरण में सुधार करने के लिये उठाये गये कुछ कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) कलकत्ता में रेल के क्षेत्रगत संगठन में एक बरिष्ठ अधिकारी निदेशक रेल संचरण की नियुक्ति करके सुदृढ़ किया गया है। निदेशन रेल संचरण की अध्यक्षता में कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड और भार कोकिंग कोयला लिमिटेड के प्रतिनिधियों को मिलाकर संयुक्त प्रकोप्ठ बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ कोयले का संचरण, समस्याओं का समाधान करने, और कोकिंग कोयला व हार्ड कोक के संचरण पर सर्वसमाहारी निगरानी रखने के लिये नियमित बैठकें कर रहा है, जिनके आवंटन का नियंत्रण कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता है।

(2) कोयले के वितरण और परिवहन की समस्याओं की जांच करने के लिये इस्पात व खान उप-मंत्री की अध्यक्षता में इस्पात व खान मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने विभिन्न क्षेत्रों विशेषतः लघु उद्योगों, ईंट के भट्ठों, व घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने के लिये कोयले का संचरण बढ़ाने का निश्चय किया है। लघु उद्योगों, ईंट के बर्नरों व घरेलू उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों पर डम्पर बनाने की योजनाओं को तेजी से आगे चलाया जा रहा है।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, योजना आयोग, सिंचाई व बिजली मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय तथा इस मंत्रालय द्वारा इस समस्या का समाधान करने और उद्योगों को पर्याप्त बिजली मुहय्या कराने के लिये सुधारात्मक अभ्युपाय किये जा रहे हैं। किये गये किये जाने हेतु प्रस्तावित अल्पावधिक व दीर्घावधिक अभ्युपाय निम्नलिखित है :—

अल्पावधिक अभ्युपाय

(1) अभावग्रस्त राज्यों की कमी को पूरा करने के लिये कुछ राज्यों में उपलब्ध आवश्यकता से अधिक बिजली का पूर्णरुपेण उपयोग किया जा रहा है।

(2) थर्मल जनित्र एककों के मरम्मत कार्य में शीघ्रता बरती जा रही है।

(3) थर्मल बिजली के स्टेशनों के लिये पूर्वी क्षेत्र में अच्छे किस्म के कोयले की व्यवस्था करना जहां एकक घटिया किस्म के कोयले का प्रयोग किये जाने के कारण एककों को क्षति पहुंची है।

(4) निर्माणाधीन बिजली जनित्र परियोजना और महत्वपूर्ण सप्रेषण लाइनों के कार्य में शीघ्रता बरती जा रही है।

(5) विद्युत मंडलों में पड़े हुये अप्रयुक्त छोटे छोटे जनित्र सैटों को काम में लगा दिया गया है।

(6) वाष्प प्रयुक्ता प्रकियात्मक उद्योगों को केप्टिव बिजली जनित्र संयंत्र लगाने के लिये अनुमति दी जा रही है।

(7) कुछ राज्य विद्युत मण्डलों नें डीजल सैट लगा दिये हैं।

(8) उद्योगों को बिजली की कमी चले जाने के समय में चलाये जाने के लिए एकदम तैयार आपातकालीन डीजल-सैट लगाने की अनुमति दी गयी है।

दीर्घावधिक अभ्युपाय

बिजली के विकास के लिये दशाब्दिक योजना तैयार की गयी है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना-काल में 94 लाख कि० वा० थर्मल, 6.4 लाख कि० वा० हाइड्रो व 7 लाख कि० वा० की नाभिकीय विद्युत बढ़ाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त कार्यक्रम पूरा हो जाने पर पांचवीं योजना के अन्त में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी।

कच्चा माल बैंकों की स्थापना

2479. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे उद्यमकर्ताओं की सहायता के लिये कच्चा माल बैंकों की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों की स्थापना से क्या लाभ होंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी):(क) और (ख) कच्चे माल कोष (रा मेटीरियल बैंक स्थापना संबंधी प्रस्ताव के बारे में इस मंत्रालय को कोई भी जानकारी नहीं है। फिर भी, कच्चा माल प्राप्त करने में लघु उद्योगों की सहायता करने हेतु 19 राज्य सरकारों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र ने लघु उद्योग निगम स्थापित किये हैं। अब तक स्थापित किये गए लघु उद्योग विकास निगमों की एक सूची संलग्न है।

विवरण

वे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जिनमें लघु उद्योग विकास निगम स्थापित किये गये हैं :—

राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. आसाम
3. पश्चिम बंगाल
4. बिहार
5. करल
6. गुजरात
7. मध्य प्रदेश
8. महाराष्ट्र
9. कर्नाटक
10. उड़ीसा
11. पंजाब
12. राजस्थान
13. उत्तर प्रदेश
14. तमिलनाडु
15. हरियाणा
16. हिमाचल प्रदेश
17. त्रिपुरा
18. मणिपुर
19. जम्मू और काश्मीर

संघ राज्य

1. दिल्ली

हजारीबाग जिले में पतरातु स्थान पर किलंकर यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र

2480. **डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब कि पश्चिम बंगाल स्थित दुर्गापुर में पहला सीमेंट कारखाना पूरा होने को है, तो क्या उससे संबंधित हजारीबाग, में पतरातु में स्थापित होने वाले किलंकर यूनिट (इस सिमेंट के कारखाने का समकक्ष कारखाना) को अभी तक केन्द्र सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है ;

(ख) यदि हां, तो किलंकर-यूनिट के संबंध में आवेदन पत्र पर विचार इस समय किस चरण में है, इसको स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह स्वीकृति संभवत: कब तक दे दी जायेगी, और

(ग) उपरोक्त सीमेंट कारखाने को किलंकर की सप्लाई किन कारखानों से उपलब्ध होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी): (क) और (ख) जी, नहीं। पतरातु में किलंकर संयंत्र के लिए आशयपत्र 15-6-1974 को जारी किया गया।

(ग) पतरातु में किलंकर संयंत्र पूरा हो जाने तक दुर्गापुर सीमेंट संयंत्र को उसी कंपनी के सतना सीमेंट वर्क्स द्वारा किलंकर का संभरण किया जायेगा।

बिहार में केन्द्रीय बलों का तैनात किया जाना

2481. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चल रहे जन आन्दोलन से निपटने के लिये कुल कितनी संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य केन्द्रीय बलों का प्रयोग किया गया है ;

(ख) क्या वहां के लिये सेना की सहायता भी मांगी गयी ;

(ग) यदि हां, तो किन अवसरों पर सेना की सहायता मांगी गयी ; और

(घ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य सहायक बलों की संख्या के आंकड़ों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस समय बिहार में कानून व व्यवस्था बनाये रखने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 45 कम्पनियां और सीमा सुरक्षा बल की 7 कम्पनियां नियुक्त हैं।

(ख) जी, नहीं श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ नागरिक शक्ति की सहायता में जाने के लिये गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स सशस्त्र बल हैं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 60 बटालियनें, सीमा सुरक्षा बलों में 77 बटालियनें और असम राइफल्स में 21 बटालियनें हैं।

केरल में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला

2482. श्री वयालर रवि : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालायें स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है तथा इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकि तथा कृषि मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : सी० एस० आई० आर० के (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) की शासी सभा ने निर्णय इस प्रकार लिया है । (अ) त्रिवेन्द्रम स्थित केरल सरकार की औद्योगिक परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला को अपने हाथ में लेना और वहां एक सिरेमिक प्रौद्योगिकि इकाई और एक मसालों संबंधी प्रौद्योगिकि इकाई की स्थापना करना । (ब) त्रिवेन्द्रम में बहु-शिल्पप्रौद्योगिकि प्रयोगशाला की स्थापना करना । (स) कोचीन में कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के यूनिटों के एक कोम्पलेक्स की स्थापना करना । उपरोक्त प्रयोगशाला को स्थानांतरित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु केरल सरकार से निवेदन किया गया है ।

S.T.D. between Delhi and cities of M.P.

2483. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether any city of Madhya Pradesh is connected with Delhi by direct dialling;

(b) whether a scheme to connect Bhopal with Delhi by direct dialling is under the consideration of Government; and

(c) if so, the time likely to be taken to complete the job ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) No, Sir.

(b) A scheme to connect Bhopal with Delhi by direct dialling has already been approved.

(c) The scheme is likely to be completed during 1977.

Telephone system for Bhilai, Durg and Khurshipar

2484. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether his Ministry have taken a decision for having a combined telephone system for Bhilai, Durg and Khurshipar instead of separate systems;

(b) whether Legislators, Members of Parliament and other persons have made a demand to him for connecting the said three suburbs which are contiguous to each other with direct telephone; and

(c) if so, action taken in this matter?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) to (c) Yes Sir. The Department has decided that keeping in view the close community of interest between the Bhilai Steel Plant the Industrial Estate and Drug Telephone System, an integrated telephone system should be developed for the entire area by inter-connecting the three exchanges at Bhilai, Durg, Khurshipar directly. Adequate number of trunks are being provided to inter-connect them.

According to the current tariffs applicable, calls between these exchanges will be charged at the rate of 25 paise per call of 3 minutes duration. As and when the exchanges are automatised, direct dialling facility will also be provided.

Delhi-Bhilai Trunk Link

2485. Shri Chandulal Chandrakar: Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether it takes many days in having contact by telephone with capital city of Delhi from Bhilai, the biggest labour centre of the country.

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): No Sir. Trunk calls from Bhilai to Delhi are routed on the Nagpur-Bombay-Delhi co-axial cable systems. Generally these calls are put through within a reasonable time and do not suffer inordinate delays. During the fortnight 22nd July, 1974 to 3rd August, 1974, a total of 10 trunk calls were booked from Bhilai to Delhi, out of which 9 were put within a period of one to five hours. Bhilai-Delhi calls sometimes suffer delays when there are interruptions on the co-axial cable routes or on the Durg-Nagpur open wire lines, which are not very frequent.

एम० ग्रार० ए० कार्यकरण

2486. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 जून, 1974 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें मेघालय के वित्त मंत्री द्वारा ऐसा कहा जाने का समाचार है कि एम० आर० ए० का कार्यकरण राय लिये जाने का मामला है कि यह अच्छा है अथवा बुरा ; और

(ख) क्या संसद में उठाये गये प्रश्नों के अनुसरण में एम० आर० ए० के माध्यम से सी० आई० ए० के साथ मेघालय के मंत्रियों के कथित सम्बन्ध होने के बारे में उन्होंने कोई जांच की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, हां श्रीमन् ।

(ख) ऐसी कोई जांच नहीं की गई है । फिर भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में पुरी सतर्कता बरती जा रही है ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा खरीदी गई परमाणु घड़ी

2487. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने एक परमाणु घड़ी खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या यह प्रयोगशाला स्वदेशी तकनिकी जानकारी की सहायता से कई ऐसियम बीम, हाइड्रोजन मैसर और रूबीडियम वैवा एटामिक बलाक का विकास कर रहा है और यदि हां, तो उनके विकास की क्या स्थिति है तथा उनको कब तक विकसित किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) सीजियम बीम एटोमिक क्लोक (परमाणु घड़ी) क्वांटम प्रक्रिया पर आधारित है । यह घड़ी यथार्थता की दृष्टि से इतनी सही है कि दस हजार वर्ष में केवल एक सैकिंड का फरक कम करती है । इस परमाणु घड़ी के आ जाने से वर्तमान प्रणाली की ठीक समय जानने की यथार्थता जो 108 में दो भाग है और क्वार्टस क्रिस्टल पर आधारित है, की उन्नति 1012 में सात भाग हो गई है । इस परमाणु घड़ी द्वारा उपलब्ध समय की यथार्थता सम्बन्धी उच्च क्षमता रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, रेडियो, विज्ञान, संचार, सैटलाईट ट्रेकिंग एवं देश की अन्य अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में की जायेगी ।

(ग) जी, हां । राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में देशी जानकारियों के साथ सीजियम बीम, हाईड्रोजन मैसर और रूबीडियम वैपर परमाणु घड़ी के विकास का श्रृंखलाबद्ध कार्य शुरू कर दिया गया है । यह आशा की जाती है कि अगले पांच वर्षों की अवधि में स्वदेशी परमाणु घड़ियां तैयार हो जायेंगी । उनका तैयार होना साधनों एवं उसमें शामिल निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

केरल में अखबारी कागज परियोजना की स्थापना में तकनिकी आपत्ति

2488. **श्री वयालर रवि :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने केरल में अखबारी कागज परियोजना की स्थापना के बारे में कोई नई तकनिकी आपत्ति उठाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस परियोजना के निर्माण कार्यों की सुचारू प्रगति के लिये तथा इसे निर्धारित समय में पूरा किए जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) हिन्दुस्तान कागज निगम परियोजना के कार्यान्वियन में प्रगति कर रहा है । परियोजना रिपोर्ट को अनुसंधान कर लिया गया है और संयंत्र और मशीनों के लिये शीघ्र ही क्रयादेश दे दिए जाने की आशा है ।

केरल कृषि श्रमिक विधेयक

2488. श्री वयालार रवि : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अब तक केरल कृषि श्रमिक विधेयक को स्वीकृति नहीं दी है जिसका लक्ष्य कई लाख कृषि श्रमिकों की कार्यकरण स्थितियों में सुधार करना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इस विधेयक को कब तक स्वीकृति मिल जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राष्ट्रपति द्वारा 31-7-74 को विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर में ट्रक टायरों की चोर बाजारी

2490. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने, हाल ही में जून में, कानपुर में कई गोदामों पर अपने छापों के दौरान कई लाख रुपए के मूल्य के जमा हुए ट्रक टायर बरामद किए हैं ;

(ख) क्या कुछ संख्या में टायर तथा ट्यूबें कालाबाजर में उपलब्ध थीं और देश में वितरण प्रणाली के दोषपूर्ण होने के कारण वास्तविक ग्राहक इनसे वंचित रहे; और

(ग) यदि हां, तो रंगे हाथों पकड़े गये अथवा इस व्यापार में कालाबाजार करने वाले लाइसेंस प्राप्त/अधिकृत विक्रेताओं के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सम्बद्ध सूचना देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है और सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) : बिजली की कटौती, मजदूरों के झगड़े तथा कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई आदि के कारण टायर तथा ट्यूब के कारण उत्पादन में गिरावट आई है । इसके परिणाम-स्वरूप टायरों या ट्यूबों, खासकर के बसों व ट्रकों के टायर व ट्यूबों की कमी तथा बढ़े हुए दामों पर इन्हें बेचे जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं । मांग के अनुरूप पर्याप्त् उत्पादन ही इस असामाजिक व्यवहार को दूर करने का संतोषप्रद समाधान है । अतः सरकार उत्पादन को यथा सम्भव बढ़ाने

क लिए विभिन्न उपाय अपनाने पर ध्यान दे रही है। टायर व ट्यूब के उद्योगपतियों ने सरकार के साथ परामर्श कर के एक वितरण प्रणाली तैयार की है जिस में वितरकों व विक्रेताओं की गतिविधियों के विभिन्न स्तर पर तालमेल रखने की परिकल्पना की गई है। इस वितरण प्रणाली में ये प्रावधान है कि हर छोटा उपभोक्ता निकटतम टायर वितरण केन्द्र में अपना पंजीकरण करायेगा और अपनी प्रत्येक गाड़ी के लिए, जिसे वह खुद चलाता है, एक टायर कोटा कार्ड प्राप्त कर लेगा।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मोटरगाड़ियों के टायरों व ट्यूबों को भी आवश्यक बस्तु घोषित कर दिया गया है। यदि विक्रेता कालाबाजारी करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

विदेशी अपराध फिल्मों के आयात और प्रदर्शन को रोकने का प्रस्ताव

2491. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बैंक डकैतियां तथा अन्य अपराधों की बढ़ती हुई लहर का बढ़ती हुई बेरोजगारी और हमारे देश में दिखायी जाने वाली विदेशी अपराध-फिल्मों के साथ घनिष्ठ संबंध है ;

(ख) क्या ये अवांछनीय फिल्में हमारे देश के नवयुवकों को यह सिखाती हैं कि बैंकों में डाके कैसे डाले जायें और अन्य अपराध कैसे किये जायें ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी फिल्मों का आयात रोकने और उनके प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सामान्य रूप से अपराध जटिल सामाजिक-आर्थिक कारणों से सम्बन्धित होता है और उन में से कुछ ही पर जोर देना गलत होगा।

(ख) सभी फिल्में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार आपत्तिजनक अंशों अर्थात् ऐसे दृश्य जो दर्शकों को अपराध करने के लिये उकसाने वाले हों तथा जिनमें अपराधों की कार्यप्रणाली का विवरण हो, को काटने के उपरान्त प्रमाणीकृत की जातीं हैं।

(ग) वर्तमान आयात नीति सलैक्टिव आयातों की नीति है तथा सेन्सर के माध्यम से सभी फिल्मों, विदेशी या भारतीय, में चलचित्र हिंसा पर बड़ी रोक लगाई जाती है।

Assistance to Families of Police Personnel in Delhi

2492. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to give any special assistance to the family of an Inspector Shri Laxmi Chand, who laid down his life while on duty in encounter with a gang of scooter and car lifters in Gandhi Nagar area of Delhi ;

(b) if so, the facts thereof ; and

(c) the scheme formulated by Government to give help in such cases ?

(2) इस्पात, सीमेंट, विस्फोटक और औद्योगिक गैसों जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री को प्राप्त करने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं।

(3) बिजली प्रदाय उद्योग को पुनर्गठित करने तथा राज्य बिजली बोर्डों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रबंध को सुधारने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को कार्यालयों में नियुक्त करने के बारे में राज्यों को निर्देश

2494. श्री अनादि चरण दास : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कार्यालयों में नियुक्त करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : 'राज्य लोक सेवाएं' संविधान की सातवीं अनुसूची की 'राज्य सूची' में एक प्रविष्टि है। अतः राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 12 के साथ पठित अनुच्छेद 335 के अनुसार तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों का कार्य है। अतः भारत सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश अथवा अनुदेश जारी नहीं किए जा सकते, इस प्रकार इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों को सभी राज्य सरकारों को नोटिस में भी लाया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों तथा दी गई रियायतों के सार को विशेष रूप से राज्य सरकारों को नोटिस में इस अनुरोध के साथ लाया गया है कि वे अपने द्वारा किए गए उपायों/आरक्षणों की समीक्षा करें और यदि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के रोजगार के सम्बन्ध में किए गए उपाय से कम रह जायें तो, वे यथावश्यक उपचारी कार्रवाई करें।

"एल्युमीनियम शार्टेज हिट्स केबल यूनिटस" शीर्षक के समाचार

2495. श्री अनादि चरण दास : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 1974 के दिल्ली में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र में "एल्यूमीनियम शार्टेज हिट्स केबल यूनिटस" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसके परिणामों की जानकारी है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। विशेषतः धातु की उपलब्धि सीमा के अन्दर ही यथा सम्भव प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एल्यूमीनियम की कमी से बचने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का शामिल किया जाना

2496. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा की किसी प्रमुख नदी घाटी परियोजना को शामिल किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने पांचवी योजना में किसी नई वृहत् सिंचाई परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं किया है।

एरेटेड वाटर कम्पनियों को आयल लायसेंस देना

2497. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रही कितनी स्थानीय तथा विदेशी एरेटेड वाटर कंपनियों ने 31 जुलाई, 1974 को समाप्त होने वाले गत एक वर्ष के दौरान कच्चे माल के आयात के लिये आयात लाइसेंस मांगे हैं ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितने मूल्य के लाइसेंस मांगे हैं ;

(ग) कितनी भारतीय अथवा विदेशी कम्पनियों को हल्के पेयों के लिये कच्चे माल के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये, उनका मूल्य कितना है, उन कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं, उन्हें किन कारणों से उक्त लाइसेंस दिये गये हैं तथा उक्त कच्चा माल देश में ही उपलब्ध नहीं था ; और

(घ) यदि कच्चे माल के आयात के लिये किसी भी भारतीय कंपनी को आयात लाइसेंस नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण है तथा क्या भारतीय कंपनियों के संवर्द्धन के लिये उनके अनुरोधों पर फिर से विचार किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) संबंधित सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नये टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

2498. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में टैलीफोन के नये प्रकार के उपकरणों का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ये नए उपकरण वर्तमान उपकरण की तुलना में कहां तक अधिक सुविधा-जनक तथा श्रेष्ठ होंगे;

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Snri F.H. Mohsin): **(a)** and (b) An amount of Rs. 1600 has already been given to the family of late Shri Laxmi Chand for immediate relief from the Mutual Benefit Fund of the Delhi Police. Payment of an ex-gratia grant to the family of the deceased is under consideration of the Government.

(c) No separate scheme has been formulated to give help in such cases, but under the existing rules the following assistance is admissible to the family of the deceased :—

1. Family Pension

2. Death Cum-Retirement Gratuity.

3. Earned leave salary to the maximum extent of 120 days.

4. Relaxation in age of the son/daughter of the deceased for the purpose of employment.

5. Allotment of residential Government accommodation, in case the deceased Government servant, was allotted a Government accommodation.

In the present case, a proposal to employ the son of the deceased in the Delhi Police is also under consideration of the Delhi Administration.

बिजली परियोजनाओं का पूरा किया जाना

2493. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो शीघ्र पुरी होने वाली हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक को शीघ्र कब तक चालू कर दिया जाएगा ; और

(ग) निर्माणाधीन अन्य परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

सींचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उन परियोजनाओं को दिखाने वाला विवरण, जो निर्माण की प्रोढ़ावस्था में हैं तथा जिनके इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है, संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8194/74]

(ग) (1) विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति पर गहरी निगरानी रखी जा रही है। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में एक केन्द्रीय निदेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है ताकि कठिनाईयों को मालूम किया जा सके और समय पर दोष निवारक उपायों को किया जा सके।

(ग) इन नये उपकरणों का वार्षिक निर्माण कितना होगा और यह नया उपकरण वर्तमान जरुरतों को किस हद तक पूरा कर देगा ; और

(घ) यह नया उपकरण पहले उपकरण की तुलना में कितना सस्ता होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां । इण्डियन टैलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर द्वारा ।

(ख) नया उपकरण इस तरह डिजाइन किया गया है जिससें इसका निष्पादन, इसकी दक्षता और विश्वसनीयता बढ़े । इसमें प्रयुक्त अच्छे किस्म के घटक और निर्माण तकनीकी के कारण रखरखाव में सुविधा होगी ।

(ग) आशा है प्रारम्भिक प्रायोगिक उत्पादन अनुमानतः 50,000 उपकरणों का होगा । बाद के वर्षों में उत्पादन बढ़ेगा । टेलीफोन की नई किस्म निर्मित अन्य विभिन्न किस्म के उपकरणों के निर्माण में वृद्धि लाएगी और बढ़ी हुई मांगों को काफी हद तक पूरा करेंगी ।

(घ) आशा है कि यह मौजूदा माडलों के मुकाबिले में आंशिक रूप से सस्ता होगा ।

"भाखड़ा नंगल लेवल नियर क्राइसिस प्वाईंट" (भाखड़ा का स्तर संकट के निशान के निकट) शीर्षक से समाचार

2500. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1974 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में "भाखड़ा लेवल नियर क्राइसिस प्वाइन्ट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कृषि कार्यों के लिये बिजली की नियमित सप्लाई रखने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समाचार में कोई सार नहीं है कि भाखड़ा बांध का स्तर खतरे के बिन्दु के समीप पहुंच गया था । वास्तव में, 19 जुलाई, 1974 को जलाशय स्तर अभिकल्पित निष्क्रय संचय स्तर से लगभग 53 फुट ऊंचा था और इसमें वृद्धि हो रही थी । 12 अगस्त, 1974 तक यह 66 फुट और ऊंचा हो गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कृषि के लिए बिजली की आवश्यक मांग की पूर्ति भाखड़ा में विद्युत उत्पादन में वृद्धि और नंगल उर्वरक कारखाने से बिजली की सप्लाई को आंशिक रूप में व्यपवर्तित करके की गई थी ।

Name of news agencies to whom grants or Honorarium are given by Government

2501. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the news agencies which are given grants or honorarium by Government of India every year indicating the amount thereof, separately ; and

(b) the amount given to the Indian news Agencies last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : **(a)** No grants or honorarium is given to the News Agencies by the Government of India.

(b) Does not arise.

महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

2502. श्री धामनकर
श्री वसंत साठे } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में पेंशन के मामलों की जिलावार स्थिति क्या है कितने मामलों में पेंशन देना स्वीकार किया गया । कितने मामले रद्द किये गये हैं । कितने मामले विचाराधीन हैं । कितने मामले ऐसे हैं जिन पर विचार नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने अत्यधिक बूढ़े/निरन्तर बीमार/विकलांग/स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं जिनका आवेदन-पत्रों के अन्तिम रूप से स्वीकृत किये जाने से पूर्व आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही देहान्त हो गया, को पेंशन देने के लिये प्राथमिकता निर्धारित की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं और महाराष्ट्र में जिलेवार, ऐसे कितने मामले स्वीकृति के लिये अनिर्णित पड़े हैं और उन पर निर्णय करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) एक विवरण संलग्न है । (अनुलग्नक-1) [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-8195/74]

(ख) तथा (ग) सामान्यतः आवेदन-पत्रों की जांच तिथि के क्रम से की जाती है । स्वतंत्रता सेनानी जो बहुत वृद्ध, अथवा बहुत बीमार या आर्थिक संकट में होते हैं को प्राथमिता (प्रथम प्राथमिकता 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को तथा द्वितीय प्राथमिकता 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को) दी जाती है । जीवन निर्वाह के साधन रहित विधवाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है । ऐसे लंबित मामलों की स्थिति अनुलग्नक-II में दी गई है । [देखिए ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-8195/74] ।

"न्यू फिल्म एवार्ड सिस्टम किक्स ग्राउट टॉप स्टार्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2503. **श्री घामनकर**
श्री वसन्त साठे } : क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1974 की अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक में "न्यू फिम्म एवार्ड सिस्टम किक्स ग्राउट टॉप स्टार्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जूरी जो अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र थी, के मार्ग-निर्देशन का एकमात्र-ग्राधार प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रविष्टियों में प्रदर्शित योग्यता थी।

राजकोट में जेटालसार में पुलिस द्वारा गोली चलाना

2504. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस को राजकोट में जेटालसार में 15 जुलाई, 1974 को गोली चलानी पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये ; ग्रौर

(घ) क्या इस संबंध में जांच की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, हां। श्रीमन्।

(ख) राज्य सरकार ने जैसा सूचित किया है 2000 व्यक्तियों की हिंसक भीड़ को जिसने राज्य परिवहन की सात बसों को क्षति पहुंचाई थी तथा 6 पुलिस ग्रधिकारियों तथा कर्मचारियों को चोट पहुंचाई गई थी तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

(ग) पुलिस की गोली-बारी से कोई व्यक्ति नहीं मारा गया था।

(घ) इस सम्बन्ध में गोंडल के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा मेजिस्टेरियल जांच शुरु की गई है।

हिमाचल प्रदेश स्थित सावरा तथा कोटखाई में टेलीफोन एक्सचेंज

2505. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में जुवाल तहसील में सावरा, तथा शिमला जिले में कोट खाई तहसील के स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्वीकृति किस तारीख को दी गई ; ग्रौर

(ग) उक्त एक्सचज संभवतः किस तारीख तक स्थापित हो जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश की जुब्बाल तहसील के सावरा नामक स्थान पर एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कोट खाई में पहले से ही एक टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद है। सावरा में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने से संबंधित परियोजना फरवरी, 1974 में स्वीकृत की गई थी और इसके इसी वित्तीय वर्ष के दौरान चालू हो जाने की संभावना है। कोट खाई के मामले में इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में अब्बाह जिले में भादोली-का-पुरा में हरीजनों पर अत्याचार

2506. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे**
श्री भागीरथ भंवर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भादौली-का-पुरा गांव में हाल ही में हरिजनों पर किये गये अत्याचार के बारे में पूरा और प्रमाणित विवरण सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने क्या विचार है ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित परिवारों को कोई राहत दी है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 11 जून की शाम को गांव बरवाई, थाना अम्बा, जिला मुरेंना का एक धौंधू सिंह तोमर को जब वह अपनी नव-विवाहित बहन को साथ ले जा रहा था तो कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ते में घात लगाई गई थी। अम्बा पुलिस थाने में लूट के बारे में एक शिकायत की गई थी और पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 394/392 के अधीन एक मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए भादौली का पुरा गांव के तीन संदिग्ध हरिजनों को रोक लिया गया। 13 जून को घातक हथियारों के साथ 4–5 हजार ठाकुरों की एक भीड़ भादौली का पुरा गांव में एकत्रित हो गई। इतने में पुलिस उप-अधीक्षक, अम्बा, एक हेड कांस्टेबल तथा 4 कांस्टेबल घटनास्थल पर पहुंच गये। पुलिस उप-अधीक्षक ने भीड़ को कानून अपने हाथ में न लेने के लिए मनाने की कोशिश की। साथ ही उसने अतिरिक्त कुमुक भजने के लिए थाने में पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजी। इस समय तक भीड़ का एक भाग साथ के गांव कुम्हेरपुरा में चला गया और वहां लूट तथा आग लगाने का प्रयत्न किया। ऐसा लगता है कि वहां 3 या 4 हरिजनों तथा ठाकुरों में मामूली गोली चली। इतने में पुलिस उप-अधीक्षक तथा उनके दल ने कुम्हेरपुरा गांव की स्थिति पर नियंत्रण कर लिया, भीड़ पुनः भादौली-का-पुरा में एकत्र हुई और हरिजनों के घरों को लूटना तथा आग लगाना शुरु कर दिया। पुलिस उप-अधीक्षक तथा उनके दल को कुम्हेरपुरा से भादौली-का-पुरा वापस भागना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए 10 राऊण्ड गोली चलाई। उनके भरसक प्रयत्नों के बावजूद हरिजनों के 45 मकान जला दिये गये और एक अपंग वृद्ध महिला मर गई।

दो मामले दर्ज किये गये थे—एक गांव भादोली-का-पुरा की घटना के बारे में और दूसरा कुम्हेर-पुरा की घटना के बारे में। पचास अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनका चालान किया गया है।

गेहूं, सीमेंट, जी० सी० शीट और कपड़ों के अतिरिक्त हरिजनों को 66,000/—रुपये (छयासठ हजार रुपये) की राशि स्वीकृत की गई है। वन विभाग से उनके मकानों के पुनर्निर्माण के लिए लकड़ी प्रदान करने के लिए कहा गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने, उनको तंग करने इत्यादि की सभी शिकायतों से निपटने के लिए पुलिस के एक उप-महानिरीक्षक के अधिकार में पुलिस मुख्यालय, भोपाल में एक विशेष कक्ष स्थापित किया है। क्षेत्रीय जांच-पड़ताल के लिए कक्ष के नियंत्रण में सात विशेष पुलिस थाने हैं और प्रत्येक के क्षेत्राधिकार में एक पूरा डिवीजन आता है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये राज्यों को नियतन

2507. **श्री मुरासोली भारन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रत्येक राज्य को वर्ष 1972 से 1974 तक प्रति वर्ष पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के विकास कार्यक्रम या विकास की स्कीम को ध्यान में न रख कर, वस्तुपरक सूत्र के आधार पर, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्यों को समेकित (ब्लाक) ऋणों और समेकित (ब्लाक) अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता दी गई थी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः सम्बद्ध राज्य सरकारों की है और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपनी समस्याओं, क्षमताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कुल उपलब्ध योजना संसाधनों में से पिछड़े क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन का निश्चय करें।

नये अग्निशामक इंजन

2508. **श्री वरके जार्ज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन स्टेन्डर्ड इंस्टीट्यूट के विशिष्ट विवरण के आधार पर दिल्ली अग्निशामक सेवा के इंजीनियरों ने एक ऐसा नया आश्चर्यजनक अग्निशामक इंजन बनाया है जो उत्तेजित भीड़ के प्रचण्ड रोष का सामना कर सकता है और सामान्य अग्निशामक इंजनों से दुगुना प्रभावशाली है ;

(ख) क्या सरकार पुराने अग्निशामक इंजनों के स्थान पर नए अग्निशामक इंजन लाना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो एक इंजन की अनुमानित लागत कितनी है और सरकार का विचार नए अग्निशामक इंजनों पर कितनी राशि व्यय करने का है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली अग्नि शामक सेवा के इंजीनियरों ने कोई नया अग्नि शामक इंजन नहीं बनाया है। इसके विपरीत, अग्नि शामक कर्मचारियों को भीड़ से बचाने के लिये दिल्ली अग्नि सेवा की एक वर्तमान पानी की गाड़ी की खिड़कियों तथा वायु रोधक दंगे निरोधक कवच लगाये गये हैं तथा अन्दर एक पंपिंग सैट लगाया गया है। मूल अग्नि शामक इंजन में जो सामान्यता इंडियन स्टैंडर्ड के प्रतिमान के अनुरूप है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एक भारतीय फर्म द्वारा अत्यधिक विस्फोटक सामग्री का बनाया जाना

2509. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **विज्ञान** और **प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सैन्ट्रल इलैक्ट्रोकैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट करायकड़ी के डायरेक्टर के विचारानुसार जो 22 जून, 1974 के स्थानीय दैनिक में प्रकाशित हुई थी, एक भारतीय फर्म ने अत्यधिक विस्फोटक क्षमता की सामग्री बनाई है और इतनी अधिक विस्फोटक क्षमता की सामग्री विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं बनी है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या डायरेक्टर द्वारा वक्तव्य देने से पूर्व उक्त इंस्टीट्यूट द्वारा इसका परीक्षण किया गया था ?

औद्योगिकी विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान (सीं० एस० आर० आई०) करायकड़ी के निर्देशक ने दिनांक 20-6-74 को मदुरई नें लघु उद्योगों के लिये क्षे० समिति जो मदुरई और रामानन्द के लिये है, द्वारा आयोजित लघु उद्योग सम्मेलन में भाषण करते समय पर-क्लोरेट उत्पादन के लिये सी० ई० सी० आर० आई० द्वारा विकसित प्राद्योगिकी के बारे में चर्चा की थी। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के माध्यम से प्रविधि आई०डी०एल० कैमीकल्स प्रा० लिमिटेड हैदराबाद को दे दी गई है। सोडियम पर क्लोरेट को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके फार्म द्वारा एक नयी विस्फोटक सामग्री विकसित की गई है जिसकी विस्फोटक क्षमता बहुत अधिक है।

(ग) केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद में विस्फोट का परीक्षण किया जा रहा है।

बिजली के टाइपराइटरों का उत्पादन

2510. **श्री वरके जार्ज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जुलाई 1974 को समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार, राज्य के स्वामित्व वाला हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड बिजली के टाइप राइटरों का उत्पादन शीघ्र ही आरम्भ करेगा;

(ख) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड द्वारा देश में पहली बार उत्पादित बिजली के टाइप राइटर दो महीनों के अन्दर-अन्दर बाजार में उपलब्ध हो जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान टाइप राइटरों की तुलना में बिजली के टाइप राइटर टाइप के प्रयोजनों के लिए अधिक अच्छे और टिकाऊ सिद्ध होंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस वर्ष के अन्त तक इन टाइप राइटरों के बाजार में आने की संभावना है ।

(ग) जी, नहीं ।

लद्दाख में पुगा घाटी में भूतापीय परियोजना

2511. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख जिले में पुगा घाटी में गर्म चश्मों से भाप पर आधारित भू-तापीय परियोजना पर कब तक काम आरंभ हो जाने की संभावना है ; और

(ख) इस परियोजना की बिजली पैदा करने की क्षमता कितनी होगी इसके निर्माण पर कितनी लागत आयेगी और इससे क्या कार्य होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) परियोजना रिपोर्ट की जांच हो रही है और परियोजना के स्वीकृत होते ही कार्य शुरु कर दिया जायेगा । परियोजना की क्षमता 1000 किलोवाट है और कुल अनुमानित लागत 64 लाख रुपये हैं । इस परियोजना से पुगा घाटी के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए एक आधारभूत अवसंरचना मिल जाएगी । इससे ऊष्मा, रोशनी और पावर के लिए केरोसीन तथा डीजल तेल में बचत होगी । विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त, भू-तापीय तरल पदार्थ को बोरेक्स आदि निकालने जैसे अन्य कामों में लाया जा सकता है ।

स्टकना पन-बिजली परियोजना की प्रगति

2512. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टकना पन-बिजली परियोजना की वर्तमान प्रगति क्या है ; और

(ख) इसके पूरा होने का लक्ष्य क्या है और उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जम्मू-काश्मीर सरकार ने 1600—1600 कि० वा० की पांच यूनिटों के प्रतिष्ठापन के लिए एक संशोधित परियोजना प्रस्तुत की है तथा इस समय, परियोजना अधिकारियों के साथ विचारविमर्श करके, इसकी जांच की जा रही है ;

(ख) इस स्कीम से 1977—78 में लाभ प्राप्त होने की संभावना है । इस परियोजना के लिए पांचवी योजना में अनुशासित परिव्यय 10 करोड़ रुपये वार्षिक योजना (1974—75) के लिए 50 लाख रुपये है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचि जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाना

2513. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के वर्ष 1971–72; 1972–73, और 1973–74 के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने 1971–72 तथा 1972–73 के वर्षों के लिये केवल एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वर्ष 1973–74 की रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) तथा (ग) 1971-72 वर्षों के लिए रिपोर्ट के हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तर छप रहे हैं। रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां उपलब्ध होते ही सदन के पटल पर रख दी जायेंगी।

अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

2514. **श्री एस० एम० सिद्दैय्या** : क्या **गृह** मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियों में वृद्धि के बारे में 19 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5477 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए निर्धारित साधन आधार समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि अनुसूचित जन जातियों के बारे में कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, नहीं। श्रीमन्।

(ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक निर्धन अनुसूचित जाति के परिवारों के छात्रों को इस योग्य बनाना है जिससे कि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें।

भारत में वर्ष 1989 तक पानी का अकाल

2515. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आई० आई० टी०, दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के बारे में 22 जुलाई, 1974 के अंग्रेजी के स्थानीय दैनिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1989 तक भारत में पानी की मांग इसकी उपलब्धता की तुलना में बढ़ जाएगी और बड़ी मात्रा में जल संसाधनों के उपलब्ध होने के बावजूद देश को पानी के अकाल का सामना करना पड़ेगा; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) कई क्षेत्रों में जल की बढ़ती हुई कमी तथा जनसंख्या में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप निकट भविष्य में इस कमी में और वृद्धि होने की संभावना को सरकार पूरी तरह समझती है। एक उपयुक्त जल-नीति बनाने तथा विकास की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय योजनाओं से पर्याप्त रूप में सम्बद्ध विस्तृत और व्यापक नदी बेसिन योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता को स्वीकार किया जा चुका है। सिंचाई सैक्टर में उपलब्ध जल के इष्टतम उपयोग के लिए उसे सुरक्षित रखने तथा उसमें किफायत करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय भी किये जा रहे हैं :—

(1) पुराने सिंचाई कार्यों का आधुनिकीकरण ;

(2) तलजल और भूमिगत जल का समेकित उपयोग ;

(3) कमांड क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम ;

(4) जहां आवश्यक हो, नहरों और वितरणियों की लाइनबंदी करना ;

(5) पादप वृद्धि के लिए कमी की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए भूमि संरक्षण उपाय।

उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना जिनके आवेदन पत्र 31 मार्च, 1974 के बाद प्राप्त हुए

2516. **श्री नागेश्वर द्विवेदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1974 की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद राज्यवार, पेंशन देने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) क्या सरकार ने आवेदन-पत्रों पर विचार करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) यह निर्णय किया गया है कि उन आवेदन-पत्रों पर जो 31 मार्च, 1974 अथवा उससे पूर्व की तिथि के हैं और 15 अप्रैल, 1974 तक प्राप्त हुए थे यदि अन्यथा पात्र पाये गय तो पेंशन के लिए विचार किया जायेगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए सभी अन्य आवेदन-पत्रों में सर्वप्रथम आवेदकों से विलम्ब से भेजने का कारण पूछा जाता है। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया जाता है तो गुणदोष के आधार पर मामले पर विचार किया जाता है।

विवरण

प्रश्न क भाग (क) में उल्लिखित निर्धारित अंतिम तिथि 31-3-1974 के पश्चात् पेंशन स्वीकृत करने के बारे में 31-7-1974 तक स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की राज्यवार संख्या ।

राज्य		प्राप्त संख्या
आन्ध्र प्रदेश		592
असम		447
बिहार		914
दिल्ली		39
गोवा		31
गुजरात		94
हरियाणा		65
हिमाचल प्रदेश		92
जम्मू व कश्मीर		315
केरल		383
कर्नाटक		527
मध्य प्रदेश		194
महाराष्ट्र		813
मणिपुर		59
उड़ीसा		197
पण्डिचेरी		51
पंजाब		509
राजस्थान		35
तमिलनाडु		234
त्रिपुरा		184
उत्तर प्रदेश		635
पश्चिम बंगाल		1,492
	जोड़	7,902
भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी		762
	कुल जोड़	8,664

दिल्ली में वृद्ध अशक्त तथा बीमार स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये 'गृह'

2517. **श्री शंकर देव** : क्या गृह मंत्री 24 जुलाई 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी गृह स्थापित करने हेतु विलिंगडन अस्पताल के सामने बाबा खड़क सिंह रोड (इरविन रोड) पर स्थित दो भवन आवंटित करने के उनके अनुरोध पर, उक्त भवन निर्माण और आवास मंत्री द्वारा 25 मई, 1974 को या इसके आसपास वास्तव में दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित 'गृह' उन भवनों में कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इन भवनों को किन परिस्थितियों अथवा आधारों पर अस्वीकार किया गया ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये अन्य भवनों को प्राप्त करने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) बाबा खड़क सिंह मार्ग (ओल्ड इर्विन रोड) स्थित मकानों का कब्जा आवंटन आदेश प्राप्त होने पर 12 जून 1974 को ले लिया गया था। अब लगभग 25 स्वतंत्रता सेनानियों के लिये जो वृद्ध तथा अशक्त हैं और जिनकी देखभाल करने करने वाला कोई नहीं है, 2 अक्तूबर, 1974 को एक अस्थायी गृह आरम्भ करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

Stoppage of Financial Assistance to Freedom Fighters in Some Cases

2518. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the facilities and financial assistance being given by State Governments and the Central Government to some freedom fighters and the persons who took active part in the national movement have been stopped :

(b) if so, the reasons therefor and the number of such patriots in the country whose facilities and financial assistance have been stopped ; and

(c) the difficulty Government have in reviving these immediately and the time by which these would be done ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) Government are not aware of any stoppage of financial assistance or facilities to freedom fighters. The Central Pension Scheme 1972 is continuing and pension has been sanctioned to 84724 freedom fighters and their dependents till 31-7-1974. Some State Governments have their own pension schemes and payments continue to be made by them.

Suitable *ad hoc* financial assistance is also given to freedom fighters and their dependents from Home Minister's Discretionary Grant for specific purposes like treatment of serious illness etc.

दिल्ली में वृद्ध, अशक्त और बीमार स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये गृह

2519. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री 24 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये गृह" शीर्षक से प्रकाशित 29 मई 1974 के उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा है कि सरकार द्वारा वृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के लिये एक अस्थायी गृह लगभग एक मास में बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर स्थापित किया जायेगा; और

(ख) क्या उपरोक्त समाचार सरकारी दृष्टिकोण को प्रकट करता है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार ने 29 मई, 1974 के समाचार पत्र में रिपोर्ट देखी है, लगभग 25 स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये, जो वृद्ध तथा अशक्त हैं और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, दिल्ली में 2 अक्तूबर, 1974 से एक अस्थायी गृह आरम्भ करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

गर सरकारी उद्योग में आत्मनिर्भरता

2520. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आत्मनिभरता प्राप्त करने हेतु देश की सहायता करने में गैर-सरकारी क्षेत्र असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में सरकार ने विकास संवर्धन में आत्मनिर्भरता लाने में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके अलावा सरकार ने 2-2-1973 की प्रेस विज्ञप्ति में औद्योगिक नीति संबंधी अपने निर्णयों को पुनः प्रतिपादित किया है ताकि विनियोजन आ सकें तथा अर्थव्यवस्था के सभी अंग आत्मनिर्भरता के विकास संवर्धन में अपनी उचित भूमिका अदा कर सकें ।

सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन संबंधी कुछ कठिनाइयां रही हैं जो मुख्य रूप से कच्चे माल, बिजली आदि जैसे आवश्यक निवेशों की कमी के कारण पैदा हुई हैं । सरकार ने स्थिति से निपटने के लिये समय समय पर अभ्युपाय किए हैं ।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा भूटान में सीमेंट कारखाने की स्थापना

2521. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम का विचार भूटान में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) पागली सीमेंट प्रोजेक्ट (शाही भूटान सरकार का एक उपक्रम) का प्रायोजना प्राधिकरण भूटान के पागली स्थान में वार्षिक एक लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित कर रहा है। इस प्रायोजना के स्थापित करने कें आधार पर सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की परामर्शदाता के रूप में सेवायें सशुल्क प्राप्त की गई हैं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के साथ वैज्ञानिकों का पंजीकरण

2522. **श्री जगन्नाथ मिश्र**
श्री बख्शी नायक : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में (राज्यवार) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के साथ पंजीकृत हुए वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान (वर्षवार तथा राज्यवार) कितने वैज्ञानिकों को नौकरियां उपलब्ध कराई गई ; और

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के साथ पंजीकृत शेष वैज्ञानिकों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) दिनांक 1-3-74 को सी० एस० आई० आर० के लाइव रजिस्टर में 3,858 बेरोजगार वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक पंजीकृत थे। राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है। पंजीकरण स्वेच्छिक है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान 808 रिक्त स्थानों के लिये 4,919 व्यक्तियों के विवरण भेजे गये थे। यह नहीं कहा जा सकता कितनों को नियमित रोजगार में लगा दिया गया है।

गत दो वर्षों के दौरान 635 व्यक्तियों ने वैज्ञानिक पूल में प्रवेश किया जिनमें 337 ने दिनांक 30-6-73 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रवेश किया और 298 व्यक्तियों ने दिनांक 30-6-74 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रवेश किया था। इस अवधि में 518 पूल अधिकारियों ने नियमित रोजगार प्राप्त किया था। उनका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:—

1-7-1972—30-6-1973	287
1-7-1973—30-6-1974	231
	518

राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारत सरकार का संबंध शिक्षित बरोजगारों की संख्या से है और उनकी रोजगार संबंधी उन्नति के लिये समय समय पर सरकार निरंतर कुछ उपाय भी करती रही है। किय गये उपायों की एक सूची संलग्न है।

विवरण

(1) रोजगार के लिये उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण देते हुए जनशक्ति मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। इस बुलेटिन की लगभग तीन हजार प्रतियां रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों को निशुल्क वितरित की जाती है ताकि उनको ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करने में सुविधा हो।

(2) भरती करने वाले निकायों तथा रोजगार देने वालों की परिषद् को प्रेषित अधिसूचनाओं के प्रत्युत्तर में योग्य प्रत्याशियों के नामों की सिफारिश की जाती है।

(3) सी० एस० आई० आर० प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच भी करता है और उन विज्ञापनों के मुताबिक उपयुक्त योग्यता वाले पंजीकृतों को विचारार्थ सिफारिश भी करता है।

(4) सी० एस० आई० आर०, यू० जी० सी०, आई० सी० एस० आर०, ओ० सी० ए० आर० आदि द्वारा अनुसंधान छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(5) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में अनुसंधान योजनाओं के लिये विभिन्न अभिकरणों द्वारा धन लगाया जाता है। इस प्रकार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

(6) सी० एस० आई० आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिकों के पूल की योजना में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों आदि को अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है।

(7) विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को वह जल्दी रोजगार में नियमित करने के लिये अधिसंख्यक पदों की योजना चल रही है।

(8) वर्ष 1973-74 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये योजना आयोग ने 45.85 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त 1973-74 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों के लिये "लाखों के लिये रोजगार" एक कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना सौ करोड़ रुपये केंद्रीय बजट आवंटन के साथ प्रारम्भ की गई थी। इस कार्यक्रम द्वारा 2.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिला है।

(9) योजना आयोग ने तेईस करोड़ रुपये की एक धनराशि राज्य सरकारों द्वारा रोजगार के विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिये अलग रख दी है। इस राशि के अलावा राज्य सरकारों को अतिरिक्त तेईस करोड़ रुपये की धनराशि इस कार्य के लिये लगानी होगी।

(10) वर्ष 1974-75 के दौरान योजना आयोग द्वारा बेरोजगार के कार्यक्रमों को उन्मत करने के लिये 40 करोड़ रुपये का एक आवंटन किया गया है।

(11) स्वउद्योग चलाने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(12) वज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकी विदों को अपने स्व-उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है। ऐसे नये कार्यों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक भी आवश्यकतानुसार कुल पूंजी प्रदान करते हैं।

(13) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों द्वारा गठित औद्योगिक सहकारी विशिष्ट योजना को सरकारी अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है । इस अनुदान की राशि मालिकों द्वारा लगाई गई पूंजी से तीन गुनी अधिक होगी । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा भी जो सुविधाएं प्रदान की जायेंगी वे इस प्रकार हैं:—किराया वास्तविक मामलों में, कुछ समय के लिये सेलटैक्स आदि की छूट देना, चूंगी, बिजली आदि विविध व्यवस्थायें प्रदान करना ।

(14) निजी और सहकारी क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आदि को रोजगार प्रदान करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है । इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों के वेतन में चार सौ रुपये तक की राशि में पचास प्रतिशत की सहायता सरकार द्वारा दी जायेगी और दो सौ पचास रुपये (वेतन) एक वर्ष की अवधि के लिये विज्ञान के स्नातकोत्तरों को रोजगार पर लगाने के लिये जो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को रोजगार प्रदान कर सकें, को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

(15) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी वेतनमान और कार्यगत स्थितियां, शैक्षिक क्षेत्र में अपने उच्च योग्यता प्राप्त विद्वानों को आकर्षित करने के लिये कई चरण उठाये गये हैं ।

Firing by C.R.P. and B.S.F. in Bihar during Students Agitation

2523. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of rounds fired by C.R.P. and B.S.F. at each place in Bihar during the students agitation and the number of persons killed as a result thereof : and

(b) whether Government propose to pay compensation to the families of deceased persons and if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) the CRP Units fired 1 round at Patna on 18-3-74, 41 rounds at Patna on 19-3-74 and 2 rounds at Gaya on 12-4-74.

The B.S.F. Units fired 6 rounds at Gaya on 12-4-1974.

Since mixed contingents of CRP, BSF and the State Police force were deployed at different places and they operated together, it is not possible to assess the number of persons killed due to firings by CRP or by BSF respectively.

(b) The State Govt. do not propose to grant compensation to the families of deceased persons. The District Magistrate, Gaya had sanctioned ex-gratia payment at the rate of Rs. 1000 to the families of the killed in the police firings at Gaya on 12-4-74.

पाठ्य पुस्तकों और कापियों के लिए कागज की कमी

2524. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों के लिये पाठ्य पुस्तकें और कापियां छापने के कागज की भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप छात्र समुदाय को कठिनाइयां हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाठ्य पुस्तकों आदि के लिये कागज की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग को किस सीमा तक पूरा किया जा रहा है और समूची मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों के लिये लिखाई तथा छपाई के सफेद कागज की कमी इस किस्म के कागज के उत्पादन के कम हो जाने के परिणामस्वरूप हो गई थी जिससे छात्र समुदाय को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा ।

(ख) और (ग) शिक्षा क्षेत्र के लिये कागज की राज्यवार आवश्यकता का पता लगाया जा रहा है । इसी बीच, विभिन्न राज्यों के लिये उनकी तात्कालिक आवश्यकतायें पूरी करने हेतु तदर्थ आधार पर आवंटन किया जा रहा है ।

सरकार ने छपाई (तथा लिखाई) के लिये सफेद कागज का उत्पादन बढ़ाने हेतु अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन एक आदेश भी जारी किया है जिसमें 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक की क्षमता वाले मिलों द्वारा इस किस्म के बनाए जाने वाले कागज (तथा अन्य आवश्यक कागज) का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया गया है । ऐसी आशा है कि इसके फलस्वरूप छात्र समुदाय के लिये आवश्यक कागज की उपलब्धि में सुधार हो जायेगा ।

श्रीलंका के सूचना तथा प्रसारण मंत्री का भारत का दौरा

2525. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने भारत का दौरा किया था और उनसे विचार विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श की मुख्य बातें क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्री तथा दौरा कर रहे श्री लंका के सूचना और प्रसारण मंत्री के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों के लोगों के बीच और अच्छी धारणा विकसित करने के प्रयोजन से माध्यमों के बीच और अधिक सूचना तथा सांस्कृतिक विनिमय तथा सहयोग के विषय शामिल थे । इन बातचीतों से जो सुझाव सामने आये वे विचाराधीन हैं ।

वर्ष 1974-75 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु मंजूर की गई धनराशि

2526. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को 4.4 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनायें आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिये ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जून, 1974 में 4.4 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की गई थी । यह सहायता 13 परियोजनाओं के लिये उद्दिष्ट थी । इनमें से एक परियोजना, बाद में, दो खण्डों में विभाजित कर दी गई—एक ग्राम विद्युतीकरण से तथा दूसरी पारेषण लाइनों से संबंधित है । अतः अब यह सहायता 14 परियोजनाओं के लिये होगी ।

(ग) 4.4 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 3.4 करोड़ रुपये पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिये हैं ।

राज्यों में आन्दोलनों के कारण केन्द्रीय सरकार को हुई हानि

2527. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में हुए हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण गत 6 महीनों में केन्द्रीय सरकार की हुई हानि का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) गुजरात तथा कर्नाटक की सरकारों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार । फरवरी से 31 जुलाई, 1974 तक की अवधि के दौरान हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की अनुमानित हानि क्रमशः 21,60,440 रुपये, 500 रुपय तथा 2,100 रुपये मूल्य की हुई है । आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा तथा नागालण्ड सरकारों और अण्डेमान तथा निकोबार, चण्डीगढ़, दादरा तथा नागर हवली, गोवा, दमण और दीव लक्ष द्वीप, पांडिचेरी, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि इसी अवधि के दौरान ऐसे आन्दोलनों के कारण केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई । अन्य राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा मूल्यवृद्धि तथा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन

2528. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के एक वर्ग ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन चलाने के लिये एक छात्र संघर्ष समिति गठित की है;

(ख) समिति के अनुसार क्या यह आन्दोलन बिहार के आन्दोलन से भिन्न होगा और इनका उद्देश्य सर्वोच्च राजनैतिक प्राधिकरण तथा सर्वोच्च नौकरशाही के विरुद्ध लड़ना होगा; और

(ग) यदि हां, तो देश को वर्तमान दयनीय स्थिति से उबारने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, तथा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए स्वीकृत उद्देश्यों के साथ जुलाई, 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने छात्र संघर्ष समिति नामक एक संगठन बनाया था। समिति ने बिहार में आन्दोलन के समर्थन में 9 अगस्त, 1974 को "बिहार दिवस" तथा "कैम्पस बन्द" मनाने के लिये आवाहन किया था।

मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्याओं का मुकाबला अनेकों मोर्चों पर संयुक्त उपायों द्वारा किया जाना है। सरकार लगातार स्थिति की जांच कर रही है तथा आर्थिक संकट से मुक्ति के लिये सभी संभव उपाय कर रही है ?

Staff for English Magazine 'Bhagirath'

2529. Shri Yamuna Prasad Mandal : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total staff strength provided for the quarterly English magazine "Bhagirath" being brought out by his Ministry and the designations of and the pay scale, attached to each of these posts;

(b) the reasons for providing less staff for Hindi magazine as compared to that provided for English magazine and the urgent measures being taken to remove such indifference towards the official language;

(c) whether there is a proposal to bring out this Hindi magazine on monthly basis; and

(d) if so, the steps being taken in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) the requisite information is given below :—

S. No.	Name of Post	No of posts sanctioned	Scale of pay
			Rs.
1.	Editor	1	1100—1600
2.	Assistant Editor (Vacant) . . .	1	650—1200
3.	Personal Assistant	1	425—800
4.	Professional Assistant	1	425—700
5.	Assistant (Ministerial)	1	425—800
6.	Lower Division Clerk	2 (one Vacant)	260—400
7.	Packer	1	200—250
8.	Peon	1	196—232

(b) Adequate staff for Hindi Bhagirath has been sanctioned, based on the actual requirements and assessed work-load. The question of sanctioning additional staff would be considered if and when any need arises.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Honorarium to Writers and Editors of "Bhagirath"

2530. Shri Yamuna Prasad Mandal : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the writers who contributed articles for the first issue of the Hindi magazine "Bhagirath" and the editors who edited it have not been paid honorarium;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to fix the responsibility and to make proper arrangements in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) Articles in the first issue of Hindi quarterly "Bhagirath" were contributed by officials as well as others. The question of payment of honorarium to non-official contributors is under consideration. Pending appointment of a regular Assistant Editor, the Hindi Officer of the Central Water and Power Commission is looking after the work under the overall supervision and guidance of the Editorial Board.

ट्रकों और बसों के टायरों के उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता

2531. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में ट्रकों और बसों के टायर बनाने की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है ; और

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में ट्रकों और बसों के टायरों का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ तथा इनकी मांग कितनी थी ;

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम को (ट्रक और बस टायरों को सम्मिलित कर के) 4,00,000 नग आटोमोबाइल टायर और ट्यूबों क उत्पादन करने क लिये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु आशय पत्र स्वीकार किया गया है। क्षमता अभी तक अधिष्ठापित नहीं की गई है। उड़ीसा राज्य में अन्य टायर एकक नहीं है। अत: उड़ीसा राज्य में आटोमोबाइल टायरों और टयूबों का उत्पादन नहीं होता ।

उड़ीसा राज्य में दर्ज गाड़ियों के आधार पर टायर उद्योग द्वारा उड़ीसा राज्य की अप्रैल 1974 से मार्च 1975 की अवधि की बस ट्रक टायरों की अनुमानित आवश्यकता 63,500 नग है।

उड़ीसा में उद्योगों का क्षमता से कम कार्यकरण

2532. **श्री अनादि चरण दास : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष किस किस औद्योगिक कारखाने ने अपनी क्षमता से कम कार्य किया ; और

(ख) निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) कोयल की उपलब्धता, ईंधन तेल, विद्युत तथा परिवहन संबंधी विभिन्न अड़चनों के कारण न केवल उड़ीसा के ही औद्योगिक एकक वरन् देश के अन्य भागों के एकक भी पूरी क्षमता में कार्य नहीं कर सकें हैं । इन अड़चनों से उपभोक्ता उद्योगों में लगने वाली कच्ची सामग्री, कलपुर्जों आदि के रूप में निविष्टियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा इन अड़चनों को दूर किया जा रहा है, जैसे, (1) ईंधन तेल संबंधी स्थायी समिति (पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा गठित) ईंधन तेल की उपलब्धता की जांच कर रही है तथा उद्योगों को दिये जाने वाले कोयले की उपलब्धता व संभरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवंटन करने की सिफारिश करेगी जिससे उद्योग ईंधन तेल के स्थान पर कोयले का इस्तेमाल कर सकें (2) कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ राज्यों में उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत का पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है (3) निर्माणाधीन विद्युत जनित्रण परि-योजनाओं में शीघ्रता की जा रही है (4) विद्युत बोर्डों के पास फालतु पड़े जेनेरेटिंग सैटों को काम में लाया जा रहा है (5) कुछ बिजली बोर्डों ने डीज़ल सैट लगा लिये हैं ।

उपकरणों और तकनीकी जानकारी का आयात

2533. **श्री बख्शी नायक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और 1973 में उपकरणों और तकनीकी जानकारी के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और चालू वित्त वर्ष में इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये विदेशी मुद्रा आवंटन में कोई वृद्धि की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार देश में उपकरणों और तकनीकी जानकारी क विकास के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : इस प्रश्न का सम्बन्ध जिस अवधि से है इस अवधि के दौरान भुगतान के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। गत तीन वर्षों में पूंजीगत सामान तथा हैवी इलैक्ट्रिकल संयंत्र के आयात के लिए जारी की गई अनुज्ञप्तियों (लाइसेंसों) का मूल्य निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1971–72	1972–73	1973–74
पूंजीगत सामान	250.24	249.48	254.38
हैवी इलैक्ट्रिकल संयंत्र	1.92	18.56	7.21

वर्ष 1971–72 (उपलब्ध आंकड़ों वाले अंतिम वर्ष) के दौरान लाभों, लाभांशों रायल्टी, तकनीकी जानकारी के शुल्कों के रूप में निजी उद्योग द्वारा विदेशों को प्रेषित धनराशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	लाभ*	लाभांश*	रायल्टी	तकनीकी जानकारी
1971–72	994	3887	586	1390

(*तेल कम्पनियों के मामले में सम्मिलित आंकड़े वास्तविक प्रेषित धनराशि से संबंधित नहीं, बल्कि देयताओं संबंधी प्रेषित धनराशि से संबंधित हैं।)

पूंजीगत उपस्कर/प्रौद्योगिकी के आयात क लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन निर्धारित नहीं है। प्रदत्त अनुमति के आधार पर जब देय होते हैं तो आयात/प्रेषण की अनुमति गुणदोष के अनुसार दी जाती है।

(ग) देशीय संसाधनों जिनमें मशीनरी, उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं, के अधिकतम उपयोग के सम्पूर्ण उद्देश्य से तथा दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए, पूंजीगत उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी के आयात के बारे में सरकार की नीति पूरी तरह चयनात्मक है। आयात के लिए वहीं अनुमति दी जाती है जहां पर देशीय क्षमता का पूरी तरह विकास न हुआ हो अथवा जहां संस्कारित उपकरणों के आयात के लिए विशेष परिस्थितियां हों अथवा जो बुनियादी रूप से निर्यात उत्पादन के लिए हो।

देशीय उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के अलावा उद्योग में अनुसंधान तथा विकास-कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं। चुने हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात संबंधी सुझावों की स्वीकृति देने के समय यह तय किया जाता है कि भारतीय कम्पनियां आयातित प्रौद्योगिकी में सुधार तथा अवशेषण के लिए पर्याप्त अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं की स्थापना करें। पूंजीगत उपस्कर के आयात में कमी करने तथा मशीनरी उत्पादन उद्योग में निर्माण सामर्थ्य के पूर्ण उपयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने औद्योगिक मशीनरी तथा मशीनी-उपकरणों के निर्माताओं द्वारा अभिकल्पों तथा आरेखणों के आयात के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया आरंभ की है।

रावी-व्यास जल के बंटवारे पर पंजाब और हरियाणा में विवाद

2534. **श्री बख्शी नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावी-व्यास जल के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा राज्यों में नया विवाद खड़ा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद को समाप्त कराने के लिए इन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) रावी-व्यास नदियों के जल में पंजाब और हरियाणा के हिस्सों का निर्धारण करने के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत भारत सरकार को निर्दिष्ट एक मामला विचाराधीन है।

बिहार में विश्वविद्यालय और कालेज खोले जाने के बारे में आकाशवाणी के पटना केन्द्र से प्रसारित समाचार बुलेटिन

2535. **श्री बख्शी नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1974 के बाद आकाशवाणी के पटना केन्द्र से बिहार में विश्वविद्यालय/कालेज खोले जाने के बारे में कितने समाचार बुलेटिन प्रसारित किये गये ; और

(ख) क्या आकाशवाणी के पटना केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालयों, कालेजों के खुलने तथा विद्यार्थियों के आंदोलन के बारे में गलत समाचार प्रसारित किये गये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) जुलाई, 1974 के दौरान आकाशवाणी, पटना ने अपने प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 18 दिन बिहार के विश्वविद्यालयों और कालेजों के दुबारा खुलने के बारे में समाचार शामिल किये। बुलेटिनों में शिक्षा विभाग,

विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों, प्रभागीय और जिला प्राधिकारियों और आकाशवाणी के अपने, संवाददाताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के दुबारा खुलने के समाचारों को शामिल किया गया। 18 जुलाई, 1974 से जब कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन्टरमीडियेट परीक्षायें शुरू हो गई थी, परीक्षाओं से संबंधित वास्तविक स्थिति भी बुलेटिनों में शामिल की गई। समस्त अवधि के दौरान, चालू छात्र आन्दोलन, गिरफ्तारियों, प्रदर्शन और अन्य घटनाओं के समाचार भी बुलेटिनों में शामिल किये गये।

(ख) जी, नहीं।

पांचवी योजना में लघु उद्योगों के कारखानों की स्थापना

2536. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में (वर्गवार तथा श्रेणीवार) विभिन्न राज्यों में (राज्य वार) लघु उद्योगों के कितने कारखाने स्थापित किए जाएंग्रे ;

(ख) क्या राज्यों में लघु उद्योग कारखानों की योजनाओं की अन्तिम रूप देते समय पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की बात ध्यान म रखी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) चूंकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है इसलिए विभिन्न राज्यों में इस योजनावधि म स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की वर्ष वार, राज्य वार और श्रेणीवार संख्या इस समय बताना संभंव नहीं है। फिर भी इस योजना अवधि म अनुमानतः 1.6 लाख नए लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों को विकास क लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना क मसौदे में अन्य योजनाओं के साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, पिछड़े क्षत्रों म लघु उद्योग सेवा संस्थानों की शाखा स्थापित करना, ग्रामीण उद्योग परियोजना क्षेत्र को बढ़ाना, गहन विस्तार सेवाएं आदि की व्यवस्था करना आदि योजनायें भी सम्मिलित हैं।

पंजाब में औद्योगिक एककों द्वारा कम क्षमता पर कार्य करना

2537. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि : पंजाब स्थित ऐसे औद्योगिक एककों के नाम क्या ह जो गत दो वर्षों में वर्षवार अपनी निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य करते रहे तथा उनकी निर्धारित क्षमता का उपयोग कराने के लिए क्या कायवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) कोयले की उपलब्धता ईंधन तेल, विद्युत तथा परिवहन संबंधी विभिन्न अड़चनों के कारण न केवल पंजाब के ही औद्योगिक एकक वरन् देश के अन्य भागों के एकक भी पूरी क्षमता में कार्य नहीं कर सकें हैं। इन अड़चनों से उपभोक्ता उद्योगों में लगने वाली कच्ची सामग्री, कलपूर्जे आदि के रूप में निविष्टयों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा इन अड़चनों को दूर किया जा रहा है, जैसे, (1) ईंधन तेल संबंधी स्थायी समिति (पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा गठित) ईंधन तेल की उपलब्धता की जांच कर रही है तथा उद्योगों को दिये जाने वाले कोयले की उपलब्धता व संभरण को ध्यान में रखते हुये उन्हें आवंटन करने की सिफारिश करेगी जिससे उद्योग ईंधन तेल के स्थान पर कोयले का इस्तेमाल कर सकें (2) कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ राज्यों में उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है (3) निर्माणाधीन विद्युत जनित्रण परियोजनाओं में शीघ्रता की जा रही है (4) विद्युत बोर्डों के पास फालतू पड़े जनरेटिंग सैटों को काम में लाया जा रहा है (5) कुछ बिजली बोर्डों नें डीज़ल सैट लगा लिये हैं।

पंजाब में बसों और ट्रकों के टायरों का निर्माण

2538. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य की ट्रकों औंर बस के टायरों का निर्माण कराने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ; और

(ख) वर्ष 1972–73 और 1973–74 में ट्रकों और बसों के टायरों का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ तथा इनकी मांग कितनी है/थी।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान औंर प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, पंजाब को (बसों तथा ट्रकों के टायरों सहित) गाडियों के चार चार लाख टायर तथा ट्यूब बनाने के एक उपक्रम की स्थापना हेतु एक आशयपत्र दिया गया है। अभी तक क्षमता अधिष्ठापित नहीं की गई है। पंजाब राज्य में अन्य और कोई टायर एकक नहीं है। अतएव पंजाब में गाड़ियों क टायर तथा ट्यूबों का उत्पादन नहीं होता है।

पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ में पंजीयित वाहनों के आधार पर अप्रैल, 1974 से मार्च 1975 तक की अवधिहेतु के लिए टायर उद्योग ने 67 हजार बस तथा ट्रक के टायरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

Preparation of Life Documentaries of Freedom Fighters

2539. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Freedom Fighters on whose life documentaries have been prepared;

(b) whether Government have also prepared documentaries on the lives of Chandra Shekhar Azad, Bhagat Singh, Laxmi Bai, Rana Pratap and Shivaji; and

(c) if not, the reasons for this indifference and the time by which the aforesaid documentaries will be prepared ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) 15.

(b) & (c) The Films Division have already made documentary films on Bhagat Singh, Shivaji and other national leaders. The question of documentary films on Laxmi Bai, Chandra Shekhar Azad and Rana Pratap will be included in programme for production when adequate source material, graphic and visual, is available.

Documentaries on the Life of the Adivasis of Vindhya Pradesh and Rewa Divisions

2540. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared documentaries on the life of the Adivasis of Vindhya Pradesh and Rewa Divisions; and

(b) if not, the action proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The Films Division have produced the following documentary films which, *inter-alia*, depict the life of the Adivasis of Madhya Pradesh including the Rewa Division :

1. Adivasis.
2. Close to Nature.
3. Our Original Inhabitants.
4. Report from Heartland.
5. Folk dances of Madhya Pradesh.
6. Rhythm of the Heartland (TV).

(b) Does not arise.

Posting of CRP and BSF in Bihar during Students Agitation

2541. Shri G.P. Yadav :Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether C.R.P. and B.S.F. Jawans in large numbers were posted in Bihar during the students agitation there; and

(b) if so, the total number of personnel posted and the expenditure incurred on them by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) & (b) At present 45 coys. of CRP and 7 coys. of BSF are deployed in Bihar to assist the State Government in the maintenance of law and order. The figures of expenditure incurred on the deployment of these forces are being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

अतारांकित प्रश्न संख्या 509, दिनांक 24–7–74 तथा आतारांकित प्रश्न संख्या 342 दिनांक, 24–7–1974 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले दशक

Correct Statement to USQ No. 509 dated 24-7-74 and USQ No. 342 dated 24-7-74

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : राज्य सरकार से बाद में प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न के भाग (ख) के संबंध में सही सूचना इस प्रकार है :—

(ख) (i) जन हानि : 53 मरे और 20 जख्मी हुए।

(ii) सरकारी सम्पत्ति की हानि : शून्य।

(iii) निजी सम्पत्ति की हानि : 2,31,300 रुपये।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : लोक सभा में 24-7-74 को उत्तरित उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि संबंधी अतारांकित प्रश्न सं० 342 के उत्तर में औद्योगिक विकास मंत्रालय से संबंधित औद्योगिक उत्पादों में से दो वस्तुएं जिनके मूल्यों में अप्रैल 1974 के बाद 24 जुलाई 1974 तक वृद्धि की अनुमति दी गई थी भूल से छूट गई थी। अतः दिए गए उत्तर में संशोधन किया जाता है उसे इस प्रकार पढ़ा जाये :—

भाग (ख) : जहां तक औद्योगिक विकास के अंतर्गत आने वाले उद्योगों का संबंध है निम्नलिखित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की अनुमति दी गई थी :—

वस्तु का नाम	अनुमत मूल्य में वृद्धि की मात्रा
1. फरनेस आयल के प्रयोग से उत्पादित सीमेंट	50 रु० प्रति मी० टन
2. शिशु आहार (खाद्य पदार्थ)	5 से 6 रु० प्रति किलोग्राम
3. अल्यूमीनियम फ्लोराइड	मेसर्स नवीन फ्लोराइड इण्डस्ट्रीज के मामले में 550 रु० प्रति मी० टन, मेसर्स एवरेस्ट रेफ्रिजिरेन्टस लि० के मामले में 150 रु० प्रति मी० टन और
4. क्रायोलाइट (थर्मामीटर)	130 रु० प्रति मी० टन

आटोमोबाइल टायरों संबंधी मूल्य नियंत्रण जो कुछ श्रेणी के टायरों पर पहले लागू था, उठा लिया गया था।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

दिल्ली विक्रय कर नियम, 1974,

सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम 1944 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं को रद्द करने वाली अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली विक्रय कर (सातवां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 24 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ०–4 (33)/67–फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8181/74]

(2) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 338 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक घर बचत प्रमाण-पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 339 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चौथा निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 340 (ङ) यें प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवां निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 341 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8182/74]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत दिनांक 14 अगस्त, 1974 की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 131/74 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8183/74]

अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सीय परिचर्या) संशोधन नियम, 1974, संघ लोक सेवा आयोग का एक अप्रेल, 1972 से 31 मार्च 1973 की अवधि का 23वां प्रतिवेदन तथ कतिपय मामलों में सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें स्वीयान न किये जाने के कारण बतानें वाला एक ज्ञापन

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सीय परिचर्या) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 776 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8184/74]

(2) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 की अवधि का 23वां प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश स्वीकार न किए जाने के कारण बताने वाला एक ज्ञापन।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8185/74]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम 1974 तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1972–1973 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 738 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8186/74]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणीयां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8187/74]

राज्य सभा से संदेश

Messages from Rajya Sabha

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा 13 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक, 1974 से, जो लोक सभा द्वारा 22 जुलाई, 1974 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) कि राज्य सभा 13 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में मुख्य पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 1974 से, जो लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1974 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

गुजरात में बलसर स्टेशन पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के समाचार

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमान, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"गुजरात में बलसर स्टेशन पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं पर गोली चलाये जाने का समाचार, जिसके फलस्वरूप एक कार्यकर्त्ता की मृत्यु हुई तथा आठ को चोटें आई"।

वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): सरकार को प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में युवक रैली में भाग लेने के बाद रेलगाड़ी से बम्बई को लौटते हुए एक दल 12 अगस्त, 1974 को प्रातः 11 बजकर 20 मिनट पर गुजरात बुलसर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। रेलगाड़ी के रुकते ही खाने पीने की कुछ चीजों की तलाश में रेलवे प्लेटफार्म पर यात्रियों के एक वर्ग और कुछ खोमचेवालों तथा उनके सहयोगियों के बीच झगड़ा हुआ जिसके दौरान कुछ स्टालों के लूटे जाने का समाचार है। पत्थरों और सोडावाटर की बोतलों का खुलकर प्रयोग किया गया था। रेलवे पुलिस के उप-निरीक्षक स्थिती पर नियंत्रण करने के लिए तुरन्त पुलिस दल के साथ प्लेटफार्म पर पहुंचे। जब मनाने के प्रयत्न और लाठी चार्ज निष्प्रभावी सिद्ध हुए तो पुलिस ने गोली चलाई। 9 राउन्ड गोली चलाई गई। लगभग 30 वर्षीय गजमन सारवे नामक एक व्यक्ति गोली लगने से मर गया और लगभग 35 वर्षीय राम चन्द्र गल्लू जाटव नामक एक अन्य व्यक्ति की ठोड़ी पर गोली लगी। बताया जाता है कि उसकी हालत में संतोषजनक सुधार हो रहा है। 14 पुलिस कर्मचारियों समेत 119 अन्य

व्यक्तियों को चोटें लगीं और आवश्यक चिकित्सा के बाद यात्रियों को अपनी यात्रा करने दिया गया। इस बीच पुलिस कुमुक के साथ स्थानीय अधिकारी भी स्टेशन पर आ गये और स्थिति पर नियंत्रण कर लिया।

घायलों को चिकित्सा सहायता देने तथा पूछ-ताछ करने के लिये जिला-मेजिस्ट्रेट के आदेशों पर गाड़ी को रोका गया। गाड़ी बलसर रेलवे स्टेशन से सायं 8 बजकर 10 मिनट पर राज्य पुलिस की टुकड़ी के संरक्षण में चली और बिना किसी अन्य घटना के बम्बई पहुंची। बलसर रेलवे पुलिस ने दंगे, शरारत तथा लूट के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/395/332/337 और 427 के अधीन एक मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल की जा रही है। जिला मेजिस्ट्रेट बलसर द्वारा गोली चलाने की मैजिस्टीरियल जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ और रेलवे स्टेशनों पर अपराध किये जाने की अन्य घटनायें हुई थीं। सरकार का इरादा संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने का है कि क्या वे इन आपराधिक मामलों की जांच पड़ताल एक सामान्य एजेन्सी जो इन मामलों की परिस्थितियों में केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो हो सकती है, द्वारा करवाने के लिये सहमत होंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री द्वारा सभा के सामने रखे गये वक्तव्य में पूरी जानकारी नहीं दी गयी है। जो जानकारी समाचार पत्रों को बलसर के जिलाधीश तथा पुलिस के डी० आई० जी० ने दी, वह भी इस वक्तव्य में नहीं है।

मेरे पास उस वक्तव्य की प्रति है जो पश्चिम रेलवे, जिलाधीश बलसर तथा पुलिस के डी० आई० जी० ने दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये वक्तव्य ठीक हैं ?

इस घटना से तीन बातें संबंधित हैं अर्थात् पुलिस का व्यवहार, बंदूकों से लैस पुलिस तथा युवक कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं का अभद्र व्यवहार . . .

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप हर बार क्यों खड़े हो जाते हैं ?

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : श्री मधु लिमये ने अनेक बार व्यवस्था के प्रश्न उठाये हैं . . . **(व्यवधान)**

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट): माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ये एक वक्तव्य दे रहे हैं . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कार्य मंत्रणा समिति ने ध्यानाकर्षण सूचना सूची में जिस व्यक्ति का नाम सर्वप्रथम होगा, उसे 5 से 7 मिनट का समय देने का निर्णय किया है। उसे प्रश्न से संबंधित तर्कसंगत बातों तक ही सीमित रहना चाहिये। हम इसी प्रक्रिया का अनुकरण कर रहे हैं। मैंने किसी व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दी है। यदि कोई बात ध्यानाकर्षण सूचना के अन्तर्गत नहीं कही जायेगी, तो मुझे आपको रोकना होगा।

श्री ए० के० एम० इसहाक : यह आपकी मर्जी है कि आप बोलने अथवा न बोलने की अनुमति दें. . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री मधु दंडवते : रेलवे अधिकारियों द्वारा युवकों को यात्रा करते समय रियायत देने सम्बन्धी पक्षपाती रवैये के बारे में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं (**व्यवधान**) लगभग सभी समाचार-पत्रों ने यह समाचार प्रकाशित किया है कि युवक कांग्रेस के लगभग 2000 सदस्य बम्बई से दिल्ली यात्रा कर रहे थे (**व्यवधान**) वे बिना किसी टिकट के यात्रा कर रहे थे और इसके अतिरिक्त उन्हें 20 रुपये क भत्ते का भुगतान किया गया था (**व्यवधान**) इस मामले में वास्तविक कठिनाई लौटते समय उत्पन्न हुई। अनेक समाचार पत्रों के संवाददाताओं, यहां तक रेलवे अधिकारियों ने यह कहा है कि जब प्रतिनिधि और युवा कार्यकर्त्ता दिल्ली जा रहे थे तो अनेक रेलवे स्टाल भय की आशंका से बंद कर दिये गये थे। क्योंकि वे स्टाल उनके बम्बई से दिल्ली आते समय बन्द थे अत: उन्होंने इस बात की धमकी दी थी कि दिल्ली से लौटते वक्त वे इस बात का बदला लेंगे (**व्यवधान**)

गुजरात के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ने प्रेस संवाददाताओं को अहमदाबाद में यह बताया है कि उक्त घटना न केवल बलसर में घटी है (**व्यवधान**) बल्कि गुजरात के कुछ अन्य कस्बों में भी घटी है। युवक कार्यकर्त्ताओं ने कोटा, रतलाम, बड़ौदा, सूरत, आदि स्टेशनों पर दंगे किये, पत्थर फेंके तथा सोडा-वाटर की बोतलें फेंकी . . . (**व्यवधान**)

क्या इस सम्बन्ध में 600 कांग्रेसियों को पूछताछ और विस्तृत जांच के लिये रोका गया है?

अध्यक्ष महोदय : अभी इस बारे में जांच चल रही है और आप अन्य दलों का नाम ले रहे हैं। आप ध्यान आकर्षण सूचना की सीमा से बाहर जा रहे हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा): राष्ट्रीय अखंडता के नाम पर आप गुंडों की युवक रैलियों का आयोजन नहीं कर सकते।

श्री मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री से इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य जानना चाहूंगा। बुलसर के कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य दिया है और प्रेस में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकारी तौर पर यह पता लगा है कि युवक स्पेशल गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब तथा बड़ी मात्रा में बहुत अच्छी किस्म का चावल तथा गर्भ निरोधक वस्तुएं बरामद हुईं (**व्यवधान**)

जिन स्वयं सेवकों को पीटा गया था, उन्होंने यह घोषणा की थी कि उन पर गुजरात पुलिस ने अत्याचार किये हैं और गोली चलाई है और वे बम्बई लौटते समय गुजरातियों से बदला लेंगे (**व्यवधान**)

श्री उमाशंकर दीक्षित : विभिन्न समाचार पत्रों में इस बारे में विभिन्न समाचार प्रकाशित हुए हैं। मैंने अपना वक्तव्य गुजरात सरकार तथा सरकार की गुप्तचर एजेंसी से प्राप्त जानकारी के आधार पर दिया है। यह आवश्यक नहीं है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट सही ही हो अथवा गलत ही हो। यह कहना गलत है कि उन्होंने गाड़ी में बिना टिकट यात्रा की थी (**व्यवधान**) मुझे इस बारे में रेलवे बोर्ड से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री जानेश्वर मिश्र : * * *

श्री उमा शंकर दीक्षित : उनके शब्द पूर्णतया असंसदीय हैं और उन्हें अपने शब्द वापिस लेने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा कहे गये शब्द पूर्णतया असंसदीय हैं। उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री उमाशंकर दीक्षित : पहली युवक स्पेशल में 998 यात्री थे, और उनसे 78,779 रुपय एकत्र किये गये थे। उक्त किराया बम्बई से दिल्ली आने तथा दिल्ली से बम्बई जाने तक का था। दूसरी स्पेशल में 822 यात्री थे और उनसे 71,860 रुपये 80 पैसे एकत्रित किये गये थे। उन्होंने जो कुछ कहा है, वह केवल काल्पनिक है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।

बम्बई से दिल्ली आते समय उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं दिया गया और भोजन की किस्म बहुत घटिया थी। इसी भय से उनके बम्बई लौटते समय स्टाल बन्द थी (**व्यवधान**) ऐसा वातावरण कौन पैदा कर रहा है ? आप अपने नेता श्री जय प्रकाश नारायण से पूछें (**व्यवधान**)

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप उन्हें श्री जय प्रकाश नारायण का नाम लेने की कैसे अनुमति दे रहे हैं ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The hon. Speaker did not even allow us to refer the name of Youth Congress. Now he is referring the name of Shri Jai Prakash Narayan (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने श्री जय प्रकाश नारायण की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई शब्द नहीं कहे हैं। यदि उन्होंने ऐसा कहा था, तो मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री उमाशंकर दीक्षित : उक्त रैली युवकों की थी। युवक कांग्रेस ने उसका आयोजन किया था अतः कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसमें भाग लेने वाले सब व्यक्ति कांग्रेसी ही होंगे (व्यवधान) यह कहा गया है कि गाड़ी में शराब की बोतलें मिलीं थीं। गाड़ी में खाली बोतलें पाई गई थीं। सामान्यतया यात्री खाली बोतलों में पानी ले जाते हैं। शराब नहीं मिली थी, बलसर रेलवे स्टेशन पर कुछ सामान विक्रेताओं को पीटा गया था। कुछ यात्रियों और कुछ सामान विक्रेताओं के बीच झगड़ा हो गया और यह बढ़ता गया। पुलिस को विवश होकर लाठी चार्ज करना पड़ा तथा गोली चलानी पड़ी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम इस बारे में रेलवे मंत्री से स्पष्ट जानकारी चाहत हैं कि उनके दिल्ली आने तथा दिल्ली से लौटने के लिये कितनी स्पेशल गाड़ियां चलाई गईं तथा उनसे कितना किराया वसूल किया गया तथा किस दर से वसूल किया गया (**व्यवधान**)।

* * * **अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।**

* * * *Expunged as ordered by the Chair.*

मेरे मित्र को इस बात की पूरी जानकारी है कि इन लोगों ने लूट-मार की तथा गुण्डागर्दी की और मुफ्त भोजन सप्लाई करने की मांग की और उनमें से बहुत से लोग शराब पिये हुए थे।

इस घटना से प्रभावित हुए सामान विक्रेताओं को मुआवजा दिया जाना चाहिये।

उन्होंने ऐसा रतलाम, गोधरा, बड़ौदा, सूरत, कोटा, और दाहोद में भी किया। सूरत में भी उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर दुकानें लूटीं।

अभी कल ही उन्होंने पंजाब में जी० टी० रोड, पर राया में एक भोजन विक्रेता द्वारा भोजन सप्लाई न करने पर उसकी हत्या कर दी थी।

श्री उमाशंकर दीक्षित : माननीय सदस्य ऐसी बातों का उल्लेख कर रहे हैं, जिनका ध्यान आकर्षण सूचना से कोई संबंध नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गरीब खोमचे वालों को लूटना ही उनका समाजवाद है ? (**व्यवधान**) क्या श्री दीक्षित यह बतायेंगे कि नेहरू ब्रिगेड और इंदिरा ब्रिगेड का उद्देश्य क्या है ? ऐसा विदित हुआ है कि उन्होने इन पर करोड़ों रुपया खर्च किया है। हम यह जानना चाहते हैं कि उनको धनराशि कहां से प्राप्त हुई क्योंकि करदाताओं को यह जानने का अधिकार है ? आप खबरदार रहें। फासिसवाद आ रहा है और पथ भ्रष्ट युवकों को इसके लिये हथियार के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

श्री उमाशंकर दीक्षित : श्री ज्योतिर्मय बसु ने सब असंगत आरोप लगाये हैं। उन्होंने नेहरू ब्रिगेड और इंदिरा ब्रिगेड के बारे में प्रश्न पूछे हैं। मैं इन आरोपों का उत्तर नहीं देना चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह निश्चित प्रश्न पूछा था कि कितनी स्पेशल गाड़ियां दिल्ली आईं तथा कितनी स्पेशल गाड़ियां दिल्ली से गईं तथा उन्हें क्या क्या रियायतें दी गईं ?

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न बलसर से सम्बन्धित था, जिसका उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अमुक प्रश्न तर्कसंगत है अथवा नहीं इस बात का निर्णय अध्यक्ष को करना होता है माननीय मंत्री को नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने जानकारी दे दी है।

यदि उनके पास और जानकारी उपलब्ध हो, तो मैं इसमें बाधा नहीं बनूंगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : तब रेल मंत्री को सदन में रहने के लिये कह देना चाहिए था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब मंत्री महोदय को उस बारे में तैयार होकर आना चाहिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बलसर रेलवे स्टेशन पर गोली चलाये जाने के बारे में अधिक जानकारी वह दे सकते हैं। गृह मंत्रालय के विभागों के बारे में जानकारी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कितने व्यक्ति रेलों द्वारा आये तथा देश के किन किन भागों से आये, तो आप पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जिन प्रश्नों का नोटिस नहीं दिया गया उनका उत्तर देने के लिये मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Certain persons have claimed that about 3 lakh people participated in the rally.

Shri K.C. Pandey (Khalilabad) : Five lakhs.

Shri Madhu Limaye : I admit. But as the Home Minister has stated that not only congressmen participated in the rally but there were certain goondas as well. How many of them were goondas. Were 4 lakh 90 thousands among them goodas or infiltrators ?

Shri K.C. Pandey : I have a point of order.

Mr. Speaker : Do you have a feeling that this is not a Parliament ?

Shri Madhu Limaye : Shri Dixit has stated that all of them were not congressmen but there were certain infiltrators as well.

Is it not a fact that in spite of cautions goodas and infiltrators have entered in Indira Brigade and Youth Congress ?

This question was in respect of Bulsr but the Home Minister himself widened its scope. Would the investigation made cover all aspects of this issue. Whether these buses and trucks which brought these infiltrators or goondas to the capital, were given licences for tyres etc. in an illegal manner? Would the Government agree to an investigation by M.P.s Committee after receipt of C.B.I. report?

Shri Uma Shanker Dixit : I think the Hon. Member has misused his time for blaming the Congressmen and Youth Congress.

I did say that some infiltrators entered in the rally. But same does not include 90%.

Shri Atal Behari Vajpayee : If his figures are wrong, you can tell how many of them were goondas ?

Shri Uma Shanker Dixit : Shri Vajpayee should not have used the word goondas.

Shi Atal Bihari Vajpayee : I did not say that Congressmen are goondas. You said that the number was not as high and I did ask as to what it was.

Shri Uma Shanker Dixit : I did not talk of goondas.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You said of infiltrators. So, are the infiltrators gentlemen ?

Shri Uma Shanker Dixit : The facts would be revealed when report of the investigations is received.

What is the relevancy of mentioning Indira Brigade here ?

We shall get the matter investigated and place the facts before the House. A Parliamentary Committee has been demanded. We shall have a thorough investigation of the incident.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, had you accepted my adjournment motion in respect of youth rally of 9th August, the incident of Bulsar would have been averted.

The Home Minister has confirmed the news paper reports. But he can not differentiate among the news. There are news which are sent by correspondents while there are news which are sent by State officers, Police officers etc. But in the reports regarding Bulsar, Collector and D.I.G Police, Gujarat are involved. I feel that the facts have not been revealed.

I have received a telegram from a person who was India's High Commissioner in Mauritius. It contains . . . over two hundered ticketless hoodlums shouting slogans, waving party flags, believed Youth Congress members invaded Bombay bound Frontier Mail New Delhi Station.

Shri K. C. Pandey : This telegram is wrong.

Mr. Speaker : You should first think and then speak. He has said that there were Press correspondents who were briefed by officers. Secondly, he has said about the Telegram from an Ex. High Commissioner. Let him read the Telegram.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Forcibly accupied all First Class Compartments. Train delayed for one hour. But Police and Station Staff refused any assistance.

The hon. Minister has stated that special trains were provided. But other parties are not provided with special trains. Thousands of persons travelled ticketless. Would the Home Minister give some information on this ?

My third question is that the Bombay branch of Youth Congress has alleged that police entered railway compartments and persons were killed in the compartments. Has the hon. Minister collected facts about it ?

It is painful that somebody should die of gun-shot. One demonstrator was killed and another was grievously injured. I would like to know the reasons why a magisterial enquiry was instituted into it instead of a judicial enquiry. The District Magistrate was present there at the time of firing. So how an officer junior to him or his colleague can fairly conduct the enquiry. Moreover an amount of Rs. 5,000/- was paid as compensation to the family of the deceased in this case by the Gujarat Governor while only one thousand rupees were paid by him to compensate the loss of life in case of a Harijan who was committed to atrocities. For this government, I think, the value of life differs from man to man.

These days they are talking about the economic crisis in loud voice and they are taking drastic steps to curtain expenditure. In this context, may I know the utility of organising such a rally ?

Shri Uma Shankar Dixit: First of all I would like to tell the hon. Member that we had no information about the incidents which took place on 8th. If any information in this regard had been there, there would not have been such incidents. We got news only on the night of day before yesterday. We immediately contacted the local police, the Chief Secretary. The incident took place on the day before yesterday and the Calling Attention Motion on this subject was allowed yesterday. In such a short time it was not possible to place all the facts before the House. If you want, more facts will be placed on the table as soon as they are available to us. As regards the newspaper reports we accept the content if they are confirmed by our own sources or if any officer issues a statement in respect thereof. No investigation has been completed so far. People were busy in it till late in the night. Unless confirmed from our own sources, it is very difficult to say for me as to how far the news is correct and how far it is incorrect. It is said that firing was resorted to by the police after they entered the compartments. According to the reports we received, it is not correct. If it is done so, it is a matter of serious concern and the man responsible for it will not be spared. As regards the presence of District Magistrate on the spot at the time of firing, it is not a fact that he was there. D.M. reached there at 11·50 while train reached there at 11·20. The incident did not occur in his presence. So he appointed S.D.M. to probe into the incident of firing to find out whether there was any justification for it or not. We want C.B.I. to look into such incidents as they took place on different places in various states because judicial enquiry takes long time to be completed. We want that responsibility should be fixed soon and the guilty persons should be punished. As regards the different amount of complensation in different cases, I want that there should be uniform rules in this respect. I will discuss this matter with the Governor.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Members Bills and Resolutions

44वां प्रतिवेदन

प्रो० जी० जी० स्वैल (स्वायत शासी जिले) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का 44वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

भारत और इण्डोनेशिया के बीच महाद्विपीय समुद्री सीमा के परिसीमन के सम्बन्ध में समझौते के बारे में वक्तव्य :

Statement re. Agreement on the Delimitation of Continental Shelf Boundary between India and Indonesia

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं भारत और इण्डोनेशिया के बीच महाद्वीपीय समुद्री सीमा के परिसीमन के सम्बन्ध में हुए समझौते के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8188/74]

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

Matters under Rule 377

एक (बिहार) पुलिस द्वारा श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य को हथकड़ी लगाना

Shri Ishwar Choudhry (Gaya) : Mr. Speaker, Sir, I alongwith some others courted arrest as a satyagrahi in front of Bihar Vidhan Sabha while demonstrating there. I was kept there in prison for a period of two months. During that period I saw corrupt practices prevalent there among jail officers. The catering arrangement was very bad there. In protest to it we went on a token hunger strike. On this, the officers became angry with me and threatened to subject me to various kinds of harassment. About it I wrote to the Jailor, the Superintendent etc. One day the Jailor and the Dy. Jailor abused me and gave me beating with fists. Moreover I was handcuffed and brought to the Court and taken back to the prison. This all was done to defame, insult and humiliate me and with malafide intention. It not only amounts to disrespect and insult to one individual but to all the elected representatives of the people. This is improper and I seek your protection.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, you should ask the Home Minister to collect all the relevant facts regarding this incident. In 1957 and in 1959 the Ministry of Home Affairs issued instructions to all the State Governments that 'Satyagrahis' should not be handcuffed and only those persons should be handcuffed who are violent and who, it is feared, can run away. I would like to know whether these instructions have been changed and Bihar Government has been asked accordingly. You ask for the facts from State Government and if you are not satisfied with the facts, you should allow us to raise it in the form of breach of privilege.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री मन् आप जानते हैं कि कई देशों में विधायक न्यायालय और पुलिस की कार्यवाही से मुक्त होते हैं। चूंकि विधायक पुलिस और प्रशासन की आलोचना प्रायः करते रहते हैं, इसलिए वे हम पर क्रोधीत रहते है और जब भी उन्हें अवसर मिलता है, वे बदला लेने का प्रयास करते हैं। एक संसद सदस्य को हथकड़ी लगाना उसे दो महीने तक जेल में रखना और रस्से से बाधंना ऐसी घटनाएं है जो अनुचित है। हम चाहते हैं कि हमें अध्यक्ष महोदय संरक्षण प्रदान करें और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : ऐसा मामला पहले भी विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि संसद सदस्यों को अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी के कैदी समझा जाये । गृह मंत्रालय से एक निर्देश जारी किया गया था कि साधारणतः कैदियों को हथकड़ी न लगाई जाये । परन्तु इस दृश्टि से यह विशेषाधिकार का मामला बन जाता है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I also request that this matter should be referred to the Committee of Privileges as in jails of Bihar not only MP. but other respected leaders have been maltreated in the past.

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि ऐसा हुआ । सरकार ने ऐसे अनुदेश दिये थे कि संसद सदस्यों विशेषतया सत्याग्रहियों को हथकड़ी न लगाई जाये । ये लोग स्वेच्छा से जेल जाना चाहते है और वे चोरों की तरह नहीं भागेंगे । हथकड़ी के अलावा इससे अपमान भी होता है। व्यक्तिगत रूप से इस पर मुझे रोष होता है। ब्रिटिश काल में वर्ष 1945 में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था । मै अनुभव करता हूं कि अब जबकि हमारी अपनी सरकार है, कम से कम एक संहिता का पालन किया जाना चाहिये । यदि कोई संसद सदस्य हथकड़ी न लगने के कारण भाग जाता है तो लोग उसकी ही बुराई करेंगे । इस पर हमें विचार करना चाहिए । मैं गृह मंत्री से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए कहूंगा । बाद में हम सब इस पर बैठ कर विचार करेंगे कि इसे कैसे तय किया जाये ।

(दो) गुजरात में सूखा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सर्वश्री मावलंकर, जदेजा, अरविन्द पटल, बेकारिया और चावड़ा के नाम प्राप्त हुए हैं । म केवल पहले सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात में सूखे की जो भयंकर स्थिति है, मैं उसके बारे में अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं । वहां अन्न की इतनी कमी है कि इसी कारण से राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस पर होने वाला 'एट होम' समारोह भी रद्द कर दिया है । मैं अहमदाबाद तथा अन्य क्षेत्रों में तीन दिन रहकर आया हूं । सौराष्ट्र, गुजरात और कच्छ में वर्षा नहीं हुई है । कच्छ में प्रायः सूखा पड़ता रहता है । सौराष्ट्र में भी पानी की कमी है । दक्षिण गुजरात स्थित एक पशुसंरक्षण स्थल को 15 रेल के डिब्बे घास से लदे भेजे जा रहे हैं । अहमदाबाद में भी पानी की कमी है । गौरीशंकर झील और खोडियार झील में भी पानी का स्तर कम हो गया है और वे सूखती जा रही है। यदि शतरंजय जल भंडार में जल कम हो गया तो भावनगर को बिल्कुल भी जल न मिलेगा। राजकोट और जामनगर में भी यही स्थिति है । अतः गृह मंत्री और कृषि मंत्री को इस बारे में पूर्ण ब्यौरा और तथ्य सभा को देने चाहिए क्योंकि आजकल गुजरात में राष्ट्रपति शासन है । गुजरात की स्थिति अत्याधिक गम्भीर है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी सम्बद्ध मंत्रियों को गुजरात के संसद सदस्यों की एक बैठक अविलम्ब बुलानी चाहिए । गुजरात सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठक तुरन्त बुलाई जानी चाहिए । इनमें इन समस्यायों पर विचार किया जाना चाहिए । मुझे आशा है कि आप मंत्रियों को शीघ्र ही बठक करने क लिए अनुदेश देंगे ताकि समस्याओं पर अविलम्ब विचार हो सके ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Kindly give chance to them also.

Mr. Speaker : You have made Rule No. 377 a right. It was started by Sh. Madhu Limaye and it is still going on.

Shri Madhu Limaye : Sir, I use a great restraint. Iraise only constitutional matters.

(इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for Lunch for fifteen of the clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

[The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past fourteen of the clock]

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

बैंककारी आयोग के प्रतिवेदन और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण पर चर्चा

Discussion re: Report of the Banking Commission and Working of Nationalised Banks

Shri Madhu Limaye (Banka) : The report on Banking Commission was received by Government about $2\frac{1}{2}$ years ago. Thereafter the Reserve Bank of India studied various recommendations and then sent their report to the Government. Then Estimates Committee studied the working of nationalised banks and submitted its report. But we are sorry to note that even after so much time Government have not announced their decisions, so far. I hope that the Minister of Finance while replying to this discussion will announce Government decisions as well.

First of all, I would like to say that Banking Department under the Ministry of Finance is superfluous because we have Reserve Bank of India, Indian Development Banks and State Bank of India. Most of the officers of this Department have no banking experience and they do not possess any knowledge about the priorities of economic development. So the Department has no utility and it should be wound up in the interest of economy. We had thought that after nationalisation the people and the Parliament would have all the

information pertaining to banks and the facts will come to light. In this connection I suggest that detailed information about the nationalised banks should be supplied to Parliament in the form of an Annual Report. Estimates Committee has also stated that the profits of nationalised banks are coming down. Accounts of many banks have not been reconciled. I have seen many reports on banks and observed that they try to distort facts. It has been mentioned in the report of the Estimates Committee that the situation regarding giving assistance to agricultural sector is most unsatisfactory except in three States. I want to know whether any scheme will be formulated to give more and more assistance to the agricultural sector through banks for production purposes ? Another thing has been pointed out by the Estimates Committee that no effort is being made to recover about 50 percent loans given to agricultural sector. I want to know the names of those banks and names of States in which this situation is prevailing. These reports are written in a routine manner and we are not provided any opportunity to discuss them. I have come to know that banks are working under political pressure loans are given for agricultural purposes but they are utilised for other purposes and they cannot be recovered due to the pressure of congressmen. It is matter of concern that 80 per cent of loans given for agricultural purposes in West Bengal has been given to tea plantations. As if there is no farmer who cultivates paddy or jute ? The Government wants to take the credit of increase in deposits of nationalised banks but they should know that deposits have been increased even in non-nationalised banks and I think it is a sign of inflation. Main thing is whether the amount of these deposits is being used for increasing agricultural production or not? Government should open more branches of banks in rural areas and the loans for production purposes should be made available more expeditiously. It has been pointed out in each report that accounts of most of branches have not been audited.

Capitalists are exercising effective control over these banks even after nationalisation. Some branches of nationalised banks are working as agents of the capitalists and the funds of these banks are being misused. An enquiry should be conducted into the working of these banks.

I have gone through Nagarwala case and read the proceedings of this House in that connection as I was not here at that time. I feel that there was some collusion and conspiracy behind the scene and I demand that a parliamentary committee should conduct an enquiry into the whole affair.

The Banking Commission has not mentioned any thing about foreign banks. It seems that Government decisions have influenced the commission also. I would like to say that these banks are playing a significant role in connection with leakage of foreign exchange and repatriation of profits. In view of this, control over foreign banks is quite necessary. It has been observed that profitability of nationalised banks is decreasing whereas that of foreign banks is going up.

Before concluding, I may point out that emoluments being paid to Chairman of nationalised banks are fabulous. Government should look into this with a view to reduce expenditure on top-heavy administration. Steps should be taken to streamline the working of nationalised banks. I want to know whether the hon'ble Minister would take any steps to reduce the emoluments of the Chairman before imposing restriction on the overtime allowance being paid to bank employees. Expenditure on overtime allowance should be cut down but salaries of high officials should also be reduced.

A pumping set corporation should be set up which should instal small tube-wells and pumping sets instead of banks extending loans to the farmers in rural areas for this purpose. A comprehensive programme should be chalked out to achieve this end. I would also like the nationalised banks to undertake the work of *Gobar-Gas-plants* by which we can serve fuel and we can get fertilizers as well. This work can be entrusted to the aforesaid corporation.

श्री प्रसन्न भाई मैहता (भावनगर) : इस चर्चा का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा किये गये कार्य की जानकारी जनता को मिल सके। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 की महत्वपूर्ण घटना थी। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य कर्जा लेने वाले विभिन्न वर्गों और विभिन्न प्रदेशों के बीच विषमता और असमानता को कम करना था। इसका उद्देश्य यह भी था कि समाज के पिछड़े वर्गों और देश के विभिन्न अविकसित क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। यह समझा जाता था कि राष्ट्रीयकरण से अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास हो सकेगा।

वर्ष 1969 में जमाराशि 620 करोड़ रुपये थी और अब यह बढ़कर लगभग 2,000 करोड़ रुपये हो गई है। इसी प्रकार बैंकों की शाखाओं की संख्या 8,000 से बढ़ कर 17,000 हो गई है। मुफस्सिल केन्द्रों की संख्या भी 1,860 से बढ़कर 6,000 हो गई है। अतः जमाराशि और प्रसार की स्थिति संतोषजनक है। परन्तु इसके साथ ही ऋण देने के लिये ब्याज की दर को भी 9.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.5—15 प्रतिशत के बीच कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ गई है।

जहां तक वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है 14 बैंकों में से 6 बैंक घाटे पर चल रहे है और दो बकों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। सरकार के विचार में इस स्थिति के लिये कर्मचारी जिम्मेदार है परन्तु मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्ध खराब होने के लिये वह जिम्मेदार नहीं है? सरकार को इन सम्बन्धों मे सुधार करने के लियें पहले से ही उपाय करने चाहिये।

राष्ट्रीयकरण से पहले पिछड़े क्षेत्रों में औसत वार्षिक प्रगति दर 21.7 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीयकरण के बाद 21.5 प्रतिशत है। अतः प्रगति की दर कम हो गयी है। इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण से पहले विकसित क्षेत्रों की प्रगति दर 16.6 प्रतिशत थो जो राष्ट्रीयकरण के बाद घट कर 16.2 प्रतिशत रह गई है। जहां तक जमा राशि बढ़ाने और बैंक सहायता का

सम्बन्ध है। राष्ट्रीयकरण का विकसित क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापार संतुलन की स्थिति पर भी कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। वर्ष 1966–72 की पूरी अवधि में विकसित क्षेत्रों ने पिछड़े क्षेत्रों के लिये कम योगदान दिया है। इतना ही नहीं स्थिति इसके विपरीत रही है अर्थात् पिछड़े क्षेत्रों ने विकसित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के लिये अधिक योगदान दिया है। उद्देश्य यह था कि जमा राशि को बढ़ा कर पिछड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिये धन दिया जायेगा और इसमें स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी। परन्तु परिणाम यह हुआ कि पिछड़े क्षेत्रों की धनराशि का उपयोग विकसित क्षेत्रों में किया गया है। राष्ट्रीयकरण बैंकों ने ग्रामिणों जनता का शोषण किया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का यह परिणाम निकला है। यह देखा गया है कि जन साधारण छोटे किसानों, कारीगरों, खुदरा व्यापारियों और हरिजनों को अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये ऋण नहीं मिलता और यदि कभी मिल भी जाता है तो उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इस समय स्थिति यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के पासछोटे किसानों, छोटे हस्तशिलपियों तथा हरिजनों को श्रृण के रूप में धन देने के लिये नहीं है। बैंक आफ बड़ौदा, जामनगर और जूनागढ़ शाखाओं में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। इन बैंकों के एजेन्टों ने अधिकारियों की सांठ गांठ से जुलाई 1972 से दिसम्बर 1972 की अवधि में एक पार्टनरशिप फर्म को 80 लाख रुपये का ऋण दिलाया। कुछ लोग किसानों को श्रृण दिलाने में दलालों का काम कर रहें हैं और वे दस प्रतिशत दलाली लेते हैं। कुछ एजेंट जाली श्रृण फार्म छपवाकर उन्हें बेच रहें हैं। श्रृण फार्मों की प्राथमिकता सूची नहीं बनाई जाती और कलर्क द्वारा ही फार्मों की जांच आदि की जाती है। कुछ मामलों में गलत नामों से श्रृण ले लिया जाता है। भूमि आदि की मौके पर जांच जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती। इन ब्रैंक की शाखाओं में भ्रष्ट और अनुचित तरीके अपनाये जा रहें है।

बैंकों में समयोपरि भत्ता का भुगतान भी बहुत अधिक किया जाता है। कार्यभार के बारे में मूल्यांकन किया जाना चाहिये और यदि आवश्यकता हो, तो अधिक कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहियें। जनवरी 1973 से जून 1974 तक 415 लाख रुपये की राशि समयोपरि भत्ते के रूप में अदा की गई। यह राशि बहुत अधिक है। कार्य प्रणाली ऐसी बनाई जाये जिससे कर्मचारियों को निर्धारित समय से अधिक काम न करना पड़े। राष्ट्रीयकरण से बाद में बैंकों का योगदान ग्राम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बिल्कुल नहीं रहा। छोटे किसानों को, शिल्पियों और हरिजनों आदि को कोई लाभ नहीं हुआ। राज्य सभा में दिये गये उत्तर से पता लगता है कि 75 बड़े औद्योगिक गृहों को अधिकांश श्रृण दिया गया। सरकार को बकों के कार्यकरण और तत्सम्बन्धी अन्य बातों पर ध्यान देना चाहिये।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कुछ उद्देश्यों को लेकर किया गया था। पहला उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन बढ़ाने के लिये बित्त की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में हमें इस बात पर विचार करना है कि पूंजी निवेश की प्रति व्यक्ति उत्पादिता क्या है, उत्पादन के रूप में पूंजी निवेश से कितना मिला, कितनी राशि बैंकों म जमा हुई और कितनी उत्पादन हेतु लगाई गई। इस विश्लेषण क आधार पर एक ऋण दने की ऐसी प्रणाली

बनायी जा सकती है जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक और लाभदायक सिद्ध होगी । बैंकों में जमा राशि कृषि क्षेत्र से आ रही है जबकि कृषि क्षेत्र में पूंजी बहुत कम लगाई जा रही है । ऐसे उद्योगों में पूंजी कम लगाई जाये जहां उससे लाभ प्राप्त नहीं होता। पूंजी निवेश ऐसे उद्योगों में किया जाये जहां धन–सम्पदा बढ़े और प्रति व्यक्ति आय से अधिक दर में वृद्धि हो।

जहां तक बैंकों में विलम्ब होने का सम्बन्ध है, यह सच है और बैंक कर्मचारियों को ऐसे अनुदेश दिये जायें कि वे समय बर्बाद न करके कार्य को अविलम्ब निपटायें । हमारे बैंकों में तीन, चार या पांच वर्ष तक तुलन–पत्र तैयार नहीं किया जाता । मेरा सुझाव है कि बैंकों म तुलना-पत्र त्रिमासिक आधार पर तैयार किये जाने चाहियें क्योंकि कोई भी उद्योग या व्यापार तुलन-पत्र के आधार पर ही किया जा सकता है । तुलन-पत्र से यह पता लगता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं।

बैंकों में जमा राशि और उसके उचित वितरण की बात कही गई है । पहले बैंकों के चेयरमैन और डायरेक्टर धन का अपने लिए या अपने मित्र लाभ के लिये प्रयोग करते थे और यह विशेषाधिकार अब बैंकों के अधिकारियों को प्राप्त हो गया है । अतः सरकार को धन के न्यायोचित वितरण पर ध्यान देना चाहिये । उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि कुछ राज्यों की यह शिकायत है कि वहां से धन अधिक एकत्र किया जाता है परन्तु ॠण के रूप में कम दिया जाता है । गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों में 700 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई परन्तु वहां ॠण के रूप में केवल 400 करोड़ की राशि दी गई । चूंकि धन वितरण का कार्य केन्द्र के हाथ में है इसलिये वितरण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे किसी भी राज्य को यह अहसास न हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है । जहां तक मुद्रास्फीति का सामना करने की बात है, इसके लिए राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसके लिए हमें उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करनी होगी। इससे ही वर्तमान समस्या का समाधान होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दबान) : आज हम बैंकिंग आयोग की सिफारिश पर विचार कर रहे हैं । प्रतिवदन जनवरी 1972 में प्रस्तुत की गई थी । बैंकों के कार्य करने के ढंग और उनसे जन साधारण को क्या लाभ हुआ है, इस पर सभा में विचार किया जाना उचित है ।

बैंकों क राष्ट्रीयकरण के समय यह ध्येय रखा गया था कि विकास की गति बढ़े , इसका निर्धनता और बेरोजगारी पर अनुकूल प्रभाव पड़े , समाज के धनी और निर्धन वर्गों तथा देश के विकसित और अविकसित क्षेत्रों के बीच विद्यमान विषमता दूर हो । अब देखना यह है कि ये उद्देश्य राष्ट्रीयकरण के बाद किस हद तक पूरे हुए। सर्वप्रथम हम देश के विभिन्न भागों और राज्यों में विद्यमान विषमता को लेते हैं। क्या पिछड़े क्षेत्रों को वास्तविक लाभ प्राप्त हो रहा है ? क्या विषमता दूर हुई है अथवा नहीं ? पश्चिम और दक्षिण भारत में एक बैंक शाखा 13,000 लोगों के लिए है जबकि आसाम में 90,000 लोगों के लिये एक शाखा है । उड़ीसा में यह संख्या 100,000 है । ग्रामीण क्षेत्रों में यह विषमता और भी अधिक है। पूर्व और उत्तर पूर्व के राज्यों के गांवों में एक शाखा 200,000 लोगों के लिए बैठती है । आसाम, मेघालय, मनीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम से बने पूर्वोत्तर क्षेत्र को केवल 17.78 करोड़ रुपये बैंकों

से मिले जबकि उत्तर क्षेत्र को 435 करोड रुपये दिये गये । बिहार, पश्चिम बंगाल, अदंमान क्षेत्र से बने पूर्वी क्षेत्र को 435 करोड़ रुपये दिये गये, पश्चिम क्षेत्र को 1,295 करोड़ रुपये दिये गये और दक्षिण क्षेत्र को 581 करोड़ रुपये दिये गये । इससे विषमता का पता चलता है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए
Shri Dinesh Chander Goswami in the Chair

देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में राष्ट्रीयकृत बैंकों का क्या योगदान रहा ? रिजर्व बैंक के एक बुलेटिन के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए, सरकारी क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये कुल ऋण का केवल 8.40 प्रतिशत दिया गया । यह आंकड़े जून 1972 के हैं । इससे स्पष्ट है कि कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण देने पर बल नहीं दिया गया है ।

यह सच है कि बैंकों की शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु उन्हें वाणिज्यिक स्वरूप भी अपनाना होगा । तभी वे लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं । हम नहीं चाहते कि बैंकों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना हो । एक और विचारणीय प्रश्न यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक रोजगार के अवसर पैदा करने में कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं । इस ध्येय में भी वे असफल रहे हैं ।

जहां तक कृषि और कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, छोटे किसानों और बटाईदारों को पर्याप्त् धन दिया जाना चाहिए । जो लोग वास्तव में भूमि जोतते हैं और खेती करते हैं उन्हें बैंकों से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसे लोगों के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने और उन्हें उर्वरक देने के लिए कितनी राशि खर्च की ।

विदेशी बैंकों के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि इनके माध्यम से विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जा रही है । हमारी सरकार उन पर नियंत्रण करने में सफल नहीं रही है । उनके साथ अलग से व्यवहार क्यों किया जाये उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए ? उनके संसाधनों को जन संसाधन क्यों नहीं समझा जाता ? राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति की मन्द गति पर मंत्री महोदय ने असंतोष प्रकट किया है । मैं जानना चाहूंगा कि निर्धन वर्ग के लोगों, कृषि उत्पादन बढ़ाने और अपना रोज़गार-धंधा करने वालों तथा छोटे उद्यमियों के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था एक महत्वपूर्ण वित्तीय आधार है । वाणिज्यिक बैंकों का स्वामित्व, नियंत्रण और ऋण सम्बन्धी नीतियां पूंजी निवेश को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं । अतः बैंकिंग व्यवस्था का विकास 'समाज के लिए लागत-लाभ' विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए । इस दिशा में पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इस अल्प अवधि में उन्होंने ऋण देने का कार्य बहुत बढ़ाया है और उनकी शाखाओं में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है । वर्ष 1969 में ऋण लेने वालों के खातों की संख्या 2·6 लाख थी, जो अब बढ़ कर 20 लाख हो गई है । जून 1969 से जून 1973 तक कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यापार, छोटे व्यापार जैसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को प्राप्त धन 441 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,297 करोड़ रुपये हो गया है ।

कुछ क्षेत्रों में सरकारी बैंकों ने सराहनीय काम किया है परन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां उन्होंने उतना काम नही किया जितना कि उनसे अपेक्षा की जाती थी। क्षेत्रीय संतुलन पैदा करने में वे अपेक्षित कार्य नहीं कर पायें हैं, यह मेरी शिकायत है। जो राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन्हें पूंजी निवेश के लिए पर्याप्त् धन नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के लिए ऋण और जमा राशि का अनुपात त्रिपुरा में 10.51 प्रतिशत है जबकि तमिलनाडु में यह 107.95 प्रतिशत है। कम विकसित राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में वह 50 प्रतिशत से भी कम है। ऐसा लगता है कि पूंजी निवेश की प्रभावी योजनाओं के अभाव और पूंजी पर बड़े उद्योगपति के नियंत्रण के कारण जमा राशि पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश हेतु नहीं दी जा रही है। अतः ऋण देने की नीति में परिवर्तन की अपेक्षा है ताकि औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। साथ ही मेरा विचार है कि बैंक कर्मचारियों के रूढ़िवादी दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्हें परिवर्तनशील समाज और सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इस संदर्भ में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बैंक कर्मचारी नये कार्यक्रम बनायें। ऋण देने की प्रक्रिया या गारंटी-दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को सरल बनायें। निर्धन वर्ग को ऋण देने के मामले में लाभ की प्रतिशतता कम होने या ऋण के वापसी-भुगतान में जोखिम की बात पर इतना ध्यान न दिया जाये कि उन्हें ऋण न मिल सके। सरकारी क्षेत्र के बैंक पूंजीवादी भूमिका अदा करने के स्थान पर समाजवादी भूमिका अदा करें। इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाये।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद): बैंकिंग आयोग का गठन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बहुत पहले किया गया था और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उनके निर्देशपद असंगत हो गये हैं। अतः उनके प्रतिवेदन पर चर्चा करने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। गत पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण पर आवश्यक चर्चा की जानी चाहिये।

यह चर्चा का विषय है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था अथवा आर्थिक दृष्टिकोंण से किया गया था। मेहै विचार से राष्ट्रीयकरण राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय यह भावना थी कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हमारी सब आर्थिक समस्यायें हल हो जायेंगी। सामान्य जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें अपेक्षित ऋण दिया जायेगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिये जिम्मेवार लोग यह अनुभव करते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य की सिद्धि नहीं हुई है। वित्त मंत्री ने भी यह बात स्वीकार की है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस बात में संदेह नहीं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में बहुत वृद्धि हुई है। जून, 1969 में इन बैंकों की शाखाएं 8,000 थी जो दिसम्बर, 1972 में बढ़कर 14,000 हो गई हैं। लेकिन इस बात में संदेह है कि क्या अल्प शाखाएं पिछड़े क्षेत्रों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। नई शाखाओं में जमा राशि में अनुकूल प्रगति नहीं हुई है।

राष्ट्रीयकृत बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की प्रभावकारी ढंग से सेवा करने में असफल रहे हैं। श्री मोहन धारिया ने पूना में कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अकुशल कार्यकरण के कारण 50 लाख लोगों को रोजगार देने संबंधी योजना बुरी तरह असफल रही है।

कृषि के क्षेत्र में भी राष्ट्रीयकृत बैंक असफल रहे हैं। कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष कमी हो रही है। जून, 1972 और मार्च, 1973 के बीच दिये गये कुल ऋणों की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को एक प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं दिया गया। बैंकों को इस दिशा में अपनी प्रशासनिक कुशलता बढ़ानी चाहिये।

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सरकारी क्षेत्र को बैंक ऋण जनवरी, 1973 में 7,491 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सितम्बर, 1973 में 8,581 करोड़ रुपये दिये। लेकिन वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं नहीं दी गई। मूल्यों म वृद्धि का एक कारण यह भी है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश में जमा कर्त्ताओं को बहुत हानि उठानी पड़ी है क्योंकि उन्हें अपनी जमा राशि पर उचित ब्याज नहीं मिला है। ऋण पर ब्याज की दर में तो वृद्धि कर दी गई है लेकिन जमा राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि नहीं की गई है।

निदेशक मंडल में जमा कर्त्ताओं, कर्मचारियों, अर्थशास्त्रियों, छोटे किसानों और छोटे उद्यमियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। इस समय वित्त मंत्रालय अपने ही लोगों को निदेशक मंडल में रखता है।

बैंकों में आज कार्य क्षमता में गिरावट आती जा रही है और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। बैंकिग सेवा को अनिवार्य सेवा घोषित किया जाना चाहिये।

आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि सरकार को रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्य करण की जांच करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त न्यायिक आयोग गठित करना चाहियें। इस बात का पता लगाना अत्यावश्यक है कि क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सफलता प्राप्त हुई है अथवा नहीं। रिजर्व बैंक को स्वतंत्र वित्तीय प्राधिकरण बनाया जाना चाहिये और सरकार को इसकी सलाह माननी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो रिजर्व बैंक को संसद के समक्ष आकर यह कहने का अधिकार होना चाहिये कि उसकी नीति का पालन नहीं हुआ है।

यदि हम बकिंग प्रणाली को, कृषि क्षेत्र में, छोटे किसानों और छोटे उद्यमकर्ताओं को ऋण देने के मामले म, आधुनिक पद्धति के अनुसार पुनर्गठित करने में असफल रहते हैं तो हम ऐसे समय अर्थ-व्यवस्था को स्थिर करने में पूणतया असमर्थ रहेंगे, जब वह बहुत अस्थिर है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का एक कारण है।

Shri M.C. Daga (Pali): Lakhs of rupees are being wasted on the decorations of the banks. The Government always talks of cutting down the administrative expenditure. The Government should stop the extravagancy. Rs. 12 lakhs have been spent on travelling and other expenses of a Committee appointed for banking.

In 1969 the overtime allowance paid to the bank employees were 4 crores 95 lakhs and in 1973 it increased to Rs. 12 crores.

The banks are also over staffed (*Interruptions*).

The Government have opened the branches of nationalised banks in big villages. But there is no work there. The Government has opened the branch of Central Bank in Kotri in an Adivasi area. The rent of that building is Rs. 600. Similarly a bank has been opened in Chittoore district in Andhra Pradesh. The rent of the building is Rs. 500 and a chowkidar is getting Rs. 300. There is no uniformity in the increase in interest rates in all the nationalised banks. There must be some prescribed procedure for it.

The Estimates Committee has also pointed out that if a person wants to take a loan for diesel engine set for his farm it may take 6 to 8 months and there is a whole chain of officers and personnel who have to be satisfied and the number of forms to be filled up is really amazing.

The poor farmers are not able to get loans from the nationalised banks. The main object, the development of backward regions behind nationalisation, has not been fulfilled.

It is true that about 16,000 branches have been opened after nationalisation. The poor people are not getting loans from the banks. It is only the rich people who get loans from the nationalised banks and their number is very limited. There should be improvement in the services provided by the banks. The Government should look into these matters.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय प्रधान मंत्री नें राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य कृषि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्र में सामान्य लोगों के लिये ऋण की व्यवस्था करना, छोटी और उपेक्षित संस्थानों के लिये ऋण की व्यवस्था करना बताया था।

श्री बसन्त साठे पीठासीन हुए।

Shri Vasant Sathe in the Chair.

उस बात में कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीयकृत बैंको ने ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएं खोलने, जमा राशि बढ़ाने और कुछ अन्य क्षेत्रों में गत पांच वर्षों में उल्लेखनीय काम किया है। वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकरण करते समय यह बताया गया था कि ऐसा आर्थिक संस्थाओं को एकाधिकार गृहों के पंजे से छुड़ाने के लिये किया जा रहा है। लेकिन वित्त मंत्री ने बताया है कि पांच बड़े व्यापार गृहों ने ऋण लेकर बड़ा धन एकत्र किया है। उक्त व्यापार गृह 75 प्रतिशत ऋण प्राप्त कर रहे हैं। यह बहुत प्रशंसनीय स्थिति नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि वित्तीय संस्थाओं को एकाधिकार गृहों से छुड़ाने का उद्देश्य राष्ट्रीयकरण से सफल नहीं हुआ है।

यह बात भी रुचिकर है कि देश में गैर-सरकारी उद्योगों को 9,370 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये हैं जबकि सरकार को केवल 9,013 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंक निर्धन वर्ग की सहायता करने और अविकसित क्षेत्रों का विकास करने में असफल रहे हैं। उनकी पहले ही जैसे उपेक्षा की जा रही है।

मालिक किसानों को बहुत कम राशि के अल्पावधि तथा दीर्घावधि ऋण दिये गये हैं।

प्राक्कलन समिति ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है कि कमजोर वर्ग की, जिसके लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं।

यह कहना उचित होगा कि सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें नौकरशाही के पंजे में फंसा दिया है। इस समस्या के समाधान के लिये सबसे पहले रिजर्व बैंक का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। ऋण देते समय निर्धन वर्ग की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये। कालाबाजारियों तथा जमाखारों को तथा मुनाफाखोरों को ऋण नहीं दिये जाने चाहिये।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की असफलता के लिये अनुशासन और सयोपरि भत्ते के नाम पर बैंक कर्मचारियों को दोषी ठहराने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंको के कर्मचारियों और निदेशकों के रूप में प्रशंसनीय कार्य किया है।

सरकार बैंक उद्योग में अपने कार्मिक संघों का पक्षपात कर रही है, इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के अधिकार क्षेत्र में न लाने के क्या कारण हैं ताकि उनका संसद के प्रति दायित्व हो सके ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : यह उल्लेख किया गया है कि बैंक क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करने में असफल रहे हैं। देश के उत्तरी क्षेत्र में लोगों ने बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाया है। लेकिन मनीपुर, आसाम आदि क्षेत्रों में लोगों ने बड़ी संख्या में इस से लाभ नहीं उठाया है। लेकिन अब बैंकों से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

सरकार गरीब लोगों की सहायता करना चाहती है। हम अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों की सहायता करना चाहते हैं।

हमारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराना, समाज के उपेक्षित वर्ग को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना तथा विकास प्रधान प्रणाली को प्रोत्साहन देना था। हमे यह देखना है कि हम अपने उदेश्य में सफल हुए हैं अथवा नहीं। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीयकृत बैंको न बहुत अधिक प्रगति की है। बिना बैंक वाले क्षेत्रों में 6,224 शाखाएं खोली गई हैं। इनमें से अधिकांश शाखाएं उन ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई है जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।

यह कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में बकिंग सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश जैसे बिना बैंक वाले क्षेत्र में वर्ष 1969 में 41 शाखाएं थी लेकिन 1973 में 173 शाखाएं थीं। आसाम में केवल 74 शाखाएं थी अब वहां 174 शाखाएं हैं। मनीपुर में वर्ष 1969 में 2 शाखाएं थी और अब 9 शाखाएं हैं। अतः आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक शाखाएं खोली गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी 3,832 शाखाएं खोली गई हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही बैंकिंग सुवि ओं में 50 प्रतिशत सुधार किये गये हैं। ग्रामीणों को बकिग सेवाएं प्रदान करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में 134 कृषि शाखाएं खोली गई हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लीड योजना भी आरम्भ की है इसके अधीन किसी विशेष क्षेत्र की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। वाणिज्यिक बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकारों को मिलकर देखना होता है कि निजी क्षेत्र में धन लगाया जा सके। इस प्रकार की सुविधा बैंको को पहले कभी उपलब्ध नहीं की है।

बैंकों द्वारा लघु उद्योगों, कृषि क्षेत्र, चित्रकारों, परिवहन मालिकों और शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिये जाने चाहिये।

बैंकों के पास बहुत बड़ी राशि जमा पड़ी है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिये। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यह उपेक्षित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र म और अधिक धन लगाने की गुंजाइश है और यदि ऐसा किया जाता है तो देश में उत्पादन बढ़ेगा। बैंकों की सेवा में बहुत गिरावट आई है। बैंकों में जाने वाले लोग बैंकों के कर्मचारियों के व्यवहार तथा बैंक के कार्य से संतुष्ट नहीं है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बैंकों के कार्य करण में सुधार करने के लिए उपाय किये जाने चाहिये जिससे जनता को कोई कठिनाई न हो। बैंको के प्रबन्धकों तथा मंत्रालय के बीच नियमित रूप से विचार विमर्श होना चाहिये तथा इन बैंकों के लिये उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जाने चाहिये।

श्री वयालार रवि (चिर्रयिकील) : बैंक राष्ट्रीयकरण पर देश को भारी आशाएं हुई थी। बैंककारी आयोग के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों से देश में उत्पादन बढ़ाने में सहयोग मिलेगा तथा विशेष कर छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा, किन्तु क्या उन उद्देश्यों में से 10 प्रतिशत उद्देश्यों की भी पूर्ति हो सकी है ? यह दुर्भाग्य की बात है कि जनता म जगाई गई आशाएं पूरी नहीं की गई। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात भी इन बैंकों के स्वरूप अथवा कार्यकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उन पर पहले भी एकाधिकार गृहों का प्रभुत्व था और अब भी वही स्थिति है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन बैंकों की देश में 11,313 शाखाएं स्थापित की गई हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इन शाखाओं की संख्या बहुत कम है। नगरीय क्षेत्रों में 10,000 से अधिक शाखाएं स्थापित की गई हैं, यद्यपि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मूलरूप से कृषि पर आधारित है तथापि ग्रामीण जनता की उपेक्षा की गई है। कृषि कार्यों के लिये सहकारी समितियों के माध्यम से केवल 711 करोड़ रुपये दिये गये हैं। सहकारी समितियों की संख्या भी 2 लाख से घटाकर 1.65 लाख कर दी है। वास्तव में राष्ट्रीयकृत बैंक औद्योगिक क्षेत्र की सहायता करना चाहते हैं तथा एकाधिकार गृहों में ही रुचि रखते हैं।

यह कहना सच नहीं है कि नगरों को उपयुक्त मात्रा में ऋण प्रदान नहीं हुआ है। अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली, पांच बड़े नगरों में लगभग 44 प्रतिशत पूंजी जमा कराई गई जबकि उन्होंने 59 प्रतिशत पूंजी का ऋण प्राप्त किया। अतः एकाधिकार गृहों ने बहुत अधिक लाभ उठाया है तथा पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्णरूप से उपेक्षा की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा ऋण दिये जाने की नीति भी दोषपूर्ण है । लगभग 131 करोड़ रुपये के ऋण खाद्यान्न के ऐसे व्यापारियों को दिये गये हैं जो जमाखोरी, चोर बाजारी और मुनाफाखोरी करते हैं । जो व्यापारी जनता का शोषण करते हैं उनको ऐसी सुविधाएं दिये जाने का क्या औचित्य है ?

इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के पुनर्गठन की आवश्यकता है । मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत नहीं हूं कि निदेशकों की नियुक्ति उनके अनुभव के आधार पर की जाती है । वास्तव में निदेशक सरकार की सभी नीतियों का विरोध करते हैं तथा एकाधिकार गृहों के ही हितों की रक्षा करते हैं । जहां तक मेरा विचार है कि रिजर्व बैंक से दीर्घावधी ऋण नीति को पृथक किये जाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के लिये एक पद बनाना है ।

केरल में बैंक के कर्मचारियों ने आन्दोलन किया था तथा उनकी मांग थी कि उनके पुत्रों तथा सम्बन्धियों को बैंकों म रोजगार दिया जाये । क्या उन कर्मचारियों का बैंकों की नौकरियों पर एकाधिकार होना चाहिये ? मेरा विचार है कि प्रबन्धकों को इस प्रकार की मांगों को स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि देश में अन्य अनेक व्यक्ति बेरोजगार हैं तथा उनका भी रोजगार पाने में अधिकार है । जिन प्रबन्धकों नें ऐसे करारों पर हस्ताक्षर किये हैं उन करारों को रद्द कराया जाना चाहिये ।

मैंने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था कि करल में लगभग 40 करोड़ रुपयों के चेकों का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि वहां दो यूनियनों में झगड़ा है । मैं सराकर से निवेदन करता हूं कि इन विवादों के कारण जनता को तंग नहीं किया जाना चाहिय ।

ट्रावनकोर में स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर नें मछुओं को उदारता से ऋण देने की मांग को अस्वीकार कर दिया है तथा ये बैंक 500 रुपया के ऋण के लिये दो सरकारी कर्मचारियों की जमानत मांगते हैं अथवा भूसम्पत्ति के कागजात मांगते हैं, यह तरीका ठीक नहीं है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन की सभा में भारी आलोचना की गई थी । उसने कुछ ही महीनों में पांडिचेरी आश्रम के 24 दौरे किये । उन पर कई आरोप लगाये गये हैं किन्तु इस बारे में कोई जांच नहीं कराई गई । इसके विपरीत उसकी सेवावधि को तीन वर्ष बढ़ा दिया गया है । जब स्टेट बैंक आफ इण्डिया का चेयरमैन इस प्रकार लापरवाह हो सकता है तो उसके अन्य कर्मचारियों में किस प्रकार अनुशासन भावना उत्पन्न की जा सकती है ?

मैं श्री चन्द्रप्पन के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि बैंकों को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिये जिससे संसद को उनके कार्यकरण की जांच करने का अधिकार प्राप्त हो सके ।

***श्री जे० मातागौडर** (नीलगिरि): बैंक राष्ट्रीयकरण के समय वित्त मंत्री ने कहा था कि इन 14 वाणिज्यिक बैंकों पर एकाधिकार गृहों का ही प्रभुत्व है तथा इनमें केवल इन्हीं औद्योगिक गृहों को लाभ होता है। अतः इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ रहा है। अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बक राष्ट्रीयकरण के पश्चात सामाजिक अन्याय को दूर करने के उद्दश्यों की कहां तक पूर्ति हुई है। यदि इस उपाय का कोई लाभ नहीं हुआ तो क्या सरकार ने यह कहना केवल चुनाव जीतने के लिये उठाया था ?

1971 में 50 बड़े औद्योगिक गृहों की ओर 14 राष्ट्रीयतकृत बैंकों की 464.96 करोड़ रुपयों की राशि बकाया थी तथा 1973 में यह राशि 511.94 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार तीन वर्षों म बड़े औद्योगिक गृहों को 112 करोड़ रुपये का अधिक ऋण दिया गया है अतः मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा राष्ट्रीयकरण के पश्चात भी बड़े औद्योगिक गृहों को अधिकतम लाभ दिया जा रहा है। जिन उद्देश्यों की घोषणा की गई थी उनको तभी प्राप्त किया जा सकता था। बड़े औद्योगिक गृहों से अधिक राशि वसूल की जाती तथा उससे किसानों तथा छोटे उद्यमियों की वित्तीय सहायता की जाती।

बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गये ऋणों के बारे में मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। 18 जुलाई 1969 को बिड़ला बन्धुओं की ओर 5430.17 लाख रुपया बकाया था, 29 जून 1973 को बकाया राशि 7726.27 लाख रुपया हो गई। इसी प्रकार मार्टिन बर्न की ओर बकाया राशि म भी वृद्धि होती गई तथा सारा भाई की ओर बकाया राशि में भी वृद्धि हुई। मैं जानना चाहता हूं कि बड़े औद्योगिक गृहों की ओर ऋण की बकाया राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि होते जाने के क्या कारण हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या छोटे उद्योगों को भी अधिक ऋण दिये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : म एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य 1969 में दिये गये ऋणों की तुलना 1973 में दिये गये ऋणों से कर रहे हैं। वह ऋण की राशि की तुलना कर रहे हैं, ऋण की प्रतिशतता नहीं बता रहे। ऋण सुविधाओं में वृद्धि को देखते हुये उपयुक्त तुलना तभी होगी जब उसकी प्रतिशतता बताई जाये।

श्री जे० मातागौडर : स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने भी गत तीन वर्षों में 75 बड़े औद्योगिक गृहों को अधिक ऋण दिया है। 31 दिसम्बर, 1971 को उनकी ओर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की 304.97 करोड़ रुपये की राशि तथा 31 दिसम्बर, 1973 को 304.97 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा इन गृहों को 816.91 करोड़ रुपयों का ऋण दिया गया है।

मैं बैंक राष्ट्रीयकरण का विरोध नहीं करता किन्तु मेरा विचार है कि यदि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं का सदोपयोग किया गया होता, तो देश में खाद्य समस्या तथा आर्थिक समस्या उत्पन्न न होती। अतः मेरा अनुरोध है कि इन बड़े औद्योगिक गृहों की ओर जो बकाया राशि है, उसको

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

वसूल किया जाये तथा उससे छोटे किसानों और उद्यमियों की सहायता की जाये। सम्भवतः सरकार यह कदम इस लिये नहीं उठाना चाहती क्योंकि सत्तारूढ़ दल इन बड़े औद्योगिक गृहों की सहायता से ही जीवित है।

प्राक्कलन समिति ने टिप्पणी की है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में कमी होती जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अधिक शाखाएं स्थापित किये जाने तथा ऋण की राशि में वृद्धि किये जाने के पश्चात भी इनके लाभ में कमी होने के क्या कारण हैं? मेरे विचार से इस का एक कारण यह है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात भी उन बैंकों का प्रबन्ध उन्हीं अधिकारियों के हाथों में है जिनके हाथ में पहले था। जब तक प्रबन्धक मण्डल में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तब तक इन बैंकों के लाभ में वृद्धि नहीं होगी। मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार को उन बैंकों के कार्यकरण पर अधिक नियन्त्रण रखना चाहिये।

विदेशी बैंकों के बारे में बैंकधारी आयोग का मत है कि विदेशी बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा की तस्करी की जाती है। इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि सरकार को विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्हें कितना समय चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : महोदय विपक्ष के सभी माननीय सदस्य इस बारे में सहमत हो गये हैं कि हम 7 बजे तक बैठेंगे। हम इसके लिये कोई अन्य दिन निर्धारित कर लेंगें।

सभापति महोदय : इसका अर्थ यह है कि वित्त मंत्री आज उत्तर नहीं देंगे।

श्री के० रघुरमैया : आज नहीं।

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

46वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 46वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

बैंककारी आयोग के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय कृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में चर्चा—जारी

Discussion re. Report of the Banking Commission and working of Nationalised Banks—contd.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : महोदय ! 19 जुलाई, 1969 को बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद देश की अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ मिला। इससे सरकार के हाथ में 83 प्रतिशत जमा राशि आई। वाणिज्य बैंकों की स्थापना अंग्रेजी शासन काल हुई थी तथा इनका कार्य बड़े औद्योगिक गृहों को सुविधा देना था।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए।

Shri Dinesh Chandra Goswami in the Chair.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि अधिकांश ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बैंक नहीं थे या कम थे, बैंकों का विस्तार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की 1969 में 1860 शाखाएं थीं, जिनकी संख्या बढ़कर दिसम्बर, 1973 में 6023 हो गई है। प्रति-शाखा औसत जनसंख्या 1969 में 65, 000 थी जो 1973 के अंत में घटकर 33,000 रह गई है।

प्रशिक्षित तथा अनुभवी व्यक्तियों की कमी के कारण नई शाखाएं स्थापित करने की दिशा में गत दो वर्षों में प्रगति धीमी रही है। किन्तु जमा राशि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनकी जमा राशियां फरवरी, 1974 तक 3,885 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,450 करोड़ रुपये हो गई हैं। अर्थात् जमाराशि दुगनी हो गई है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जून 1969 तक 440 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे जो दिसम्बर 1973 में बढ़कर 1326 करोड़ रुपये हो गये हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण में 1969 में इनका 14. 9 प्रतिशत हिस्सा था जो दिसम्बर, 1973 में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में बैंक राष्ट्रीयकरण से आशातीत सफलता नहीं मिली है। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में बढ़ती हुई असमानता आशातीत सीमा तक नहीं घटी है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का अनुपातिक पिछड़ापन अभी भी विद्यमान है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी या महानगरीय क्षेत्रों में बैंककारी असमानताएं बढ़ रही हैं। एक ही राज्य के विभिन्न जिलों में भी यह असमानता बढ़ रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण और बैंक जमा राशियों में 48 प्रतिशत का अनुपात है, ग्रामीण क्षेत्रों में 42 प्रतिशत तथा शहरों और नगरों में 77 प्रतिशत है। इस असन्तुलन का वास्तविक कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा जमा की गई राशि शहरों में लगाये जाने के लिये प्रयोग में लाई जाती है। यह हमारी आशा के विपरीत है।

जहां तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का सम्बन्ध है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मैसूर, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल ऋण का 63 प्रतिशत भाग दिया गया है जबकि समस्त पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को केवल 11 प्रतिशत ऋण दिया गया है। महाराष्ट्र में शिकायतें मिलीं हैं कि कृषि क्षेत्र को कुल ऋण का 3. 6 प्रतिशत ही ऋण दिया गया है। यह भी शिकायत की गई है कि अधिकांश ऋण समृद्ध किसानों को दिया गया है। मेरा सुझाव है कि बैंकों की ऋण देने सम्बन्धी नीतियों में आधारभूत परिवर्तन किया जाना चाहिए।

कुछ व्यक्तियों ने शिकायतें की हैं कि बैंकों के कर्मचारियों का व्यवहार बहुत अभद्र है। मजदूर संघों ने बैंक राष्ट्रीयकरण की बहुत मांग की थी किन्तु यह संघ भी कर्मचारियों के इस व्यवहार में सुधार करने का प्रयत्न नहीं करते । मेरा सुझाव है कि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिये तथा आवश्यक कदम उठाने चाहिये ।

बैंककारी आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे जिनका सम्बन्ध (1) राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी समितियों में समन्वय (2) मर्चेंट बैंकिंग की स्थापना तथा (3) गैर-बैंक बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के विनियमन के बारे में था। सरकार ने उन सिफारिशों की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया है। मेरा मत है कि यह सुझाव बहुत लाभ प्रद है तथा सरकार को इन पर विचार करना चाहिये।

श्री इराज्मद सेकैरा (भार भागोआ) : बैंककारी आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 32 में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक स्थापित किये जायें तथा वहां गोदामों की व्यवस्था की जाए तथा कृषि संबंधी सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित की जाये । वास्तव में हमारे संस्थानों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे वह कदम नहीं उठाते, जो उन्हें अवश्य उठाने चाहिये । इसके अतिरिक्त निर्धारित अवधि के लिये रुपया जमा कराने पर ब्याज की दर 10 प्रतिशत है जबकि मुद्रास्फीति की दर 27 से 30 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में कोई रुपया क्यों जमा कराएगा जब रुपये का मूल्य इस प्रक्कार घट रहा है क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे धनराशि जमा कराने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त ब्याज मिला करे तथा उन्हें कोई घाटा न रहे ?

सरकार नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का पर्याप्त प्रचार करती रही है किन्तु क्या वास्तव में नए उद्यमियों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है ? क्या उनको बैंकों से ऋण उपलब्ध है ? जमानत के बिना किसी को ऋण नहीं दिया जाता तथा जमानत की परिभाषा भी कोई न्यायसंगत नहीं है । हमारे देश में जमानत का वही पुराना सिद्धांत अब भी चला आ रहा है जिसकी अब कोई उपादेयता नहीं है। देश में सभी वस्तुओं की कमी है तथा आज इस बात की भारी आवश्यकता है कि जमाखोरी समाप्त की जाये । किन्तु, कच्चे माल के लिये ऋण देने सम्बन्धी व्यवस्था पहले की भांति अब भी दोषपूर्ण है । और बिल मार्केट योजना, जिसका सम्बन्ध उत्पादन की आवश्यकताओं से है और जिसके परिणामस्वरूप हमारे पास जो थोड़ा सा धन है उसका शीघ्रता से उपयोग होगा, पुस्तक में तो है परन्तु उसका प्रभाव समाप्त हो रहा है ।

सरकार को विचार करना आरम्भ करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग बचत करें और लोगों के लिये यह संभव कर सके कि जिस धन का वे इस समय उपयोग कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा उस धन का उपयोग करे, जो तेजी से उपलब्ध होता है।

धन का उपयोग पहले कृषि तथा बाद में उद्योगों के लिये उपयोग किया जाना चाहिए।

जब तक बकिंग प्रणाली का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा तब तक ऐसा करना संभव नहीं है ।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dansa) : It is not correct to say that our aspirations have not been fulfilled after the nationalisation of banks. The International Monetory Fund is of the opinion—'Bank nationalisation in India has been a success and holds good prospects for future progress'. The main

object of the nationalisation of banks was to do away with the traditional banking system under which one particular class derived benefit. The banks have advanced loans to the farmers, small scale industries, transporters and small businessmen. It is true that we have not achieved the desired success.

I would like to cite an example. Famine broke out in Jaipur last year. The people of that area after meeting with the collector decided to dig wells. In this connection, the financial assistance from the nationalised banks was sought. Some of the banks worked well. But the Punjab National Bank and other banks continued to create obstacles in the way of extension of loans.

The banking department have recently issued a circular under which the limit for extending loans from a particular branch of a bank has been fixed to a distance of 10 miles only. The banks make alibis and show reluctance in extending loans as this circular is there. This should be looked into.

The service to be rendered by these banks has been deteriorating. The bank employees are the highest paid employees to-day. Their efficiency has been deteriorating.

Clear cut directions, to the effect that a particular percentage of their deposits would be given as loan to the priority sector, should be given to the banks. The Parliament should look into the business carried out by these banks every year.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्दुपाड़ा) : राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक प्रमुख उपलब्धि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से पहले बैंकों के बारे में इतनी शिकायतें नहीं सुनी जाती थीं परन्तु वर्ष 1972–73 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सतर्कता के लगभग 161 मामले और बैंकों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में 455 शिकायतें मिलीं।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंडिया को सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लायें।

जहां एक ओर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वहां दूसरी ओर स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में कमी हो रही है। यह कमी लगभग 20 प्रतिशत तक हो गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक उद्देश्य ग्रामीण जनता को बकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना था, उड़ीसा में बैंकों की संख्या कम है। इसकी मुख्य कठिनाई यह बताई गई है कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं। सरकार उन लोगों को वहां भज कर स्थिति में सुधार कर सकती है जो वहां जाना चाहते हैं।

यद्यपि अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करने क लिये बैंकों को महत्वपूर्ण साधन माना गया है तथापि अनुभव से पता चला है कि धन का विविधिकरण पिछड़े क्षेत्रों की अपेक्षा विकसित क्षेत्रों में किया गया है।

भारत में बैंकों की ऋण प्रणाली उन राज्यों के पक्ष में बनी हुई है जहां बड़े-बड़े उद्योग धंधे हैं तथा इस प्रणाली से क्षेत्रीय असंतुलन के बढ़ने में भी काफी योगदान मिल रहा है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण का 77.5 प्रतिशत केवल पांच राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में निवेश किया गया है। जिन राज्यों में सबसे कम बैंक हैं, वे ये हैं: उड़ीसा, बिहार, आसाम और नागालैण्ड। भारत में जहां 30,000 व्यक्तियों के लिये एक बैंक है वहां उड़ीसा में 93,000 की जनसंख्या के लिये एक बैंक है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा जैसे कम बैंकों वाले राज्यों के लिये यह सुनिश्चित करें कि वहां बैंकों की शाखाएं खोले जाने से इन्कार नहीं किया जाये।

मेरी अंतिम बात यह है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बड़े-बड़े व्यापार गृह और बड़े हुए हैं तथा छोटे एककों और देहाती क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। वित्त मंत्री का यह नैतिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों का पुनर्गठन हो ताकि लोगों की आकांक्षाएं पूरी की जा सकें तथा जिन उद्देश्यों के लिये इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह भी पूरे किये जा सकें।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : मैं केवल सहकारी क्षेत्र पर बल देना चाहूंगा।

मैंने एक सहकारी चीनी फैक्ट्री चालू की। उसके लिये मुझे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद ऋण लेने में सफलता मिली।

ग्रामीण क्षेत्र में पम्प सेट खरीदने के लिये धन नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की सहायता से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 4,000 कुओं को सक्रिय बनाया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रिक्शा वालों, टैक्सी वालों, और मछुओं ने वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेकर सहकारी समितियां आरंभ की हैं। फिर भी ग्रामीण कृषि समितियां उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। आयोग ने ऐसी समितियों की स्थापना की सिफारिश की थी। हमारे चौदह राष्ट्रीय कृत बैंक हैं, समूचे भारत के लिये 14 सहकारी बैंक होने चाहिएं। सभी सहकारी संगठित बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलनी चाहिएं।

आन्ध्र बैंक एक बहुत बड़ी संस्था है। इसकी जमा राशि 100 करोड़ रुपये या 200 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण करने में हिचकिचाहट कैसी है?

इस समय सहकारी कानूनों पर राज्य सरकारों का नियत्रंण है अतः समूचे भारत पर सहकारी अधिनियम लागू होना चाहिए। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर विचार करे और बैंकिंग आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर विचार करे कि क्या वह सहकारी अधिनियम में संशोधन कर सकती है, और उसे समान रूप से समूचे देश पर लागू कर सकती है ?

सभापति महोदय : हमने 7 बजे सभा स्थगित करने का निर्णय किया था परन्तु मेरे पास तीन वक्ताओं के नाम और हैं मैं आशा करता हूं कि 20 मिनट और बैठने में सभा को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): इसका क्या कारण है कि हम राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की किसी प्रकार की संसदीय जांच या उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं? मेरा कहने का

तात्पर्य यह है कि इन सभी बैंकों को अपने कार्यकरण की जांच संसदीय समिति द्वारा करवानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण को संसदीय जांच और नियंत्रण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना चाहिये और रिजर्व बैंक की भूमिका की भी परीक्षा की जानी चाहिये।

विकासशील देशों में किसी अर्थ-व्यवस्था के लिये बैंकों की भूमिका का बहुत महत्व है। मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि क्या वह वास्तव में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पांच वर्ष के कार्यकरण का किसी प्रकार का नियम बद्ध निर्धारण करेंगे ? मैं नहीं समझता कि केवल असफलता ही मिली है। कुछ उपलब्धियां भी हैं। अतः मेरा कहना है कि सरकार को इसकी जांच एक समिति द्वारा करवानी चाहिये और रिपोर्ट देनी चाहिये ताकि जहां सुधार की गुंजाइश हो, वहां सुधार किया जा सके। मैं यह बात इसलिये कहता हूं क्योंकि हमें राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ बातें उपलब्ध नहीं हुई हैं। उदाहरण के लिये, क्या राष्ट्रीयकरण के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण, द्रुत आर्थिक विकास हुआ है, क्या हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और वित्तीय दृष्टि से अशक्त वर्गों का विकास कर पाये हैं? यदि इन प्रश्नों की जांच की जाये तो इनका उत्तर नकारात्मक होगा अतः कुछ सोद्देश्य विश्लेषण किया जाना चाहिए और उसके बाद रिपोर्ट दी जानी चाहिये।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने माना है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में गिरावट आई है। मंत्री महोदय ने यह भी माना है कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां काफी सुधार की आवश्यकता है।

समयोपरि भत्ता बहुत अधिक बढ़ गया है। इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप भी बहुत किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण से संघवाद और कार्मिक संघवाद की झलक मिलती है। इसकी जांच की जानी चाहिये।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : It is to be seen whether the objectives have been achieved with which the banks were nationalised.

So far as the extension of the branches is concerned, most of them have been extended in rural areas. It is good. It is also good that the bank credit to the agricultutal sector has increased by nine per cent. Lead Bank Scheme was introduced. Area Approach Scheme was introduced. Other facilities were made available so that the farmers are able to get loan. But the reality is just reverse. Small and landless farmers do not get loan. The Managers do not like to give loans to small farmers, scooter drivers and other persons but they prefer to give loans to affluent persons. This attitude of the Managers has to be changed.

At present the farmers have to incur various expenses while fulfilling the formalities meant for getting loan. The banks should bear expenses to be incurred on registration etc.

The agriculturists have received 9 per cent loan whereas the industrialists have received 64 per cent. This should be reduced.

To give advances against consumer goods should be completely stopped. This will help recude inflation.

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालासोर): मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बैंकों के अधिकारियों के रवैये में परिवर्तन किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि बैंकों के अधिकारियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये जिसमें उन्हें नये भारत की आयोजना में भाग लेने, लोगों की सहायता करने, ग्रामीण जनता के साथ एकात्मकता महसूस करना सिखाया जाये।

बैंक मैनेजरों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिये। उड़ीसा में उन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है। लोग उनके पास जाते हैं और अपनी मातृभाषा में बोलते हैं।

नगरीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण में असमानता नहीं होनी चाहिए।

बैंकों द्वारा दी जाने वाली सहायता में विकसित और पिछड़े दोनों क्षेत्रों में गिरावट आई है। वर्ष 1966 और 1972 के बीच विकसित क्षेत्रों में कम राशी जमा कराई गई है। पिछड़े लोगों, आदिवासियों, हरिजनों और निरक्षर लोगों ने अधिक राशि जमा कराई है। परन्तु पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण नहीं हुआ है। बैंक मैनेजरों से यह क्यों नहीं कहा जाता कि वे गांवों का विकास करें और उन्हें औद्योगिक दृष्टि से विकसित करें।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूं।

तत्पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 16 अगस्त, 1974/25 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, August 16, 1974/Sravana 25, 1896 (Saka).

74—M/S8LSS—14-2-75—490—GIPS